खण्ड ४ — अंक ५८
४ मई, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ३, १९५६

(१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६)

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ४१ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खण्ड ३, अंक ४१ से अंक ६०—१७ अप्रैल से १४ मई, १९५६]

अंक ४१—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०४, १५०५, १५०७ से १५१५, १५१८, १५१९, १५२१, १५२३, १५२४, १५२८, १५३० और १५३२ से १५३८ ... १५०८–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५०६, १५१६, १५१७, १५२०, १५२२, १५२५ से १५२७, १५२९ और १५३९ से १५४३ ... १५३०–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७० से ११२६ ... १५३४–५३

दैनिक संक्षेपिका ... १५५४–५६

अंक ४२—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४४ से १५४६, १५४८ से १५५१, १५५३, १५५६, १५५७, १५५९ से १५६३, १५६५, १५६६, १५६९, १५७१ से १५७४ और १५७७ ... ... १५५७–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५४७, १५५२, १५५४, १५५५, १५५८, १५६४, १५६७, १५६८, १५७०, १५७५, १५७६ और १५७८ से १५८१ ... १५७६–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११६८ और ११७० से ११९८ १५८०–१६०५

दनिक संक्षेपिका ... १६०६–०९

अंक ४३—शुक्रवार, २० अप्रेल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८२ से १५८४, १५८६, १५८९, १५९३, १५९५ से १५९७, १६००, १६०१, १६०३ से १६०७, १६०९, १६१०, और १६१२ से १६१५ ... १६१०–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८७, १५८८, १५९१, १५९२, १५९४, १५९८, १५९९, १६०२, १६०८ और १६१६ ... ... १६३२–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२५० और १२५२ से १२६४ ... १६३५–५९

दैनिक संक्षेपिका ... १६६०–६२

अंक ४४--शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६१७ से १६१९, १६२१, १६२३, १६२४, १६२७ से १६३०, १६३२ से १६३९, १६४१, १६४२, १६४४, १६४५, १६२६ और १६३१ ... ... १६६३-८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९५, १४१५, १६२०, १६२२, १६२५ और १६४० १६८४-८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६५ से १२९७ और १२९९ से १३०८ १६८६-१७००

दैनिक संक्षपिका ... १७०१-०३

अंक ४५--सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७०४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ से १६४९, १६५२, १६५४ से १६५९, १६६२, १६६३, १६७२, १६६५ से १६६८, १६७०, १६७३, १६७५, १६७८, १६७९, १६६०, १६६४ और १६५१... ... १७०४-२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६६१, १६६९, १६७१, १६७४, १६७६, १६७७ और १६८० ... १७२६-२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०९ १३५२ और १३५४ से १३६९ ... १७२९-५१

दैनिक संक्षेपिका ... १७५२-५४

अंक ४६--मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १७५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८१ से १६८३, १६८९, १६९०, १६९५, १६९७, १७०१, १७०२, १७०४, १७०६, १७०८, १७०९, १७११, १७१३ से १७१५, १७१७, १६८७ और १६९१ ... १७५५-७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४ से १६८६, १६८८, १६९२ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७००, १७०३, १७०५, १७०७, १७१०, १७१२ और १७१६ १७७४-७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३७० से १४१०, १४१२ से १४१८, १४२० से १४२३ और १४२५ से १४३५ ... ... १७७९-१८०१

दैनिक संक्षेपिका ... १८०२-०४

अंक ४७——बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७१८ से १७२२, १७२४, १७२७, १७३० से १७३२, १७३४, १७३६ से १७३९, १७४१, १७४३, १७२३, १७२५ और १७२६ — १८०५–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७२९, १७३३, १७३५, १७४० और १७४२ — १८२६–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १४३६ से १४६२ और १४६४ से १४९३ — १८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका — १८४७–४९

अंक ४८——गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४५ से १७४८, १७५२ से १७६०, १७६३, १७६५, १७६७ से १७७०, १७७२, १७४४ और १७६६ ... १८५०–७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ ... १८७०–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५१, १७६१, १७६२, १७६४ और १७७१ — १८७२–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १४९७ और १४९९ से १५२१ ... १८७४–८३

दैनिक संक्षेपिका ... १८८४–८५

अंक ४९——शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७४, १७७६, १७७९, १७८१ से १७७९, १७९१ से १७९३, १७९५, १७९७ से १७९९, १८०१ और १८०२ — १८८६–१९०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७७५, १७७७, १७७८, १७८०, १७९०, १७९६, १८०३ और १८०४ ... ... १९०७–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ से १५३९ और १५४१ से १५६२ ... १९०९–२३

दैनिक संक्षेपिका ... १९२४–२६

अंक ५०——सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०६ से १८११, १८१३, से १८१६, १८२० से १८२४, १८२६ से १८३०, १८३२ और १८३३ ... ... १९२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८०५, १८१२, १८१७ से १८१९, १८२५ और १८३१ — १९४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ से १५७५ और १५७७ से १६०७ ... १९४९–६२

दैनिक संक्षेपिका १९६३–६५

अंक ५१—मंगलवार, १ मई, १९५६

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३४, १८३६, १८३९, १८४५, १८४७, १८४८, १८५२ से १८५५, १८५७, १८६१, १८३५, १८४३, १८४४ और १८६२ ... १९६६–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ ... १९८५–८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३८, १८४० से १८४२, १८४६, १८४९ से १८५१, १८५६ और १८५८ से १८६० ... ... १९८७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०८ से १६२६ और १६२८ से १६४१ १९९०–२००१

दैनिक संक्षेपिका ... २००२–०३

अंक ५२—बुधवार, २ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६३, १८६४, १८६६, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८, १८८०, १८८२ से १८८४, १८८७, १८८९, १८९२, १८९३ और १८९५ से १८९७ ... ... २००४–२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५ ... २०२५–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७ से १८६९, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१, १८८५, १८८६, १८८८, १८९० १८९१ और १८९४ २०२९–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६४२ से १६५४, १६५६ से १६८६ और १६८८ से १७१० ... ... २०३४–५९

दैनिक संक्षेपिका ... २०५६–५५

अंक ५३—गुरुवार, ३ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९९ से १९०२, १९०४ से १९०८, १९१०, १९११, १९१३ और १९१७ से १९२४ ... ... २०६०–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८९८, १९०३, १९०९, १९१२, १९१४ और १९१५ २०८०–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७११ से १७५९ ... २०८२–९७

दैनिक संक्षेपिका २०९८–२१३०

अंक ५४—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५, १९२७, १९३०, १९३८, १९४०, १९४२ से १९४६, १९४८, १९४९, १९५३, १९५६, १९५८, १९६०, १९६२, १९६४, १९६६, १९२६, १९६३, १९३१ और १९३७ ... ... २१०१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२८, १९२९, १९३२, १९३४ से १९३६, १९३९, १९४१, १९४७, १९५० से १९५२, १९५४, १९५५, १९५७, १९५९, १९६१ और १९६५ ... ... २१२१–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९७ ... २१२७–३९

दैनिक संक्षेपिका ... २१४०–४२

अंक ५५––सोमवार, ७ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६७, १९६९, १९७१, १९७२, १९७५, १९७८, १९७९, १९८१, १९८२, १९८४, १९८६ से १९८८, १९९१ से १९९३, १९९५, १९९७, १९९८, २०००, १९६८, १९७०, १९९९, १९८३ और १९८९ २१४३–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ २१६६–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९७३, १९७४, १९७६, १९७७, १९९६, १९८०, १९८५, १९९०, १९९४ और २००१ से २००३ २१६८–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७९८ से १८३६ और १८३८ से १८५० २१७१–८७

दैनिक संक्षेपिका २१८८–९०

अंक ५६––मंगलवार, ८ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००४, २००७, २००९, २०१२ से २०१६, २०१८, २०१९, २०२१, २०२२, २०२४, २०२८, २०३० से २०३२ और २०३४ २१९१–२२११

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २००५, २००६, २००८, २०१०, २०११, २०१७, २०२०, २०२३, २०२५ से २०२७ से २०२९, २०३३, २०३५ और २०३६ २२११–१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ से १८८५ और १८८७ से १८९३ २२१५–२९

दैनिक संक्षेपिका ... २२३०–३२

अंक ५७––बुधवार, ९ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३९, २०४०, २०४२, २०४३, २०४५ से २०५०, २०५२ और २०५६ से २०६० २२३३–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७, २०४१, २०४४, २०५१, २०५३ से २०५५ और २०६१ से २०८३ २२५४–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १८९४ से १९२४ और १९२६ से १९३८ ... २२६४–८०

दैनिक संक्षेपिका २२८१–८३

अंक ५८——गुरुवार, १० मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८४, २०८५, २०८७, २०९० से २०९२, २०९४, २०९५, २०९८ से २१०२, २१०५ से २१०७, २१०९ और २१११ से २११६ … २२८४–२३०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २०८६, २०८८, २०८९, २०९६, २०९७, २१०३, २१०४, २१०८, २११० और २११७ से २१२५ … २३०४–०९

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९६४ … २३०९–१८

दैनिक संक्षेपिका … २३१९–२०

अंक ५९——शुक्रवार, ११ मई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१२८, २१३१, २१३३, २१३७, २१३९, २१४२ से २१४४, २१४६ से २१५१, २१५३, २१५६, २१२६, २१२९, २१४५, २१४६, २१४८, २१५४ और २१५५ … २३२१–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तरांकित प्रश्न संख्या २१२७, २१३२, २१३४ से २१३६, २१३८, २१४०, २१४१, २१४७, २१५२, २१५७ … २३४२–४५

अनारांकित प्रश्न संख्या १९६५ से १९९२ … २३४५–५४

दैनिक संक्षेपिका … २३५५–५६

अंक ६०——सोमवार, १४ मई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण … २३५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१५८ से २१६२, २१६४ से २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७६ और २१७८ से २१८१ … २३५७–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६३, २१७१, २१७४, २१७७ और २१८३ से २१९६ … २३७८–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९३ से २०३१ … २३८३–९६

दैनिक संक्षेपिका … २३९७–९८

M60LSD—190—20-3-58—GIPF

लोक-सभा

शुक्रवार, ४ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री लंका में भारतीय

†*१९२५. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ के भारत-श्रीलंका करार के कार्यवहन के सम्बन्ध में अब अन्तिम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस विषय पर भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच हुये पत्र व्यवहार को सभा-पटल पर रखने का विचार रखती है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १९५४ के भारत-श्रीलंका करार के कार्यवहन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और उसका मुख्य कारण यह है कि करार के कुछ एक खण्डों के निर्वचन पर मतभेद उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री तथा श्रीलंका के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के मध्य पत्र व्यवहार हुआ था।

(ख) साधारणतया यह पत्र व्यवहार तभी प्रकाशित होता है जब कि इस सम्बन्ध में दोनों सम्बन्धित सरकारें सहमत हों। विचार यह है कि श्रीलंका की सरकार से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी उचित समय पर इस पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रख दिया जाये।

†**श्री गिडवानी** : पंजीयन के सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति क्या है ? अभी तक भारतीय उद्भव के कितने व्यक्ति वहां पर पंजीबद्ध हो चुके हैं, और क्या अनुपात में वृद्धि हुई है अथवा कमी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमारे पास कोई हाल के आंकड़े नहीं हैं। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, श्रीलंका में सामान्य निर्वाचन हुये हैं और वहां पर राजनीतिक परिवर्तन हुये हैं। इन से सामान्य विकास को कुछ बाधा सी पड़ गयी है। हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और यह देखना पड़ेगा कि मामला कब सुलझता है।

†**श्री गिडवानी** : क्या श्रीलंका की नयी सरकार द्वारा कोई नयी बात चीत प्रारम्भ की गयी है, जैसा कि वहां के प्रधान मंत्री द्वारा कहा गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, अभी तक नहीं। वहां के नये प्रधान मंत्री ने यह इच्छा प्रकट की है कि वह भविष्य में भारत सरकार के प्रतिनिधियों से बात चीत करना चाहते हैं और उन्होंने यह

†मूल अंग्रेजी में

बात सार्वजनिक रूप से कही है । निस्संदेह उस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य किया जायेगा, परन्तु अभी तक कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं हुई है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : भारत श्रीलंका करार में ऐसे कौन से खण्ड हैं जिन पर दोनों सरकारों में मतभेद है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में करार पढ़ कर नहीं सुना सकता और न हीं उस की विस्तारपूर्वक व्याख्या कर सकता हूं ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री के इस सुझाव को श्रीलंका की सरकार द्वारा मान लिया गया है कि करार के विवादास्पद खण्डों को किसी मध्यस्थ को सौंप दिया जाये; और यदि नहीं, तो उस सुझाव की इस समय क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा यह पत्र जिस में मैंने यह सुझाव दिया था, कई मास पहले भेजा गया था, लगभग तीन या चार मास पहले भेजा गया था जब कि पहली सरकार शासनारूढ़ थी । उस पत्र का अभी तक न पुरानी सरकार से और न ही नयी सरकार से कोई उत्तर आया है । अतः हम उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

तिब्बत में विश्राम घर

*१९२७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** १२ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत के विश्रामघरों और उनके सामान को चीन सरकार को सौंपने का काम समाप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार को उनके मूल्य के रूप में अभी तक कितना धन मिल चुका है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जी, हां । पूरे हिसाब में ३,१६,८२८ रुपये वसूल हुये हैं ।

श्री भक्त दर्शन : इस इकरारनामे में एक शर्त यह रखी गयी थी कि चीन की सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि ये घर आरामघरों के रूप में ही रखे जायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस शर्त का पूरी तरह पालन हो रहा है, और इस रिपोर्ट में कहां तक सत्य है कि इन आरामघरों को दफ्तरों के तौर पर या दूसरे तरीके से इस्तैमाल किया जा रहा है ?

श्री सादत अली खां : हमारे दोस्त कह रहे हैं कि इन आरामघरों को दफ्तरों में तबदील कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास कोई इत्तला नहीं है कि इनको किस तरह से इस्तैमाल किया जा रहा है ?

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात की भी इसमें कोई शर्त रखी गयी है कि हमारे जो काउंसल जनरल, या वाणिज्य दूत, या पर्यटक व दूसरे यात्री जो वहां जाते हैं उनको भी इन आरामघरों में पहले की तरह रहने की सुविधा उपलब्ध हो, या इस बारे में कोई लिखा पढ़ी चल रही है ?

श्री सादत अली खां : अगर वे आरामघर रहेंगे तो यकीनन ये लोग उनमें जाकर ठहरेंगे ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : जहां तक मुझे ज्ञात है, ये विश्राम घर कैलाश जाने वाले यात्रियों तथा व्यापार अभिकर्ताओं द्वारा ठहरने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं । क्या वह अवस्था अभी भी वैसी ही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : वे विश्रामघर उनके हवाले कर दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि स्थिति वैसी ही है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) उठे.....

†**श्री बी० डी० पांडे** : तो फिर हमारे व्यापार अभिकर्ता कहां ठहरेंगे ? क्या तम्बुओं में रहेंगे अथवा छोटे मकानों में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये विश्रामघर मुख्य रूप से हमारे अभिकर्ताओं, हरकारों तथा उधर जाने वाले अन्य सरकारी व्यक्तियों के लिये बनाये गये थे। अब वे चीनी सरकार को सौंप दिये गये हैं। मैं इस समय कह नहीं सकता कि हम वहां पर ठहरने के सम्बन्ध में क्या सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय चीन की सरकार को ही करना है। उन्होंने उन विश्रामघरों को अपने प्रबन्ध में ले लिया है; हमने तो ये घर उनके हवाले कर दिये हैं; अतः मैं नहीं समझता कि हम अब उन्हें इस बात के लिये बाध्य कर सकते हैं कि वे यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों की ठहरने की अनुमति दें।

दियासलाई उद्योग

†*१९३०. **श्री नटराजन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २९ फरवरी, १९५६, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९३० से आरम्भ होने वाले दशक के आरम्भ में करारोपण जांच आयोग के समय सरकार और विमको के बीच एक साधारण करार हुआ था कि विमको समस्त देश की खपत के केवल ५० प्रतिशत तक उत्पादन करेगा और शेष उत्पादन हाथ से बनाये गये उद्योग के लिये रक्षित रखा जायगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसको कार्यान्वित, करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि हाल के वर्षों में ऐसा कोई करार हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री नटराजन** : क्या विमको की प्रतियोगिता के कारण दक्षिण में हाथ से बनाई जाने वाली दियासलाई के उद्योग में इस समय बेकारी है ?

†**श्री कानूनगो** : इस सम्बन्ध में हमें पता नहीं है। इसके प्रतियोगिता पहलू के बारे में, मैं कहूंगा कि "ख" श्रेणी की फैक्टरियां अधिक उत्पादन कर रही हैं।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या यह सच है कि बहुत से केन्द्रों में, जहां यह उपक्रम आरम्भ किया गया था, हाथ से बनाई दियासलाईयों के बड़े भण्डार पड़े हैं जो बिके नहीं हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : किस स्थान पर ?

†**श्री आर० पी० गर्ग** : कार्य केन्द्रों में, अर्थात् दिल्ली और दूसरे स्थानों पर।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : प्रश्न सर्वथा सामान्य है। जहां तक मुझे विदित है, किसी भी स्थान पर माल जमा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन० बी० चौधरी** : भारत में कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत दियासलाइयां विमको द्वारा बनाई जाती हैं ?

†**श्री कानूनगो** : लगभग ५० प्रतिशत ।

हाइड्रोलिक टरबाइन का निर्माण

†*१९३८. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाइड्रोलिक टरबाइन और तत्सम्बन्धी सामान के निर्माण के लिये इंग्लैंड की इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटिड (ई० ई० सी०) को सहायक सलाहकार के रूप में चुना है :

(ख) यदि हां, तो मुख्य सलाहकार कौन हैं; और

(ग) सहायक सलाहकार चुनने के क्या कारण हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) इंग्लैंड की असोशियेटिड इलेक्ट्रिक उद्योग लिमिटेड ।

(ग) मेसर्ज असोशियेटेड इलेक्ट्रिक उद्योग स्वयं हाइड्रौलिक टरबाइन निर्माता नहीं हैं और उनके साथ किये गये करार के अनुसार सरकार को मुख्य सलाहकार के परामर्श से, इस चीज के निर्माण के लिये सहायक टैक्नीकल सहायता और सहयोग के लिये दूसरी फर्म को चुनने, की स्वतन्त्रता थी ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या सहायक सलाहकारों के साथ कोई पृथक करार किया गया है और यदि हां, तो यह कितने समय के लिये लागू रहेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी के साथ करार करने का विचार किया गया है, जिसे इस उद्देश्य के लिये चुना गया है । अभी तक करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : यदि वे अवधि के अन्दर अपना करार पूरा न कर सकें, तो असोशियेटिड इलेक्ट्रिक उद्योग लिमिटेड का क्या दायित्व होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : करार की प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध है । ये सब बातें करार में की गई हैं ।

†**श्री जोकीम आलवा** : इस देश में असोशियेटेड इलेक्ट्रिक उद्योग कम्पनी कितने वर्षों से अपना कांम कर रही है ? क्या इस कम्पनी ने कभी भारतोय सार्थ से मिलकर टरबाइन बनाने के लिये कहा था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : असोशियेटिड इलेक्ट्रिक उद्योग टरबाइन का बिल्कुल निर्माण नहीं करता ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या मुख्य सलाहकार ने परियोजना का ब्यौरा तैयार किया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन अब तैयार किया जा रहा है । इस वर्ष के अन्त तक यह सरकार के पास आ जायगा ।

पहली पंचवर्षीय योजना

†*१९४०. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्य सरकारों ने वह सारा धन खर्च कर लिया है जो उन्हें पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन राज्य ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं; और

(ग) उसका क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) १९५५–५६ के आय-व्ययक प्राक्कलनों के आधार पर आन्ध्र, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, सौराष्ट्र, त्रावनकोर-कोचीन, विन्ध्य प्रदेश और मनीपुर की योजनाओं के लिये नियत राशि पूरी खर्च नहीं होगी; और

(ग) इसके मुख्य कारण ये हैं:

(१) कुछ योजनायें देर से आरम्भ की गईं;
(२) प्रारम्भिक वर्षों में प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयां ।
(३) प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव ।
(४) सामान प्राप्त करने में कठिनाइयां; और
(५) संसाधन जुटाने में असफलता ।

†**श्री संगण्णा** : प्रत्येक राज्य सरकार के कारण कितना धन व्ययगत हुआ है ?

†**श्री हाथी** : मैं विवरण सभा पटल पर रख सकता हूं ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम पंच-वर्षीय योजना का कितना रुपया खर्च होने से बच रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री समस्त सूचना सभा पटल पर रख सकते हैं ।

†**श्री हाथी** : मैं विवरण सभा पटल पर रख दूंगा । उत्तर प्रदेश में १२·०६ करोड़ रुपया बचा है ।

†**श्री कामत** : पटल पर रखे जाने वाले विवरण में प्राय: सब राज्यों का ब्यौरा होना चाहिये ।

†**श्री हाथी** : मैं उन सब राज्य के बारे में विवरण रखूंगा जहां धन बचा है ।

†**श्री कामत** : बिल्कुल ठीक ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की सफलता का कोई अनुमान लगाया है ? यदि सरकार ने यह अनुमान नहीं लगाया, तो क्या वह दूसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने से पहले ऐसा करने का इरादा करती है, क्योंकि यह बहुत आवश्यक काम है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें तर्क नहीं करना चाहिये ।

†**श्री हाथी** : यह किया जा रहा है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : किन राज्यों ने वह सारा धन खर्च कर लिया है जो उनको दिया गया था, या आवंटित किये गये धन का अधिकतम प्रतिशत खर्च किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

†**श्री हाथी** : मैं विभिन्न राज्यों की कमी बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखूंगा । बाकी राज्यों ने पूरे धन का उपयोग किया है ।

†**श्री ए० एम० थामस** : कारणों की दो श्रेणियां की जा सकती हैं, अर्थात्, प्रशासनात्मक अकुशलता और संसाधनों की कमी । व्यय में कमी होने का मुख्य कारण क्या है ? क्या केन्द्रीय सरकार

†मूल अंग्रेजी में

ने विस्तारपूर्वक कारणों की जांच की है और प्रत्येक राज्य सरकार को, उनकी कठिनाइयों का स्वरूप समझने के पश्चात, कोई सामान्य अनुदेश जारी किये हैं ?

†**श्री हाथी** : मैं ने जो कारण बताये हैं, वे सामान्य कारण हैं। विशिष्ट कारण विशिष्ट परियोजना या विशिष्ट क्षेत्र पर लागू होते हैं। उदाहरणार्थ, कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का अभाव है, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी कठिनाइयां हो सकती हैं। किन्तु मैंने मुख्य कारण बता दिये हैं। राज्यों को भी आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ये कठिनाइयां उत्पन्न न होने पायें।

†**श्री पुन्नूस** : अब जानकारी एकत्र की जा रही है और हमारे सामने रखी जा रही है। क्या इन पांच वर्षों में, प्रति वर्ष, इन आंकड़ों की जांच की जाती है और सुझाव दिये जाते हैं तथा शुद्धियां की जाती हैं, ताकि व्यय समान होता रहे ?

†**श्री हाथी** : यह बात नहीं कि जानकारी एकत्र की जा रही है। हमारे पास पहले जानकारी उपलब्ध है। प्रति वर्ष हम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करते हैं। वे प्रगति प्रतिवेदन सभा के सामने रखे जाते हैं। योजना आयोग के परामर्शदाता राज्यों में जाते हैं। वे प्रगति की और अनुभव होने वाली कठिनाइयों को जांच करते हैं तथा योजना आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इन पर विचार किया जा रहा है और तदनुसार राज्यों को निदेश दिये जा रहे हैं। पहले दो वर्षों में, व्यय कम था। किन्तु धीरे धीरे व्यय बढ़ रहा है।

†**श्री राघवैया** : क्या सरकार को आन्ध्र राज्य सरकार से इसका कोई कारण प्राप्त हुआ है कि जितना धन उसको दिया गया था, उस समस्त धन को वह खर्च करने में क्यों असमर्थ रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री के पास आन्ध्र सरकार द्वारा दिये गये कारण पृथक् हैं ?

†**श्री हाथी** : जी, नहीं, पृथक् नहीं।

लेबेनान को सहायता

†*१९४२. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेबेनान में हाल में आये भूकम्प के शिकार होने वाले लोगों की सहायता के लिये लेबेनान को डाक्टरी चिकित्सा सम्बन्धी और दूसरी सहायता भेजने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जायगी ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ख). जी, हां। विपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिये ५०,००० रुपये का माल भेजा जा रहा है, अर्थात् वस्त्र, कंबल, दवाइयां तथा तम्बू।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या निर्णय पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है या यह कार्यान्वित किया जाने वाला है ?

†**श्री सादत अली खां** : बहुत सी वस्तुयें लेबेनान पहुंच चुकी हैं, और बाकी शीघ्र ही वहां पहुंच जायेंगी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या विपदा के समय अफरीका के देशों की सहायता करने की सरकार की निश्चित समेकित योजना है, या यह केवल आकस्मिकता के अवसर पर उनकी सहायता करने का मामला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आकस्मिकताओं का समेकन करना जरा कठिन है। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि हमारे संसाधन हमारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी अपर्याप्त हैं। हम ऐसा इसलिये करते हैं क्योंकि अपने मित्रों की सहायता करने की हमारी उत्कट इच्छा होती है—हम प्रसन्नतापूर्वक सहायता करते हैं—चाहे हमें उससे कठिनाई भी होती हो।

निरीक्षण पक्ष

†*१९४३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरीक्षण पक्ष ने १९५५–५६ में कितने मूल्य के भण्डारों का निरीक्षण किया;

(ख) निरीक्षणालय ने उक्त अवधि में भण्डारों के निरीक्षण के अतिरिक्त विभिन्न सार्थों को किस प्रकार की टैक्नीकल सहायता दी; और

(ग) उन्होंने किन मदों का निश्शुल्क निरीक्षण किया ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री के सभा-सचिव (श्री पी० एस० नास्कर)** : (क) १२९.२३ करोड़ रुपये।

(ख) तथा (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४३**]

†**श्री एस० सी० सामन्त** : सरकारी वाणिज्यिक विभागों अर्थात् डाक तथा तार, रेलवे और प्रतिरक्षा विभाग, के निरीक्षण के लिये यह निरीक्षण पक्ष कितना शुल्क लेता है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यिक विभागों, प्रतिरक्षा सेवाओं, राज्य सरकारों और अर्ध सरकारी निकायों के मामले में, भण्डारों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत शुल्क सम्बद्ध विभागों से वसूल किया जाता है। अब यह १ अप्रैल, १९५६ से घटा कर ५ प्रतिशत कर दिया गया है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : निरीक्षण पक्ष के मुख्य काम क्या हैं ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : सम्भरण उत्सर्जन महा निदेशनालय का निरीक्षण पक्ष एक टैक्नीकल शाखा है और इसके मुख्य कार्यों की एक बड़ी लम्बी सूची है।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या जो अभी पंजीबद्ध हुये हैं; उनको भी इस निरीक्षणालय की टैक्नीकल सहायता मिलती है ?

†**श्री पी० एस० नास्कर** : अभी जो सार्थ पंजीबद्ध हुये हैं, उनको इस निरीक्षण पक्ष द्वारा टैक्नीकल सहायता देना और मार्गदर्शन करना आवश्यक हो जाता है ताकि वे अपेक्षित प्रकार की वस्तुयें बना सकें।

उत्तर भारत की चाय

†*१९४४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९५४-५५ की तुलना में उत्तर भारत की चाय का निर्यात १९५५–५६ में कम हो गया है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : जी, हां।

†**श्री विश्वनाथ राय** : इस कमी के कारण क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** मुख्य कारण ये जान पड़ते हैं:

१९५५ में चाय के निर्यात में कुछ कमी का पहला कारण यह है कि सम्पूर्ण विश्व में १९५४ की फसल का सापेक्षतया अधिक अंश अगले वर्ष के लिये रखा गया था, दूसरा कारण यह कि इंग्लिस्तान में सुविधाओं को सीमित कर दिया जाना, जो आयात करने वाला प्रमुख देश है और तीसरा यह कि भारतीय चाय की नीलाम पद्धति में सम्भाव्य परिवर्तन करने का प्रयत्न करना।

†**श्री विश्वनाथ राय :** उत्तर भारत की चाय के निर्यात में ही विशेषकर क्यों कमी हुई है ?

†**श्री करमरकर :** प्रश्न तो उत्तर भारत की चाय के बारे में पूछा गया था। दक्षिण भारत की चाय के बारे में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या उत्तर भारत की चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री करमरकर :** पहले दो कारण ऐसे हैं जिन के बारे में हम अधिक कुछ नहीं कर सकते। तीसरा कारण ऐसा है जिस के बारे में हमने २१ फरवरी १९५६ को यह निश्चय किया है कि ३१-३-५६ तक बिना बिकी उत्तर भारत की चाय को लन्दन के नीलामों के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक निर्यात किया करेंगे।

†**श्री राघवैया :** क्या ये कारण भारतीय चाय पर लागू होते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर भारत की चाय भारतीय चाय है।

†**श्री राघवैया :** उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की चाय को इसमें से निकाल दिया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न उत्तर भारत की चाय के सम्बन्ध में है, अतः तथ्य उत्तर भारत की चाय के बारे में एकत्र किये गये हैं। दक्षिण भारत की चाय के बारे में, यदि आवश्यक हुआ तो वह बाद में तथ्य एकत्र करेंगे।

†**श्री जोकीम आल्वा :** भारतीय चाय बोर्ड विदेशों में चाय बेचने के लिये प्रचार पर अत्यधिक धन राशि व्यय करता है। क्या उत्तर के चाय उत्पादक भी इस आन्दोलन में सम्मिलित किये गये हैं अथवा उनकी अवहेलना की जाती है ?

†**श्री करमरकर :** हम किसी के साथ सम्बन्धियों जैसा अथवा उनका ध्यान रखने या न रखने जैसा व्यवहार नहीं करते। हमारे लिये सभी भारतीय चाय एक सी है और हम सबका ध्यान रखते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं।

नागा पहाड़ियों की स्थिति

†*१९४५. **श्री कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा पहाड़ी जिले में अभी तक अशांति है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति और शांति स्थापना के बारे में उन्नति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो वहां की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

†**वैदेशिक कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) :** (क) से (ग). नागा पहाड़ी ज़िले के कुछ भागों में समय समय पर कुछ उपद्रव होते रहते हैं। इसमें सुधार किया गया है और हिंसात्मक तत्वों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है। अप्रैल के मध्य में एकीकृत कमान बनाया गया था। हिंसात्मक आन्दोलन का विरोध बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं और कुछ गांवों के प्रतिरक्षा दलों ने स्वयं शत्रु तत्वों के हिंसात्मक आक्रमणों को रोका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत :** इस सभा में हाल के वाद विवाद के पश्चात् और स्थिति में हुये सुधार और सुधरती हुई स्थिति को देखते हुये क्या सरकार इस प्रश्न का केवल शांति और व्यवस्था सम्बन्धी ही प्रश्न न समझकर इसे राजनीतिक और मानवीय प्रश्न समझेगी और अधिक सुहृदयता पूर्वक इस पर विचार करेगी जिसका अधिक अच्छा परिणाम निकले ।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** वास्तव में, सरकार सदैव से ऐसा करती रही है अर्थात् हमने इसे केवल शांति और व्यवस्था सम्बन्धी समस्या के रूप में ही नहीं समझा है । कई बरसों से लगातार हमने इन तत्वों की सद्भावना प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो विरोधी रहे हैं । ये प्रयत्न जारी रहेंगे । किन्तु माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि जब हत्या होने वाली हो और उन लोगों को लूटा जा रहा हो और आग लगाई जा रही हो, जो उन विरोधी तत्वों के पक्ष में नहीं होते, तो कार्यवाही करनी ही पड़ती है । अब भी, जैसा कि सभा जानती है, संविधान के अधीन नागा पहाड़ी जिले के लोगों को काफी स्वायत्तता प्राप्त है । उन्होंने इस से लाभ नहीं उठाया है । जब स्थिति अच्छी और शान्त हो तो हम वहां के लोगों की इच्छा जानने के लिये इस बात पर भी विचार करने को तैयार हैं कि इस स्वायत्तता में क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं । यह कार्यवाही तभी की जा सकती है जब कि स्थिति पूर्णरुपेण बदल जाये ।

†**श्री कामत :** क्या प्रधान मंत्री इस सभा को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि वहां काम करने वाले हमारे सेनानायक और सेना प्राधिकारी बन्दी बनाये गये नागाओं के साथ कठोर व्यवहार नहीं कर रहे हैं अथवा उनके प्रति प्रतिशोध की भावना से व्यवहार नहीं करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे विश्वास है कि ऐसी बात नहीं है । ये हमारे निदेश हैं और जनरल आफिसर कमान्डिग ने भी जारी किये कुछ वक्तव्यों में यही कहा है । अतः सामान्यतः मैं ऐसा नहीं समझता कि बहुत से लोग अपने को गिरफ्तार ले जाने देते होंगे । वहां जंगल हैं । वे इधर उधर घूमते हैं और उनमें मुठभेड़ हो जाती है, हो सकता है कि दोनों ओर से गोलियां भी चलती हों, जो नियमित युद्ध या लड़ाई नहीं होती है । भूमि ऊंची नीची होने के कारण छोटी छोटी टुकिड़यों में मुठभेड़ होती है ।

†**श्री कामत :** क्या प्रधान मंत्री सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित यह सूचना निराधार है कि विद्रोही ही नागा नेता फीजो किसी न किसी प्रयोजन से पाकिस्तान से सम्पर्क स्थापित कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं सभा को इस बारे में कसे आश्वासन दे सकता हूं कि फीजो क्या करता है और क्या नहीं करता है ?

†**श्री कामत :** क्या उन्हें कोई जानकारी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है कि उसने पाकिस्तान अथवा अन्य किसी विदेशी शक्ति से सम्पर्क स्थापित किया है; स्पष्ट है कि वह चुपके चुपके क्या करता है, यह मैं नहीं जानता ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या प्रधान मंत्री को इस बात की सूचना है कि कुछ शिकायतें की गई हैं कि इन सैनिक कार्यवाहियों से निर्दोष ग्रामीणों और स्त्रियों तक की स्थिति अव्यवस्थित हो जाती है । ऐसी बातें न हों इसकी गारंटी देने के लिये प्रधान मंत्री क्या कर रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** किन्तु विपक्षियों से उनकी स्थिति उससे भी अधिक अव्यवस्थित हो जाती है और हम उन्हें संरक्षण देने और उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारे निर्देश यह हैं कि उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाये और उनकी रक्षा की जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती खोंगमेन** : सरकार ने गांव के मुखियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये, अब तक क्या कार्यवाही की है, जो इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति और शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण व्यक्ति समझे जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : की गई कार्यवाहियों को विस्तार में बताना कठिन है। वास्तव में, स्वयं फीजो के गांव में लोगों ने आपस में मिलकर उसकी हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिये उसे बुरा भला कहा है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये टैक्निकल संस्थायें

†*१९४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पश्चिमी जर्मन सरकार और अमरीका के फोर्ड फाउन्डेशन से छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये टेक्निकल संस्थायें स्थापित करने के लिये किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) इस सहायता से कितनी प्रविधिक संस्थायें स्थापित की जाने वाली हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) फोर्ड फाउन्डेशन ने छोटे पैमाने के उद्योगों की सेवा संस्थाओं के लिये सामान खरीदने, विदेशी प्रविधिज्ञों की भर्ती करने और विशिष्ट कार्यों के लिये संस्था से सम्बद्ध किये जाने वाले परामर्शदाताओं के लिये भी वित्तीय सहायता की है। इन संस्थाओं के लिये पश्चिमी जर्मन सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि के अन्त तक और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संस्था उसके शाखा एकक सहित स्थापित करने का विचार है। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में बहुत से औद्योगिक विस्तार केन्द्र होंगे।

†**डा० राम सुभग सिंह** : फोर्ड फाउन्डेशन से सहायता रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रारम्भ में उसने १,८०,००० डालर देने के लिये कहा था और संस्था आदि के लिये सामान खरीदने के लिये बाद में १३ लाख डालर और देने के लिये कहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या उस राशि का उपयोग किया गया है और यदि हां, तो ये संस्थायें कहां स्थापित की जा रही हैं ?

†**श्री कानूनगो** : स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया है। ४ प्रादेशिक संस्थायें ये हैं : एक कलकत्ता में, एक बम्बई में, एक दिल्ली में और एक मथुरा में है।

†**श्री ए० एम० थामस** : इन टेक्निकल संस्थाओं के विशद उपयोग की जांच करने के लिये डा० स्टेली की देख रेख में एक विशेष जांच टीम नियुक्त की गई थी। क्या उक्त टीम ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लिया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री काननगो** : डा० स्टेली के ठीक ठीक कार्य वे नहीं थे जो माननीय सदस्य समझते हैं। यह टीम विशिष्ट उद्योगों की देख भाल कर रही हैं और उसने तीन चार प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

†**श्री तिम्मय्या** : कितने विदेशी प्रविधिज्ञों को बुलाया जा रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : केवल अवसर आने पर देखा जायेगा। अभी तक उनमें से ६ या ७ हमारे पास हैं। उनमें से कुछ ने अपना कार्य पूरा कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हर राज्य में एक इंस्टीट्यूट खोला जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि ये इन्स्टीट्यूट जिन स्थानों पर खोले जायेंगे उनका चुनाव राज्य सरकारें करेंगी या केन्द्रीय सरकार या कोई और करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : यह किसी खास सरकार की राय पर निर्भर नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल कर चुनाव करेंगी।

†**श्री राघवैया** : क्या इन राशियों का भुगतान हमें व्याज सहित करना होगा, और यदि हां, तो व्याज की दर क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह व्याज सहित वापस भुगतान किया जाने वाला ऋण है ?

†**श्री कानूनगो** : यह ऋण नहीं भेंट है।

रेलों के लिये इस्पात

†*१९४८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों के लिये १९५६-५७ में की दस लाख टन इस्पात की मांग को किस प्रकार पूरा किया जायेगा; और

(ख) उक्त काल में आयात किये गये इस्पात की कितनी मात्रा रेलों के लिये आवंटित की जाने वाली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). १९५६–५७ में रेलों के लिये लोहे और इस्पात की मांग दस लाख टन है। इसमें ८४०,००० टन इस्पात और १६०,००० टन कच्चा लोहा सम्मिलित है। इसके अलावा पिछले वर्ष आवंटित की गई मात्रा में से लगभग ३००,००० टन देना शेष है। इस्पात की मांग में से ३००,००० टन देश के उत्पादन से और शेष की पूर्ति आयात द्वारा करने का विचार है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : कुछ समय पहले हमें बताया गया था कि रेलों को थामस इस्पात इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है और उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : कुछ समय पहले माननीय सदस्य ने अथवा उसी तरफ के किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था। मैं ने कहा था कि रेलें थामस किस्म के इस्पात का प्रयोग करने के लिये सहमत हो गई हैं। मैं अभी यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि रेलें इस प्रकार के इस्पात का इस्तेमाल करने में सन्तुष्ट हैं क्योंकि हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुये हैं कि इस्पात खरीदने के लिये शिष्टमण्डल विदेश भेजा जा रहा है। क्या वह शिष्टमण्डल भारत से भेज दिया गया है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : ये सामान्य घटनायें हैं। मैं समझता हूं कि अल्प सम्भरण के मामले में हम शिष्टमण्डल भेजते हैं। एक शिष्टमण्डल हम विदेश भेज चुके हैं और शायद कुछ और शिष्ट-मण्डल भेजने पड़े। यदि माननीय सदस्य उस शिष्टमण्डल की बात कह रहे हैं जो रेलों के लिये खरीदारी करने जा रहा है, तो वह अभी नहीं गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाभिकीय वैज्ञानिकों की अमरीकी टीम

†*१९४९. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई अमरीकी टीम जिसमें नाभिकीय वैज्ञानिक हैं भारत के अणु सर्वेक्षण सम्बन्धी दौरे में दिल्ली आई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस टीम द्वारा किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). नाभिकीय वैज्ञानिकों की एक अमरीकी टीम ने अप्रैल, १९५६ के तीसरे सप्ताह में भारत का दौरा किया था। अमरीका की ब्रूकेहेवेन नेशनल लेबोरेटरी ने कोलम्बो योजना वाले देशों में इस टीम को भेजा था। अमरीकी सरकार द्वारा फिलिप्पाइन्स में एक नाभिकीय गवेषणा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में यह किया गया था।

टीम ने इस प्रस्ताव पर योजना आयोग और अणु शक्ति विभाग से चर्चा की थी। उसने टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, भारतीय कैंसर गवेषणा केन्द्र, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और देश की अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं को देखा था।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या मनीला में केन्द्र की स्थापना के अवसर पर भाग लेने के लिये भारत को निमंत्रित किया गया था, और यदि हां, तो हमने किस प्रकार भाग लिया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस केन्द्र में भारत के भाग लेने का कोई प्रश्न नहीं। यह निर्णय संयुक्त राज्य सरकार द्वारा स्वेच्छा से किया गया था और भारत से और जहां तक हमें मालूम है स्वभावतः किसी दूसरे देश से इसका उल्लेख नहीं किया गया था। स्वभावतः हम एशिया में कहीं भी गवेषणा केन्द्र की स्थापना का स्वागत करते हैं, किन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अपने काम में व्यस्त हैं, जो अधिक भारी है। यदि दूसरे गवेषणा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं तो हम उनके द्वारा किये जाने वाले काम के साथ अपना सम्बन्ध और सहयोग बढ़ायेंगे, किन्तु हम उनको चलाने के उत्तरदायित्व में भाग नहीं ले सकते।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यूरोटाम के आधार पर समस्त एशिया में संगठित गवेषणा की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। इस समय, जहां तक मुझे मालूम है, केवल भारत और जापान में ही यह काम कुछ उन्नति पर है।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या यह केन्द्र दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दे रहा है और क्या सरकार इस केन्द्र में कुछ नाभिकीय वैज्ञानिक भेजने का इरादा रखती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे मालूम है, प्रश्न यह है कि क्या हमारे प्रशिक्षित व्यक्ति उस केन्द्र में उनके लोगों को प्रशिक्षण देंगे, वहां प्रशिक्षण लेने के लिये जाने का प्रश्न नहीं है; हम इस विषय में अधिक उन्नत हैं। यह उन्नत केन्द्र अभी स्थापित नहीं हुआ है। हम यहां लोगों को प्रशिक्षण देते हैं और जो केन्द्र हम स्थापित कर रहे हैं, उन में एशिया के दूसरे देशों के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये हमने कहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

†*१९५३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में विभिन्न राज्य सरकारों, वाणिज्य और उद्योग, उत्पादन मंत्रालयों और रेलवे की विद्युत् की अधिकतम मांगों का सर्वेक्षण किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध विद्युत् इस मांग को कहां तक पूरी कर सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४४]**

†**श्री एल० एन० मिश्र** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी बिजली तैयार होने की आशा की जाती है और कुल कितनी मांग की आशा की जाती है ?

†**श्री हाथी** : ३४ लाख किलोवाट बिजली अधिक तैयार की जायगी और दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर कुल ६८ लाख किलोवाट होगी।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : पहली योजना में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं से जितनी बिजली तैयार की गई थी, क्या वह सारी उपयोग में लाई जा चुकी है, अथवा कुछ विद्युत शक्ति बच गई है।

†**श्री हाथी** : यदि हम समग्र दृष्टि से देखें, तो हम देश में तैयार की गई बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु यदि हम प्रत्येक योजना को पृथक्-पृथक् लें, तो कुछ परियोजनाओं की बिजली का हम पूर्ण उपयोग नहीं कर सके हैं और कुछ योजनाओं में हम पूर्ण उपयोग कर सकें हैं। समूची स्थिति यह है कि तैयार की गई बिजली प्रयोग में लाई जा रही है।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : पंजाब और पेप्सू में बिजली की बहुत कमी है, और बिजली देने के घंटे कम कर दिये गये हैं, तथा उद्योग और कृषि के लिये बिजली की मांग बढ़ रही है, क्या इन तथ्यों के कारण सरकार भाखड़ा में बिजली तैयार करने के पांच सेटों के स्थान पर नौ सेट लगाने की उपयोगिता पर विचार करेगी ?

†**श्री हाथी** : सम्भवतः भाखड़ा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा उस मामले पर विचार किया गया है, और जब बिजली का भार बढ़ जायगा, तब अधिक सेट लगा दिये जायेंगे।

†**श्री पुन्नूस** : जब बिजली की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है, तब क्या किसी राज्य विशेष की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है या कुछ राज्यों की अथवा उस समस्त क्षेत्र की, जहां विद्युत् का उपयोग किया जा सकता है ? क्या दक्षिण भारत में, त्रावनकोर-कोचीन में कुछ परियोजनायें इस कारण रोक दी गई हैं कि उस राज्य में तुरन्त बिजली की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री हाथी** : इस प्रश्न पर विचार करने के दो या तीन रास्ते हैं। एक है राज्यवार भार सर्वेक्षण दूसरा है प्रदेशवार भार सर्वेक्षण; तीसरा है सम्बद्ध परियोजना की आर्थिक स्थिति। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, अधिकतर राज्यों ने भार सर्वेक्षण किया है। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग भी प्रदेशवार सर्वेक्षण कर रहा है और प्रत्येक परियोजना के आर्थिक परिणामों के आधार पर उस परियोजना का निश्चय किया जाता है।

हिमालय में बाढ़ नियन्त्रण सर्वेक्षण

*१९५६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ६ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ रोकने की दृष्टि से सारे हिमालय प्रदेश का सर्वेक्षण कराने का जो निश्चय किया गया था, उस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : हिमालय के नीचे के हिस्से की पहाड़ियों में स्थित खास खास क्षेत्रों का ही सर्वेक्षण किया जा रहा है। मार्च १९५५ के मध्य तक की प्रगति उस विवरण में

†मूल अंग्रेजी में

दी गई थी जिस का निर्देश ६ अप्रैल, १९५५ में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९७४ के उत्तर में था। बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले सर्वेक्षण और अनुसन्धान की मार्च १९५६ के अन्त तक की प्रगति का विवरण सभा पटल पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४५]**

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था सर्वेक्षण का उसके पूरा होने में अभी काफी देरी है। मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कितने समय के अन्दर यह सर्वेक्षण पूरा हो जायगा और वास्तविक बाढ़ नियन्त्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री हाथी : हम एक साल भर के लिये लक्ष्य निश्चित करते हैं। इसका कारण यह है कि सारा हिमालय प्रदेश कोई ५०,००० मील में फैला हुआ है और इस सारे प्रदेश का सर्वेक्षण होना है। इसमें बहुत ज्यादा देर लगेगी। इस वास्ते एक-एक साल के लिये टारगेट निश्चित किये जाते हैं। खास खास नदियों के सर्वेक्षण का काम आगे बढ़ रहा है। अभी पांच सात साल इस काम के पूरा होने में लग जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और यू० पी० की राज्य सरकारों ने इस कार्य में सहयोग दिया है और वहां सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। चूंकि हिमालय का सम्बन्ध तिब्बत, नेपाल, भूटान और सिक्किम सरकारों से भी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां की सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में सहयोग दिया है या दे रही हैं और क्या वहां भी काम चल रहा है ?

श्री हाथी : जी हां, नेपाल की सरकार सहयोग दे रही है और वहां भी काम चल रहा है।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैदानों में बाढ़ नियन्त्रित करने के लिये वन लगाने के सम्बन्ध में कोई व्यापक योजना बनाई गई है ?

†**श्री हाथी** : यह प्रश्न हिमाचल क्षेत्र के सर्वेक्षण से सम्बन्धित है। वन लगाना एक अलग विषय है किन्तु वह भी महत्वपूर्ण विषय है क्या उसका अध्ययन किया जा रहा है।

श्री विश्व नाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि घागरा और गंडक नदियों के बारे में जो सर्वेक्षण होना है उसकी क्या स्थिति है ?

श्री हाथी : गंडक के बारे में गोरखपुर की बगल में जो नेपाल की सीमा है इसमें काम हो रहा है और मेरे ख्याल से घागरा के बारे में भी एक पार्टी नेपाल में गई हुई है और सर्वेक्षण कर रही है।

श्री भक्त दर्शन : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसमें मैंने यह जानना चाहा था कि क्या तिब्बत, नेपाल, भूटान और सिक्किम की सरकारें पूरा सहयोग दे रही हैं ? इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने नेपाल का ही उल्लेख किया है और कहा है कि वहां से सहयोग मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य राज्यों के बारे मे क्या स्थिति है ? क्या वहां की सरकारें भी सहयोग दे रही हैं ?

श्री हाथी : सिक्किम ने हमें परवानगी दे दी है। आम तौर से खास काम हम करना चाहते हैं इसके लिये ही सम्मति दी गई है। तिब्बत में भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। भूटान में जो कुछ काम हो रहा है इसको करने के बारे में भी सम्मति दे दी गई है लेकिन यह सम्मति पूरा काम करने के लिये नहीं है। जो काम हम करना चाहते हैं, उसके लिये ही सम्मति दी गई है।

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजक

†*१९५८. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के हिन्दुओं को ढाका स्थित भारतीय उप आयुक्त द्वारा प्रव्रजन प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वी पाकिस्तान से आने की इच्छा रखने वाले प्रव्रजन कर्त्ताओं के बारे में सरकार की क्या नीति है और क्या व्यवहार है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) से (ग). जी, नहीं। प्रत्येक मामले का उचित परीक्षण करने के उपरान्त जहां इन सुविधाओं का दिया जाना नियमाधीन होता है, वहां प्रव्रजन प्रमाणपत्र देने से इनकार नहीं किया जाता।

तथापि सरकार की नीति सदा यही रही है कि पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यक समाज के भारत में आगमन को प्रोत्साहन न दिया जाय। पाकिस्तान सरकार से बार बार कहा गया है कि वह पूर्वी पास्किातान में इस सामूहिक निष्क्रमण को रोकने के लिये उचित परिस्थितियां पैदा करे। ढाका स्थित भारत के उप उच्च आयुक्त को भी ये अनुदेश दिये गये हैं कि वह अल्प संख्यक लोगों को पूर्वी पाकिस्तान में रहने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न करें। किन्तु जब अल्प संख्यक समाज के व्यक्ति भारत आने के लिये अनुरोध करते हैं; तो प्रत्येक मामले का उचित परीक्षण करने के पश्चात उनको प्रमाणपत्र जारी कर दिये जाते हैं।

†**श्री कामत** : क्या यह सच नहीं है कि ८ अप्रैल, १९५० के नेहरू-लियाकत अली समझौते की शर्तों के अधीन, पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में, और विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में अल्प-संख्यकों का पूरा उत्तरदायित्व लिया था और उनके जीवन, सम्पत्ति और मान की रक्षा करने का वचन दिया था, और यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री सभा को बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने समझौते के अपने भाग का पालन किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां। समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों सरकारों ने अपने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व लिया था। हमारे विचार में, पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल में उस समझौते का पूरी तरह पालन नहीं किया है। किन्तु यह कोई विवाद ग्रस्त बात नहीं है। **तथ्य** बताते हैं कि पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक अपने को प्रसन्न और सुरक्षित अनुभव नहीं करते, इसलिये वे बड़ी संख्या में भारत आ रहे हैं। इस तथ्य से ही उन की प्रतिक्रिया और भावना मालूम हो जाती हैं।

†**श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री सभा को बता सकते हैं कि क्या पुनर्वास मंत्री श्री मेहरचन्द खन्ना और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री विश्वास द्वारा सभा में हाल में दिये गये वक्तव्यों के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमण की स्थिति इतनी भीषण नहीं रही है, जितनी पहले बताई जाती थी, और इस में सुधार हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि निष्क्रमण के वास्तविक आंकड़े कुछ कम हो गये हैं किन्तु इस थोड़े अन्तर का मूल प्रश्न पर कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ता। हो सकता है कल कुछ अधिक हो। वे अब कुछ कम हैं, परन्तु फिर भी काफी हैं।

†**श्री कामत** : ढाका में होने वाले मंत्री-सम्मेलन की कार्य सूची क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कार्य-सूची में मुख्य मद यह निष्क्रमण है। यह मुख्य विषय है कि इस को कैसे रोका जाय। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं के बारे में दूसरे निलंबित मद हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात के प्रतिधारण और विक्रय मूल्य

†*१९६०. **श्री टी० बी० विट्ठलराव :** क्या **वाणिजय और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५६ से रेलवे के भाटक प्रभारोंमें वृद्धि होने के कारण इस्पात के प्रतिधारण मूल्य को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप इस्पात के विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) तथा (ख). लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन को भाड़े के लिये उपलब्ध राशि पर इस्पात पर रेलवे के बढ़े हुये भाड़े के प्रभाव को देखा जा रहा है । परन्तु प्रश्न में जिस बात का संकेत किया गया है उस दिशा में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठलराव :** क्या टिस्को (टाटा लोहा और इस्पात निगम) ने सरकार के पास ऐसी वृद्धि के लिये कोई अभ्यावेदन भेजा है ?

†**श्री कानूनगो :** अभी नहीं ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या सरकार को विभिन्न स्थानों से अतिरिक्त प्रति टन के बारे में, जिस से विभिन्न स्थानों के निर्माताओं को कठिनाई होती है, स्थान परिवर्तन के लिये मांग प्राप्त हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** अतिरिक्त स्थानों का निश्चय फिलहाल हो गया है । अन्य सार्थों से निवेदन अथवा अभ्यावेदनों के होते हुये भी अन्य बातों पर विचार किया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम

†*१९६२. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम में आवश्यकता से अधिक जो कर्मचारी हैं, उन को खपाने के लिये पहले से ही क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस शिकायत के बारे में कोई जांच की गई है कि दामोदर घाटी निगम के किसी एक विभाग विशेष में कर्मचारियों की छंटनी कर उसी प्रकार के अन्य स्थानों की पूर्ति करने के लिये अन्य विभागों में नये व्यक्ति भर्ती किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) माननीय सदस्य का ध्यान ३ तारीख को मेरे द्वारा लोक-सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) और (ग). जी हां, निगम के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** अतिरिक्त व्यक्तियों को काम देने के लिये जो समन्वय समिति काम कर रही है उसकी रचना किस प्रकार होती है ?

†**श्री हाथी :** उक्त समिति में बंगाल और बिहार सरकार की सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं । दामोदर घाटी निगम का भी प्रतिनिधि उसमें होता है । हमने यहां से एक विशेष पदाधिकारी की भी नियुक्ति की है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वहां की संस्थाओं ने उस समिति में प्रतिनिधित्व के लिये निवेदन किया था और यदि हां, तो क्या उस पर विचार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी वर्ग के कुछ प्रतिनिधि यहां आये थे । वे सिंचाई और विद्युत् मंत्री से मिले । उस सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम के लिये कुछ निदेश जारी किये गये थे ।

†**श्री एस० सी० सामन्त :** क्या इस समिति को नियुक्ति दामोदर घाटी निगम में कितने पदों की आवश्यकता है इसका पता लगाने के लिये की गई है ?

†**श्री हाथी :** जी, हां ।

कोसी पश्चिमी बन्ध

†***१९६४. श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी कोसी बांध पर के कुछ गांवों ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग द्वारा प्रस्तावित बांध को एक लाइन में लगाने का विरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन गांवों ने इसका विरोध किया;

(ग) उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा कोसी प्रशासन ने उनमें से कुछ गांवों के लिये संरक्षणात्मक उपाय करने का वचन दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो कथित आश्वासन को कार्यरूप में परिणत करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) वे गांव मट्टास, तारदोहा, बखराइन और कुछ अन्य हैं।

(ग) गांव बांध के दूसरे तट पर हैं और बांध बन जाने के परिणामस्वरूप लोग इस बात से डरते हैं कि उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(घ) गांववासियों को बताया गया था कि संरक्षणात्मक कार्यों का पता लगाया जायेगा और जहां तक सम्भव होगा उन्हें किया जायेगा ।

(ङ) कुछ धाराओं के मुहानों को, जैसे अलोला, टारडीह और कुशियाली, जो कोसी से निकलती हैं और गांव वासियों पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, बन्द किया जा रहा है, टारडीह गांव के बारे में संरक्षण देने के लिये एक छोटी पहाड़ी सी बनाने का विचार किया गया था किन्तु पूना गवेषणा स्टेशन में किये गये प्रयोगों के परिणामस्वरूप यह पता लगा है कि पहाड़ी बांध और नीचे के गांवों के लिये हानिकर सिद्ध हो सकती है । वैकल्पिक संरक्षणात्मक उपायों का अध्ययन किया जा रहा है और उपयुक्त संरक्षणात्मक उपाय का पता लगते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

†**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या गांव के आस पास सीमान्त बाधों के उपबन्ध की परीक्षा की गई थी ?

†**श्री हाथी :** इसकी परीक्षा की गई थी । प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि जल टकराकर वापस लौटेगा जो अगले गांव के लिये हानिकर हो सकता है । इस प्रकार अनेक बांध बनाने पड़ेंगे जो अत्यधिक महंगे होंगे और हो सकता है कि वे प्रयोजन भी सिद्ध न कर सकें ।

†**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या सरकार उन लोगों को पुन: बसाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जिन पर इन चीजों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ?

†**श्री हाथी :** यदि किये गये उपाय पर्याप्त न हुये तो, अन्य उपायों पर विचार करना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनेवा करार

†*१९६६. **श्री कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लन्दन से भेजे गये दिनांक १० अप्रैल के रायटर के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटेन का शासकीय मत यह है कि दक्षिण वियत नाम हिन्द-चीन सम्बन्धी १९५४ के जेनेवा करार के निबन्धनों से बाध्य नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इंग्लिस्तान सरकार द्वारा भारत को इस प्रकार की जानकारी करा दी गई है ।

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

†**श्री कामत :** इंग्लिस्तान सरकार किन कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दक्षिणी वियत-नाम १९५४ के जेनेवा करार के निबन्धनों से बाध्य नहीं है ? क्या ये कारण सरकार को बता दिये गये हैं और यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री को ये कारण उचित अथवा युक्तियुक्त जान पड़ते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं इस मामले में इस समय ऐसी बहस में पड़ना पसन्द नहीं करूंगा । जेनेवा सम्मेलन के दो सह-सभापति हैं । उनकी अभी भी लन्दन में बैठक हो रही है और वे हिन्द-चीन के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । हमारा उनसे और अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों के सभापति से पत्र व्यवहार होता रहता है । अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रम पर सम्बन्धित सरकार से ऐसे विवादास्पद मामले में पड़ना मेरे लिये बांछनीय नहीं होगा ।

†**श्री कामत :** क्या यह सच नहीं कि फ्रांसीसी सेनायें दक्षिणी वियतनाम को या तो छोड़कर चली गई हैं अथवा हाल ही में जाने वाली हैं और क्या भारत से, जो अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण आयोग का सभापति है : इंग्लिस्तान सरकार के सह-सभापति ने यह प्रार्थना की है कि वह दक्षिणी वियतनाम अथवा वियतनाम में निर्वाचन के लिये नियत तिथि के बाद भी कार्य करता रहे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सच है कि फ्रांसीसी सेनायें वापस लौट गई हैं । यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों से दोनों सह-सभापतियों से निवेदन किया है कि वे अभी वहीं बने रहें और अन्तर्राष्ट्रीय आयोग, फिलहाल, जब तक कि कुछ समस्याओं का हल नहीं निकल आता, जो उन्होंने दो सह-सभापतियों को बताये हैं, ऐसा करने को सहमत हो गये हैं अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों के सभापति ने बताया है कि जब तक कुछ सन्तोषजनक कार्यवाही न की जाय वे उचित रूप से कार्य नहीं कर सकेंगे । उनके यह कहने से कोई लाभ नहीं कि वे कार्य कर सकते हैं, जब कि वे कार्य नहीं कर सकते । अतः इस बारे में दो सह-सभापतियों के किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री कामत :** क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने दो सह-सभापतियों को यह सुझाव दिया है कि दक्षिणी वियत नाम में और उत्तरी वियतनाम में यदि जुलाई, १९५६ में निर्वाचन न हों सकें तो बाद में हो सकते हैं ? क्या इस प्रकार का प्रस्ताव किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सुझाव देना मेरा काम नहीं है किन्तु मेरा विश्वास है कि यह विचार रखा गया था कि यदि जेनेवा करार के आभारों और सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो बाद में चुनाव आसानी से करने का प्रबन्ध किया जा सकेगा ।

†**श्री साधन गुप्त :** अब वे फ्रांसीसी सेनायें वापस लौट गई हैं जिन्हें आयोग के सदस्यों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया था । अब दक्षिणी वियतनाम में आयोग के सदस्यों की कैसी स्थिति है; क्या उनकी सुरक्षा खतरे में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**बिना विभाग के मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : अभी सारी फ्रांसीसी सेनायें वापस नहीं गई हैं। वापस जाने का काम वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार जून के अन्त तक पूरा होगा। हमें हाल ही में सूचना मिली है कि इसके वापस जाने पर ध्यान दिये बिना; दक्षिणी वियतनाम सरकार की प्रार्थना पर फ्रांसीसी सरकार दक्षिणी वियतनाम में एक फ्रांसीसी सैनिक मिशन बनाये रखने के लिये सहमत हो गई है। फ्रांसीसी सरकार ने हमें यह भी बताया है कि ३० जून तक वह आयोग को यातायात, आवास, और सैनिक आदि की सहायता देती रहेगी। दक्षिणी वियतनाम सरकार ने भी अपनी ओर से घोषणा की है कि वह आयोग के कर्मचारी वर्ग को संरक्षण देगी। किन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने अभी कहा है जब तक सह-सभापति अन्तिम हल नहीं बताते तब तक इन कार्यों को यथा सम्भव अच्छे से अच्छे ढंग से किया जा रहा है।

†**श्री कामत** : कुछ समय पूर्व, जब कि फ्रांसीसी वैदेशिक मंत्री, एम० पीनू यहां थे, तो क्या उन्हें प्रधान मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि वे दक्षिणी वियतनाम से कहें कि वह जेनेवा करार के दायित्वों को स्वीकार कर लें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं व्यक्तिगत चर्चा नहीं करना चाहता किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दक्षिणी वियतनाम सरकार और फ्रांसीसी सरकार के सम्बन्ध अत्यधिक मैत्रीपूर्ण नहीं थे, यह मेरे लिये सम्भव नहीं था कि मैं उनमें से किसी एक से कहूं कि वह दूसरे से किसी बात के मानने के लिये कहे।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या अमरीकी सरकार, जिसका दक्षिणी वियतनाम सरकार पर अत्यधिक प्रभाव है, सम्मेलन के दो सह-सभापतियों को सहयोग दे रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अमरीकी सरकार निःसंदेह हिन्द-चीन में और समस्या के हल में अधिक रुचि रखती है, किन्तु जहां तक जेनेवा सम्मेलन का सम्बन्ध है, अमरीकी सरकार का किये गये निर्णयों से अधिक घनिष्ट सम्बन्ध नहीं था। इसका हल ढूंढ निकालना दो सह-सभापति का काम है।

सामुदायिक परियोजनायें

†*१९२६. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में प्रचार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सामुदायिक परियोजनाओं में प्रचार कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के सम्पूर्ण एकीकृत प्रचार कार्यक्रम का एक भाग है और उसका प्रबन्ध सभी मध्यमों और सामुदायिक परियोजना प्रशासन की भी सहायता से किया जाता है। कार्यकलापों के विशद शीर्षक दिखाने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४६**]।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि इसमें जो प्रचार के दस उपाय बताये गये हैं उनके फलस्वरूप योजना को पहले से अधिक बल मिलने लगा है ?

श्री करमरकर : जहां तक हम जानते हैं इन उपायों से हमको काफी सहयोग मिला है और यह उपाय जनता में ज्यादा उत्साह और जागरूकता पैदा करने में सफल हुये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये नमूने की योजनायें

†*१९६३. **श्री भक्त दर्शन** (**श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से**): क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास आयोग के कार्यालय ने छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कोई नमूने की योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई नमूने की योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या रुचि रखने वाले दलों को नमूने की योजनायें उपलब्ध कराई गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री** (**श्री कानूनगो**) : (क) और (ग). जी, हां ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४७]**

श्री भक्त दर्शन : इस स्टेटमेंट को देखने से ज्ञात होता है कि इन योजनाओं को नई दिल्ली, मद्रास और एक अन्य स्थान पर चालू करने का विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की योजनायें देश के अन्य भागों के लिये भी बनायी जा रही हैं और इसके लिये लोगों को किस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : मैंने पहले एक सवाल के जवाब में बतलाया था कि ये इंस्टीट्यूट देश के चार कोनों में बनाये जायेंगे और हर स्टेट के लिये पांच बेरेस में ब्रांच इंस्टीट्यूट बनेंगे ।

दर और लागत समिति

†*१९३१. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित दर और लागत समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री** (**श्री हाथी**): (क) जी, हां ।

(ख) दर और लागत समिति के प्रतिवेदन के भाग १ में दी गई सिफारिशों का सारांश बताने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४८]**, प्रतिवेदन का भाग २ गणना प्रक्रिया और उन तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में है जो संविधान के अनुच्छेद १५० के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और इसी कारण भाग २ का निर्देश आवश्यक कार्यवाही के लिये नियन्त्रक महा लेखा-परीक्षक को किया गया है ।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : क्या प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या १९ की, जिस में कहा गया है कि समन्वित विकास तथा जनशक्ति तथा सामान की बचत के लिये नदी घाटी योजनाओं को केन्द्र का विषय बना लिया जाये, सरकार ने परीक्षा की है, यदि हां, तो सरकार किस निष्कर्ष पर पहुंची है ?

†**श्री हाथी** : प्रतिवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया गया है । पहले इस पर गोष्ठी में चर्चा होगी और उसके पश्चात् उसे बोर्ड के सम्मुख रखा जायेगा । अभी तक उस पर चर्चा नहीं हुई है ।

रेडक्लिफ पंचाट

†*१९३७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार भारत के उन गांवों के नाम और संख्या क्या है जो पंजाब में रावी और सतलुज नदी के उस पार हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या भारतीय सरकार का इन गांवों पर कोई प्रभावी नियन्त्रण है;

(ग) यदि नहीं, तो इन गांवों में कितने लोग सीमान्त की स्थिति के कारण नहीं रह सके और उन्हें बाध्य होकर अपने घर छोड़ने पड़े; और

(घ) क्या उन लोगों की रक्षा और पुनर्वास के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) इन गांवों के नाम और संख्या के बारे में भारत सरकार के पास जानकारी नहीं है परन्तु लगभग ४६,००० एकड़ क्षेत्र जो रेड-क्लिफ पंचाट के अधीन भारत का है, रावी और सतलुज के पाकिस्तानी तट पर है ।

(ख) विभाजन के तुरन्त पश्चात दोनों देशों के क्षेत्र सेनापतियों ने इन दोनों नदियों के (सिवाय जहां उन पर पुल है) अन्तिम सीमांकन तक के लिये वास्तविक सीमा मानने के लिये अनौपचारिक करार किया था । तब से यह करार की यथास्थिति का आधार है । इसके फलस्वरूप नदियों के दूसरी ओर के बहुत से भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हैं और इधर के पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के अधीन हैं ।

(ग) और (घ). ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं । विभाजन के तुरन्त पश्चात नदियों के पाकिस्तानी तट पर के भारतीय गांवों के कुछ निवासी भारत की ओर आ गये होंगे ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या इन ग्रामीणों की सहायता अथवा इनके पुनर्वास के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम तो यह भी नहीं जानते कि कोई व्यक्ति इस पार आया है अथवा नहीं । पुनर्वास आदि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गोल्ड कोस्ट में भारतीय प्रदर्शनी

†*१९२८. **श्री वोडयार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गोल्ड कोस्ट में पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी का प्रबन्ध करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रदर्शनी और किन स्थानों पर जायेगी; और

(ग) प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) हां श्रीमान् ।

(ख) यह प्रदर्शनी नाईजेरिया में एक और स्थान लागोस जाएगी;

(ग) इसका उद्देश्य निर्यात योग्य निर्मित वस्तुओं विशेषतः कपास और रेशम के कपड़ों, हाथ की बनी वस्तुओं और छोटे पैमानों के उत्पादों का दृश्य वाणिज्य प्रचार करक निर्यात व्यापार का संवर्धन करना है ।

आर्थिक तथा औद्योगिक गवेषणा संस्था

†*१९२९. **श्री शिव मूर्ति स्वामी**
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक आर्थिक तथा औद्योगिक गवेषणा संस्था स्थापित करने की योजना बना रही है; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस संस्था को स्थापित करने के लिये विदेशी सहायता मांगी जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). सरकार इस प्रकार की संस्था स्थापित करने के लिये योजना नहीं बना रही। यह पता लगा है कि निकट भविष्य में इस प्रकार की एक गैर सरकारी संस्था स्थापित होने वाली है।

सीमा घटनायें

†*१९३२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** नवम्बर १९५३ में पूर्निया (बिहार) सीमांत क समीप पाकिस्तान पुलिस द्वारा एक भारतीय राष्ट्रजन के गोली से मारे जाने के सम्बन्ध में १५ दिसम्बर, १९५५, को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने उन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में अन्तिम निर्णय क्या किये गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तथा (ख). यह विषय अभी पाकिस्तान सरकार के पास विचाराधीन है जिन्होंने घटना की संयुक्त जांच पर अपने प्रतिनिधियों द्वारा दी गई उपपत्तियों पर अपना निर्णय अभी नहीं भेजा।

व्यापार चिन्ह जांच समिति

†*१९३४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न २३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार चिन्ह जांच समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान्। समिति के प्रतिवेदन की अभी जांच हो रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण

†*१९३५. **श्री एस० धी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में हाल में वाशिंगटन में हुई १२ राष्ट्रों की वार्ता में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के प्रारूप परिनियम पर विचार करने के लिये बारह राष्ट्रों की समिति की बैठक २७ फरवरी, १९५६ को वाशिंगटन में आरम्भ हुई थी परन्तु बाद में स्थगित हो गई। बैठक पुनः १० अप्रैल, १९५६ को होनी थी। बैठकों का पूरा प्रतिवेदन अभी नहीं मिला।

(ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रारूप परिनियम में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया है:

(१) कि अभिकरण का संयुक्त राष्ट्र से समीप का सम्बन्ध होना चाहिये और उसे नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र की महा-सभा को तथा जब उपयुक्त हो तो सुरक्षा परिषद् और आर्थिक

†मूल अंग्रेजी में

तथा सामाजिक परिषद् को प्रतिवेदन देना चाहिये। (इस उद्देश्य की पूर्ति वाशिंगटन और न्यूयार्क की बैठकों में सर्व सम्मिति से हो गई थी)

(२) कि अभिकरण के गवर्नरों के बोर्ड की रचना न्याय्य भौगोलिक आधार पर होनी चाहिये जिस में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों विशेषत: एशिया और अफ्रीका के पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिये। गवर्नरों के बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हुआ यद्यपि इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है।

(३) कि अभिकरण उस प्रगति को न रोक सके जो कोई देश अथवा देशों का समूह अभिकरण की सहायता के बिना स्वयं स्फूर्त्ति से करे। दूसरे शब्दों में अभिकरण की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिये कि वह एक नियंत्रक की तरह कार्य करे।

(४) कि सुरक्षा और निरीक्षण के उचित उपबन्ध होने चाहिये और यह निश्चित होना चाहिये कि अभिकरण द्वारा दी गई किसी सहायता का प्रयोग सैनिक प्रयोजन के संवर्धन के लिये न हो। तो भी सुरक्षा और निरीक्षण इतना सख्त नहीं होना चाहिये कि अभिकरण के विखंडतीय धातु के नियंत्रण द्वारा किसी देश के आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण प्राप्त हो जाये या ऐसी हानि-कारक स्थिति उत्पन्न हो जाये जिस से अभिकरण की सहायता प्राप्त करने वाले राज्य उन राज्यों की अपेक्षा जो अभिकरण की सहायता प्राप्त नहीं करते, एक अलग श्रेणी बन जाये।

विदेशी पूंजी

†*१९३६. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय औद्योगिक उपक्रमों में विदेशी पूंजी के प्रतिबन्ध की अनुपातीय सीमा में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह कितनी कम की गई है; और

(ग) ऐसा करने के कारण क्या है ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)** : (क) से (ग). नहीं श्रीमान्। उद्योगों में विदेशी पूंजी लगाने के प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

†*१९३९. **श्री अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह निश्चय किया गया है कि दूसरे महायुद्ध के युद्ध अपराधियों की सूची में नेताजी सुभाष चन्द्र का नाम है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम का युद्ध अपराधियों की सूची में होने का प्रश्न नहीं है और सरकार इस विषय में कोई कार्य नहीं करना चाहती।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†*१९४१. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो विस्थापित लोग त्रिपुरा की सरकारी बस्ती में बस गये हैं उन्हें व्यापार सम्बन्धी ऋण देने का पैमाना क्या है;

(ख) क्या सरकारी बस्ती में बसे विस्थापित व्यक्तियों और उन विस्थापित व्यक्तियों को जो सरकारी बस्ती में नहीं बसे, दी जाने वाली ऋण राशि में अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) सरकार द्वारा बसाई गई बस्तियों में व्यापार सम्बन्धी ऋण का कोई ऐसा पैमाना नहीं है । केवल प्रति परिवार ५०० रुपये की अधिकतम सीमा है जो सरकार द्वारा बसाई गई बस्तियों और अन्य बस्तियों में लागू होती है।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण की वास्तविक राशि का सम्बन्ध वास्तविक आवश्यकताओं से है चाहे वे लोग सरकारी बस्तियों में बसे हों अथवा कहीं और; और ऋण व्यक्तिगत मामले के गुणावगुणों के आधार पर दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नागा पहाड़ियों की स्थिति

†*१९४७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** ३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नागा पहाड़ियों में क्रमश: गिरफ्तार किये गये और अपराधी सिद्ध किये गये ३१४ और १०० लोगों में से गिरफ्तार की गई और अपराधी सिद्ध की गई महिलाओं की संख्या क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : ५४ महिलायें बन्दी बनाई गईं जिन में से ४८ को अपराधी सिद्ध किया गया और अर्थ दण्ड दिया गया ।

विद्रोही नागा

†*१९५०. **श्री बी० एस० मर्त्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों ने २६ मार्च, १९५६ को दो ओवरसियरों को पकड़ लिया था और बाद में छोड़ दिया था;

(ख) उन्हें किन परिस्थितियों में पकड़ा गया और बाद में छोड़ दिया गया; और

(ग) नागा विद्रोहियों से सरकारी कर्मचारियों को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) से (ग). जी, हां । २६ मार्च, १९५६ को सशस्त्र नागाओं ने दो ओवरसियरों को जो सनीस गांव में जा रहे थे अपहृत कर लिया था। वे बाद में सनीस गांव में मुक्त कर दिये गये और १० अप्रैल, १९५६ को कुशलपूर्वक कोहिमा पहुंच गये थे । हिंसापूर्ण लोगों से सरकारी कर्मचारियों के उपयुक्त संरक्षण के लिये साधन अपनाये गये हैं ।

अमेरिका के राष्ट्रपति को निमन्त्रण

†*१९५१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री केशव अय्यंगार :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अमरीका के राष्ट्रपति को भारत आने का निमन्त्रण दिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : जी, हां ।

मद्रास में बिजली के केबलों का कारखाना

†*१९५२. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में शीघ्र ही बिजली के केबलों और तारों के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित किया जा रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अनुमित लागत और कारखान की उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**औद्योगिक विकास मंत्री (श्री एम० एम० शाह)**: (क) और (ख). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन एक जर्मन सार्थ के सहयोग से विसंवाहक तार और केवल निर्माण करने के लिये मद्रास में एक कारखाना खोलने के हेतु एक भारतीय सार्थ की ओर से प्रार्थनापत्र मिला है । उसकी जांच की जा रही है ।

कॉफी

†*१९५४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्ग, मैसूर और मद्रास राज्यों में काफी की कृषि भूमि में वृद्धि करने के लिये, सारी कृषि भूमि का विस्तृत परिमाप करने के हेतु नियुक्त किये गये विशेष पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां श्रीमान्, उत्तर कनारा और कुर्ग के सम्बन्ध में ।

(ख) उसके प्रतिवेदन के अनुसार अनुमान है कि उत्तर कनारा में लगभग २५,००० एकड़ जंगल काफी की कृषि के लिये उपलब्ध हो सकता है ।

कुर्ग के सम्बन्ध में यह अनुमान है कि छोड़े हुये क्षेत्र में से लगभग ११,८०० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है और २४,६०० एकड़ जंगल नई कृषि के लिये उपयुक्त है ।

नेताजी की मृत्यु के बारे में जांच

†*१९५५. **श्री अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेता जी की मृत्यु के बारे में जांच करने के लिये स्थापित की गई समिति ने कुछ साक्षियों को "नेताजी के अदृश्य होने" के बारे में साक्ष्य देने के लिये बुलाया है, जब कि दूसरे लोगों को "नेताजी की मृत्यु की परिस्थितियों" के बारे में साक्ष्य देने के लिये कहा गया है; और

(ख) क्योंकि इन दोनों वाक्यांशों "नेताजी के अदृश्य होने" और "नेताजी की मृत्यु की परिस्थितियों" के अर्थों में बहुत अधिक अन्तर है, क्या ये दोनों वाक्यांश जान बूझकर चुने गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). जहां तक विदित है साक्षियों को समिति के सामने उपस्थित होने के लिये कहने वाले किसी भी पत्र में "नेताजी के अदृश्य होने " इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया ।

समिति के निर्देशपद ये हैं : "१६ अगस्त, १९४५ के लगभग बैंगकाक से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चले जाने की परिस्थितियों, विमान दुर्घटना के कारण उनकी कथित मृत्यु और उससे सम्बन्धित बाद की घटनाओं के बारे में जांच करना और भारत सरकार को उन की सूचना देना ।" ये शब्द सब पहलुओं को लेने के लिये जान बूझ कर चुने गये हैं । साक्ष्य देने के लिये आने के लिये विभिन्न साक्षियों को निवेदन करने के लिये किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह कोई विशेष महत्व की बात नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कास्मिक (ब्रह्मण्ड) रश्मियों का गवेषणा केन्द्र

†*१९५७. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खिलन मार्ग को कास्मिक रश्मियों का गवेषणा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है :

(ख) अहमदाबाद की भौतिक गवेषणा प्रयोगशाला में किये जाने वाले काम क साथ इसको कसे मिलाया जायगा; और

(ग) भारत में कितने कास्मिक रश्मि स्टेशन स्थापित करने का विचार किया गया है और कहां ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान १९५४–५५ के लिये अणु शक्ति विभाग के प्रतिवेदन के पृष्ठ १९ और २० तथा १९५५–५६ के संक्षेप के पृष्ठ ७ की ओर आकर्षित करता हूं, जिसकी प्रतियां सभा पटल पर रखी हुई गई हैं और जिस में काश्मीर में उत्तुंग कास्मिक रश्मि गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के बारे में पूरी तरह स्थिति का वर्णन किया गया है। जैसा कि १९५५–५६ के संक्षेप में लिखा है, मैसर्ज गिलैंडर्ज अरबुथनोट एण्ड कम्पनी लिमिटेड में प्राप्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) रस्सों का मार्ग बन जाने के पश्चात्, स्थायी केन्द्र की स्थापना होने तक, भौतिक गवेषणा प्रयोगशाला अहमदाबाद को १९५५–५६ में अनुदान दिया गया था जिससे कि वह स्टैंडर्ड नमूने की एक अस्थायी प्रयोगशाला का सामान जुटा सके, और जिसमें गुल्मर्ग–खिलनमर्ग क्षेत्र में कास्मिक रश्मियां पल्सेज मापने का प्रबन्ध हो। नवीन एकक ने १९५५ में गुल्मर्ग में काम आरम्भ किया। अन्तरिक्ष-किरणों के विषय पर गवेषणा के लिये प्रयोगशाला को पिंडराशि भी दी गई, जिस ने गुल्मर्ग के बहिर केन्द्र के अतिरिक्त अहमदाबाद, कोदइकनाल और त्रिवेंद्रम में कास्मिक रश्मि टैलीस्कोप स्थापित किये हैं।

(ग) मैं माननीय सदस्य का ध्यान उत्तुंग कास्मिक रश्मि गवेषणा केन्द्र के प्रतिवेदन की प्रति की ओर आकर्षित करूंगा, जो श्री भक्त दर्शन के तारांकित प्रश्न संख्या २१३९–क के उत्तर में, ११ अप्रैल १९५५, को सभा पटल पर रखा गया था। जैसा कि प्रतिवेदन के अनुच्छेद ३ से प्रतीत होगा। अन्तरिक्ष किरण कार्य कोदइकनाल और उटकमंड डोडाबेटा में भी किया जा रहा है जो चुम्बकीय भूमध्य रेखा के समीप हैं।

नागा पहाड़ियां

†*१९५९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा पहाड़ियों में कोई गांव या क्षेत्र ऐसा है जो इस समय विद्रोही नागाओं के नियन्त्रण में है;

(ख) यदि हां, तो कितने गांव हैं या क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) अब तक विद्रोही नागाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की क्या प्रगति है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) से (ग). नागा पहाड़ियों में कोई भी गांव या क्षेत्र विद्रोही नागाओं के नियन्त्रण में नहीं है। तथापि आधे दर्जन गांव ऐसे हैं जहां हमारी सेनाओं द्वारा पीछा किये जाने पर उपद्रवी नागाओं ने आश्रय लिया है। हमारी सेवाओं की कार्रवाई तेज कर दी गई है और इसने संतोषजनक प्रगति की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति के अभिकरण लिये बुनियादी चार्टर

†*१९६१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण का १२ राष्ट्रों की बैठक द्वारा स्वीकार किया गया प्रस्तावित बुनियादी चार्टर का पाठ सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के बुनियादी चार्टर का पाठ अभी सरकार को नहीं मिला है ।

उत्तर पूर्व सीमा अभिकरण में छोटे पैमाने के उद्योग

†*१९६५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्त उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में १९५४–५५ और १९५५–५६ में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कितने व्यक्तियों और संस्थाओं को ऋण मिला है; और

(ख) ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) और (ख). उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में १९५४–५५ और १९५५–५६ में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कोई ऋण नहीं दिया गया था ।

राजस्थान में सड़क विकास

†१७६०. **श्री भीखा भाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों के सड़क विकास के लिये कितने धन का उपबन्ध किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समस्त राज्य में सड़क विकास के लिये ८·९९ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की अनुमति दी है । इस धन से राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों के लिये आवंटित किये जाने वाला धन राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

कारबन ब्लैक

†१७६१. { **श्री राम कृष्ण :**
डा० लक्ष्मण सिंह चाडक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक भारत में कारबन ब्लैक के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: कारबन ब्लैक तैयार करने के लिये एक छोटी फैक्टरी पहले ही स्थापित की जा चुकी है; किन्तु देश की आवश्यकताओं के मुकाबिले में जो बढ़ रही है, इसका उत्पादन बहुत कम है। उत्पाद के गुण प्रकार में अधिक उन्नति करने की आवश्यकता है । इसलिये कारबन ब्लैक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गयाहैऔरकच्चे माल के रूप में लोबान के आधार पर इसका निर्माण करने का विचार किया गया है । नवीन लोहा और इस्पात संयंत्रों से तारकोल निकालना आरम्भ होने के साथ ही यह आशा की जा सकती है कि अपेक्षित मात्रा में लोबान तेल निकाला जा सकेगा, इस लिये बड़े पैमाने पर कारबन ब्लैक का वास्तविक निर्माण करने में कुछ समय लगने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंण्ड

१७६२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री १६ मार्च, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में छः नये विकास खण्ड, जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत १ अप्रैल, १९५६ से प्रारम्भ किये जाने वाले थे, वास्तव में चालू किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां तथा किन-किन जिलों में प्रारम्भ किये गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

रेशम कृमिपालन

†१७६३. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में रेशम के कीड़े पालने के विकास के लिये जिन योजनाओं का विचार और परीक्षण किया जा रहा है उनकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के लिये निम्न योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है :—

(१) शहतूत का विस्तार।

(२) बीज उत्पादन में सुधार।

(३) रेशम के कीड़ों का पालन पोषण।

(४) ककून (कोये) उत्पादन और विक्रय।

(५) रेशम लपेटने में सुधार।

(६) रेशम कृमि पालन का टैक्नीकल प्रशिक्षण देना।

(७) विदेशों में पदाधिकारी भेजना।

(८) सलेम जिला में कुलीमलाई पहाड़ियों में रेशम कृमि पालन उद्योग आरम्भ करना।

इन योजनाओं को चलाने के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने प्रयोगात्मक रूप में २६·१३७ लाख रुपये आवंटित किये हैं।

हथकरघे का कपड़ा

†१७६४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर से १५ नवम्बर, १९५५ तक हथकरघा कपड़े के विक्रय पर कुल कितनी राजकीय सहायता दी गई है; और

(ख) कुल कितने गज कपड़ा बेचा गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १६,०३,०२७ रुपये ६ आने ९ पाई।

(ख) १४,१२४,२५९ गज।

ये आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि राज्यों से अभी पूरी सूचना नहीं आई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रबड़ की खेती

१७६५. श्री विभूति मिश्र : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ और १९५५–५६ में कुल कितनी एकड़ भूमि में रबड़ की खेती हुई ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : रबड़ बोर्ड में रबड़ की खेती का पंजीबद्ध क्षेत्र इस प्रकार था :

३१–१२–१९५४ को	१७६,६४७ एकड़
३१–१२–१९५५ को	२१५,७२६ एकड़

पक्षियों का निर्यात

†१७६६. **श्री डी० सी० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में कितने पक्षियों का निर्यात किया गया है; और

(ख) उनका अनुमानतः मूल्य क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). १९५५–५६ में ३२०,८१६ पक्षियों का निर्यात किया गया, जिनका मूल्य ४८३,५५५ रुपये था ।

कहवे की खेती

†**१७६७. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के अन्त तक देश में कितने क्षेत्र में कहवे की खेती होती थी ;

(ख) १९५२, १९५३, १९५४ और १९५५ में पृथक्-पृथक् (राज्यवार) कितने नवीन क्षेत्र में कहवे की खेती की गई; और

(ग) १९५६–५७ में राज्यवार कितने नवीन क्षेत्र में कहवे की खेती की जायगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १९५४-५५ फसल वर्ष में भारत में २५२,६८६ एकड़ भूमि में कहवे की खेती होती थी ।

(ख) विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) राज्यवार या वर्षवार वयोरा उपलब्ध नहीं है । देश में कहवे की खेती बढ़ाने की एक योजना विचाराधीन है । इस योजना के अन्तर्गत अनुमान है, १९५६–६१ तक के पांच वर्षों में २३,७०० एकड़ नवीन भूमि पर कहवे की खेती की जायगी ।

लोबान

†**१७६८. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितना लोबान पैदा होता है;

(ख) सरकारी विभागों में कितनी खपत होती है और खुले बाजार में कितना बेचा जाता है; और

(ग) लोबान के विक्रय से प्रति वर्ष कितनी आय होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) १९५५ में ४,३४० टन।

(ख) १९५५ में उत्पादकों ने सरकारी विभागों को ३,०६९ टन लोबान तेल बेचा और १,५३० टन दूसरे लोगों को।

(ग) १९५५ में लगभग १५ लाख रुपये।

अल्युमीनियम उद्योग

†**१७६९. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्युमीनियम उद्योग के विकास के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आचार्य विनोबा भावे के सम्बन्ध में चलचित्र

†**१७७०. श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आचार्य विनोबा भावे और उनके भूदान आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रलेख चलचित्र प्रदर्शन के लिये तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी लम्बाई क्या है और मुख्य रूपरेखा और लागत क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक तैयार हो जायगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आशा की जाती है कि चलचित्र इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

†**१७७१. श्री आई० ईयाचरण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वलूवानाद तालुक मलाबार जिले की "कनहीरा पूझा" योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है और मंजूर की गई है; और

(ख) मलाबार जिले के लिये राज्य सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में और दूसरी किन योजनाओं की सिफारिश की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में मलाबार जिले के लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित अन्य मुख्य योजनाओं की सिफारिश की है :

(१) पालका जी पूझा जलाशय।

(२) मीनाकारी जलाशय।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांवों में बिजली लगाने की योजना

†१७७२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिलाये जाने के लिये गांव और छोटे नगरों में बिजली लगाने की विभिन्न राज्यों की योजनाओं का क्या अन्तिम रूप तैयार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५०**]

गंगवाल बिजली घर

†१७७३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगवाल बिजली घर से अभी तक उन नगरों और गांवों को बिजली नहीं दी गई है जिन को ३१ मार्च, १९५६ से पहले बिजली देने की योजना बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है क्यों कि गंगवाल बिजलीघर के लिये कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अम्बर चर्खा

†१७७४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि क्या अम्बर चर्खा की प्रावधिक क्षमता की जांच करने के लिये उत्पादन मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य श्री कृष्णदास गांधी ने समाचार पत्रों में यह वक्तव्य दिया है कि अम्बर चर्खा के प्रयोग समाप्त हो गये हैं और उसे पर्याप्त संतोषजनक पाया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : सर्व सेवा संघ की अम्बर चर्खा की समिति के मंत्री के रूम में श्री कृष्णदास गांधी ने समाचार पत्रों में एक वक्तव्य अहमदाबाद में ३०–३–५६ को दिया था जिस में बताया गया है कि अम्बर चर्खा का प्रयोग प्रक्रम समाप्त हो चुका है और उसकी उत्पादन क्षमता सिद्ध हो गई है ।

सरकार द्वारा नियुक्त अम्बर चर्खा समिति के प्रतिवेदन के मिलने और उसकी जांच करने के पश्चात सरकार अन्तिम निर्णय ले सकेगी ।

नगर पालिकाओं को अनुदान

१७७५. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नगरपालिकाओं को अतिरिक्त राशियों के देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : जी, हां ।

अम्बर चर्खा

†१७७६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिये अम्बर चर्खों के निर्माण के लिये अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने प्रस्ताव किया है कि बंगलौर के निकट कृष्णराजपुरम् में एक बड़ा कारखाना स्थापित किया जाय;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने मैसूर सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं और कुछ सुविधायें देने की प्रार्थना की है; और

(ग) क्या मैसूर सरकार ने वहां कारखाना स्थापित करना स्वीकार कर लिया है।

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)**: (क) से (ग). खादी बोर्ड अपने अम्बर चर्खा कार्यक्रम के सम्बन्ध में कृष्णराजपुरम् में एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र और एक सरजांम कार्यालय स्थापित करने का विचार रखता है। इस प्रयोजन के लिये उचित भवन किराये पर लेने के प्रश्न पर मैसूर सरकार से बात-चीत की जा रही है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत पाकिस्तान पत्र व्यवहार

†१७७७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** सभा पटल पर उस पत्र व्यवहार की प्रतियां रखने की कृपा करेंगे जो युद्ध न करने की घोषणा और भारत पास्किताान समस्याओं पर उनके और प्रधान मंत्री के बीच हुआ था।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत और पास्किताान के प्रधान मंत्रियों में अभी हाल ही में जो पत्र व्यवहार हुआ था उसे सरकार इस समय सभा पटल पर रखने का विचार नहीं रखती।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

†१७७८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने १९५५–५६ में कितनी समस्त राशि के सरकारी आर्डर छोटे उद्योगों के लिये प्राप्त किये हैं;

(ख) निगम ने छोटे उद्योगों के लिये कितनी राशि के सरकारी आर्डरों को पूरा किया है; और

(ग) लघु उद्योग निगम द्वारा छोटे उद्योगों को अन्य क्या सहायता दी गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) ४६८,५९५ रुपये।

(ख) ठेकों सम्बन्धी वस्तुयें मई १९५६ से दी जायेंगी।

(ग) छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विवरण में सहायता करने के लिये तीन चलती फिरती गाड़ियां चलाना आरम्भ किया है जिससे कि दिल्ली के क्षेत्र से लगभग ३०० उपभोग वस्तुयें बेची जा सकी थीं। इसके अतिरिक्त आगरा में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा उत्पादित जूते आदि बेचने के लिये आगरा में एक थोक माल बेचने का डिपो बताया गया है। अलीगढ़ के ताले और खुर्जा के चीनी मिट्टी के बर्तन बेचने के लिये अलीगढ़ में एक थोक डिपो खोलने के लिये भी कार्य-वाही की गई है। ऐसे छोटे उद्योगों को जिनके पास सीमित वित्तीय संसाधन है मशीन और सामान आसान शर्तों पर देने के लिये निगम ने ऐसी मशीनों को क्रयाविक्रय के आधार पर देने की योजना भी आरम्भ की है।

त्रिपुरा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†१७७९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में कौन से विशिष्ट निर्माण कार्य आरम्भ किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन खण्डों के आरम्भ करने के पश्चात उन पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इन खण्डों की कार्यवाहियों की प्रगति में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) त्रिपुरा में दो राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड है। एक १–४–५६ से आरम्भ किया गया है और दूसरा अगस्त १९५५ से कैलासहर में कार्य कर रहा है। कैलासहर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में निम्नलिखित विशिष्ट निर्माण कार्य आरम्भ किये गये हैं : राशि सम्पूर्ण आय व्ययक से व्यय की गई है और प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत सामने दी गई है:

	रुपये
(१) पाठशाला भवन के निर्माण के लिये ५ हजार रुपये की दर से ५ स्कूलों को सहायक अनुदान	२५,०००
(२) ४० मील लम्बी सड़क का निर्माण जिसमें ५० आर० एफ० टी० वाले ५ पुल और २० आर० एफ० टी० वाले १३ पुल सम्मिलित है। (केवल पुलों की लागत सरकार देगी मिट्टी का कार्य और भूमि ग्रामीणों द्वारा दी जायगी ...	१,००,०००
(३) १० नलकूप बनाना	५,०००
(४) १० गोल कुयें खोदना	१२,०००
(५) ५० गढ़े वाली टट्टियां ...	२,५००
(६) पानी सोखने वाले गढ़े	१,५००
(७) ५०० आर० एफ० टी० पक्की नाली का निर्माण	१,५००

मद ३ से ७ में ५० प्रतिशत व्यय ग्रामीणों द्वारा किया जायगा।

(ख) अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जो खण्ड अगस्त १९५५ से आरम्भ हुआ है उस पर ३१–१२–५५ तक १२,१९० रुपये व्यय हुये हैं।

(ग) राज्य सरकार ने किसी विशेष कठिनाई की सूचना नहीं दी है।

हावड़ा नदी बन्ध

†१७८०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला (त्रिपुरा) के पास हावड़ा नदी के बांध के लिये त्रिपुरा सरकार ने कितनी भूमि अर्जित की है;

(ख) क्या अर्जन के लिये सूचना समय पर दी गई थी;

(ग) क्या मकानों के लिये उनके स्वामियों को बीच की अवधि में कोई धन दिया गया था; और

(घ) क्या उन मकानों के लिये जिन्हें बांध के लिये अर्जित कर लिया गया है कोई दूसरी भूमि दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) लगभग ९,७५२ एकड़।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को औद्योगिक ऋण

†१७८१. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अगरतला नगर के बाहर जो विस्थापित व्यक्ति रहेंगे उन्हें ५ हजार रुपये या अधिक के औद्योगिक ऋण नहीं दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले)** : (क) तथा (ख). यदि माननीय सदस्य उन छोटी शहरी ऋण देने सम्बन्धी योजना की चर्चा कर रहे हैं जिसके अधीन ५ हजार रुपये तक के ऋण दिये जा सकते हैं तो मैं कहूंगा कि वे निश्चित नीति के अनुसार दिये जा रहे हैं। ५ हजार रुपये से अधिक के ऋण पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा जांच के बाद और प्रत्येक मामले के बाद गुणावगुण का ध्यान रख कर दिये जाते हैं।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि ऋण

†१७८२. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्हें त्रिपुरा के सन्तोषजनक रीति से पुनर्वासित नहीं समझा जाता दूसरी बार कृषि ऋण दिया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों पर किस सामान्य आधार पर निर्णय किया जाता है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले)** : (क) तथा (ख). कृषि ऋण निश्चित नीति के अनुसार दिये जाते हैं। नियम तो यह है कि पुनर्वास मंत्रालय दूसरी बार ऋण नहीं देना चाहती। चाहे वे कृषि के लिये हो अथवा शहरों में व्यवसाय के लिये। परन्तु उपयुक्त मामलों में अपवाद रूप से ऐसे ऋण दिये जाते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई

†१७८३. **श्री नम्बियार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन (१) बड़ी और (२) छोटी सिंचाई परियोजना के अधीन १९५५-५६ में विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने क्षेत्र भूमि में सिंचाई की गई और किन-किन फसलों के लिये सिंचाई की व्यवस्था की गई ?

†**सिंचाई उपमंत्री (श्री हाथी)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

आंध्र को अनुदान

†१७८४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित ग्रामोद्योग के विकास के लिये १९५४–५५ में आन्ध्र राज्य को कोई सहायता मंजूर की गई है :

(१) गुड़ और खण्डसारी उद्योग;

(२) ताड़गुड़ और ताड़ की अन्य वस्तुयें;

(३) मधु मक्खी पालन उद्योग;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकार की गई और क्या उस राज्य ने उसका पूरा उपयोग किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : (क) तथा (ख). गुड़, खांडसारी तथा मधुमक्खी पालन उद्योगों के विकास के लिये कोई योजना प्राप्त नहीं हुई थी ।

ताड़-गुड़ उद्योग और ताड़ की अन्य वस्तुओं के विकास के लिये १९५४–५५ में ५०,०५० रुपये का अनुदान दिया गया था जिनमें से उस राज्य ने ४८,२६६ रुपये १४ आ० ३ पाई का उपयोग कर लिया है ।

स्थानीय विकास कार्य

†**१७८५. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज के अभिकरणों द्वारा विभिन्न वर्षों में आन्ध्र और मैसूर राज्यों में स्थानीय निवास कार्यों पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) १९५४–५५ और १९५५–५६ के दौरान में भारत सेवक समाज से इन सरकारों को कितनी योजनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन वर्षों में कितनी योजनाओं को स्वीकृति मिली है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय मानक संस्था

†**१७८६. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था ने पुस्तकों के तैयार करने के लिये अस्थायी विशिष्ट प्रतिमान तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वे विशिष्ट बातें क्या हैं;

(ग) क्या प्रमापीकरण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रलेखीकरण समिति ने यह तय किया है कि संगठन के सभी राष्ट्र सदस्यों द्वारा स्वीकृत किये जाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाप बनाने के हेतु भारतीय प्रतिमानों को कार्यवहन प्रलेख मानना चाहिये ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). भारतीय मानक संस्था ने कुछ अस्थायी प्रतिमान छपवाये हैं जिनमें बताया गया है कि एक पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठ किस प्रकार लिखे जाने चाहिये एवं उनको किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिये । पूरी पुस्तकों के लिये उन्होंने कोई प्रतिमान निश्चित नहीं किये हैं ।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा जारी की गयी समाचार पत्रों में प्रकाशित टिप्पणी संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबंध संख्या ५१]**

(ग) स्थिति वैसी ही है जैसी कि माननीय सदस्य ने बताई है ।

चम्बल परियोजना

†**१७८७. श्री एन० एल० जोशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में चम्बल परियोजना पर ३१ मार्च, १९५६ तक कितनी धन राशि व्यय की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जनता के उपयोग के लिये विद्युत् शक्ति और नहर के पानी देने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) ३४९·६४ लाख रुपये ।

(ख) जनता को विद्युत् शक्ति और नहर के पानी के १९५९–६० तक प्राप्त होने की आशा की जाती है, यद्यपि समूची नहर व्यवस्था के १९६१ तक पूर्ण होने की आशा की जाती है ।

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

†**१७८८. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड सेवा योजना के नये अवसरों का निर्माण कर सका है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :** (क) और (ख). बोर्ड द्वारा जो कार्य किया गया और किया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य हाथकरघा उद्योग को स्थिरता प्रदान करना और हाथकरघा बुनकरों की आय को बढ़ाना है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बोर्ड द्वारा जो प्रयास किये गये उसमें उसे काफी सफलता प्राप्त हुई है । हाथकरघों की संख्या को बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया था । यह सम्भव है कि इस उद्योग की मौजूदा स्थिति ने संयोगवश लोगों को एक बड़ी संख्या में रोजगार दिया है । सेवायोजन के ऐसे प्रासंगिक अतिरिक्त अवसरों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

खण्ड विकास पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

१७८९. श्री के० सी० सोधिया : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खण्ड विकास पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये कितने प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं;

(ख) ये केंद्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन केंद्रों में कितन पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है;

(घ) इस समय कितने पदाधिकारी प्रशिक्षण पा रहे हैं;

(ङ) उनमें से कितने पदाधिकारी मध्यप्रदेश के हैं;

(च) प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम क्या हैं; और

(छ) प्रशिक्षण काल में उनको कितना भत्ता दिया जाता है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तीन ।

(ख) नीलोखेड़ी (पंजाब) हिमायत सागर (हैदराबाद दक्षिण) और रांची (बिहार)

(ग) ९४९

(घ) ३२

(ङ) १०७

(च) प्रशिक्षण काल आठ सप्ताह का होता है और दो पाठ्यक्रमों के बीच में दो सप्ताह का विराम होता है ।

(छ) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को राज्य सरकार से जो वेतन व भत्ता मिलता है उसके अलावा ७५ रुपये मासिक पूरक भत्ते के रूप में दिया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियां

†१७९०. **डा० सत्यवादी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत्र प्रचार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत इस समय काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनके अभिधान क्या हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या ५२]**

कोसी बन्ध

†१७९१. { **श्री रघुनाथ :**
श्री विभुति मिश्र :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन सहकार्य से कोसी के दो पुश्तों निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त प्रश्ते के निर्माण के फलस्वरूप आगामी वर्षा ऋतु में उत्तरी बिहार के किसी क्षेत्र को बाढ़ के प्रकोप से बचाये जा सकने की आशा है;

(ग) यदि हां, तो कितने क्षेत्र को और उसकी जन संख्या कितनी है; और

(घ) जन सहकार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लोगों ने मौसम में प्रति दिन काम किया है उनकी औसतन संख्या क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) बिहार क्षेत्र में किया गया मिट्टी डालने का कुल कार्य या जन सहकार्य से किया जा रहा कार्य और १५ अपैल, १९५६ तक किया गया मिट्टी डालने का कार्य इस प्रकार है

	पुश्ता	मिट्टी डालने का कुल कार्य	१५ अप्रैल, १९५६ तक किया गया मिट्टी डालने का कार्य
			(लाख घन फुट में)
(१)	पश्चिमी	७६२·४०	५७२·९०
(२)	पूर्वी	८०४·८३	६३१·६४

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) आगामी बाढ़ क मौसम में लगभग १० लाख एकड़ भूमि और ८·५ लाख जन संख्या को बाढ़ से बचाया जा सकगा ऐसी आशा की जाती है।

(घ) १९,७७८।

रबड़ फैक्टरी

†१७९२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में टायरों के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक आधुनिक रबड़ फैक्टरी खोलने क लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य ने कोई प्रस्थापनायें प्रस्तुत की हैं; और

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). राज्य सरकार ने साइकिल के टायरों व ट्यूबों के निर्माण के लिये मौजूदा त्रावनकोर-कोचीन रबर वर्कस का विस्तार और आधुनिककरण करने की प्रस्थापना की है । मामला विचाराधीन है ।

विद्रोही नागा

†१७९३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा पहाड़ियों में कार्यवाही आरम्भ किये जाने से अब तक विद्रोही नागा, पुलिस और सेना कर्मचारियों के हताहतों की संख्या कितनी है;

(ख) विद्रोही नागाओं, पुलिस और सेनाओं द्वारा जला दिये गये गांवों की संख्या कितनी है; और

(ग) विद्रोही नागाओं से बरामद किये गये तथा उनके द्वारा हम से छीने गये शस्त्रास्त्र और युद्धोपकरणों की संख्या कितनी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ऐसा अनुमान किया जाता है कि सौ से अधिक विद्रोही नागाओं की मृत्यु हुई है तथा कई बुरी तरह आहत हुये हैं । क्योंकि नागा अपने मृत और घायल साथियों को शीघ्रता से हटा ले जाते हैं इसलिये ठीकठीक आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

१७ सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई । ३९ घायल हुये और ५ लापता हैं ।

(ख) विद्रोही नागाओं द्वारा १४ ग्राम जला दिये गये हैं । सेना अथवा पुलिस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है ।

(ग) हमारे सशस्त्र बलों द्वारा १०३ बन्दकें और विभिन्न प्रकार के २६७९ कारतूस छीने गये या बरामद किये गये हैं ।

नागाओं ने हमारी ८६ बन्दूकें छीन ली हैं । उन्हें हम से प्राप्त युद्धोपकरण की मात्रा ज्ञात नहीं है ।

विद्रोही नागा

†१७९४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नागा पहाड़ी जिले के बाहर स्थित कितनी पुलिस सीमा चौकियों पर विद्रोही नागाओं द्वारा आक्रमण किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : नागा पहाड़ियों के बाहर (मिकिर पहाड़ी जिल में स्थित धन सिरि) एक पुलिस सीमा चौकी पर विद्रोही नागाओं ने आक्रमण किया था । इस आक्रमण के फलस्वरूप पुलिस के दो सिपाहियों की मृत्यु हुई और तीन बुरी तरह घायल हुये थे ।

मनीपुर में सामदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय सेवा विस्तार खण्ड

†१७९५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के लिये अब तक कितने स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जितने अफसरों और ग्राम स्तर कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता थी, उनमें से कितनों को सेवायुक्त कर लिया गया है;

(ग) क्या कोई ऐसे प्रशिक्षित अफसर या ग्राम स्तर कार्यकर्त्ता भी हैं जिन्हें सेवायुक्त नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सेवायुक्त न करने का क्या कारण है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) ६२ ।

(ख) ५६ ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विकास परियोजनायें

†**१७९६. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में योजना बद्ध विकास की विभिन्न स्थानीय परियोजनाओं में स्थानीय प्रशासनिक, निकायों, पंचायतों, स्थानीय मंडलियों आदि का सक्रिय सहयोग किस हद तक प्राप्त करना सम्भव हो सका है; और

(ख) प्रत्येक जिले में कलक्टर (समाहर्ता) और सबडिवीज़नल अफसर से उनके अपने क्षेत्रों में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में काम लेना किस हद तक सम्भव हो सका है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). नवीनतम जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इटारसी में कागज का कारखाना

†**१७९७. श्री कामत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट कागज बनाने के एक कारखाने की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इसपात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ४ मई, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२१०१–२१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१९२५	श्री लंका में भारतीय	२१०१–०२
१९२७	तिब्बत में विश्राम घर	२१०२–०३
१९३०	दियासलाई उद्योग ...	२१०३–०४
१९३८	हाइड्रोलिक टरबाइन का निर्माण	२१०४
१९४०	पहली पंचवर्षीय योजना	२१०४–०६
१९४२	लबेनान को सहायता	२१०६–०७
१९४३	निरीक्षण पक्ष	२१०७
१९४४	उत्तर भारत की चाय	२१०७–०८
१९४५	नागा पहाड़ियों की स्थिति	२१०८–१०
१९४६	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये टेक्निकल संस्थायें	२११०–११
१९४८	रेलों के लिये इस्पात	२१११
१९४९	नाभिकीय वैज्ञानिकों की अमरीकी टीम	२११२
१९५३	दूसरी पंचवर्षीय योजना ...	२११२–१३
१९५६	हिमालय में बाढ़ नियन्त्रण सर्वेक्षण	२११३–१४
१९५८	पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजक ...	२११४–१५
१९६०	इस्पात के प्रतिधारण और विक्रय मूल्य	२११६
१९६२	दामोदर घाटी निगम ...	२११६–१७
१९६४	कोसी पश्चिमी बन्ध	२११७
१९६६	जनेवा करार	२११८–१९
१९२६	सामुदायिक परियोजनायें	२११९
१९६३	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये नमूने की योजनायें	२१२०
१९३१	दर और लागत समिति ...	२१२०
१९३७	रेडक्लिफ पंचाट	२१२०–२१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२१२१–३९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१९२८	गोल्ड कोस्ट में भारतीय प्रदर्शनी	२१२१
१९२९	आर्थिक तथा औद्योगिक गवेषणा संस्था	२१२१–२२
१९३२	सीमा घटनायें	२१२२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश:)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६३४	व्यापार चिन्ह जांच समिति	२१२२
१६३५	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण ...	२१२२–२३
१६३६	विदेशी पूंजी	२१२३
१६३६	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	२१२३
१६४१	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण	२१२३–२४
१६४७	नागा पहाड़ियों की स्थिति	२१२४
१६५०	विद्रोही नागा	२१२४
१६५१	अमेरिका के राष्ट्रपति को निमन्त्रण	२१२४
१६५२	मद्रास में बिजली के केबलों का कारखाना ...	२१२४–२५
१६५४	काफी	२१२५
१६५५	नेताजी की मृत्यु के बारे में जांच	२१२५
१६५७	कास्मिक (ब्रह्माण्ड) रश्मियों का गवेषणा केंद्र	२१२६
१६५६	नागा पहाड़ियां	२१२६
१६६१	अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण के लिये बुनियादी चार्टर	२१२७
१६६५	उत्तर पूर्व सीमा अभिकरण में छोटे पैमाने के उद्योग ...	२१२७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७६०	राजस्थान में सड़क विकास	२१२७
१७६१	कारबन ब्लैक ...	२१२७
१७६२	राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	२१२८
१७६३	रेशम कृषि पालन	२१२८
१७६४	हथकरघा का कपड़ा	२१२८
१७६५	रबड़ की खेती	२१२६
१७६६	पक्षियों का निर्यात	२१२६
१७६७	कहवे की खेती	२१२६
१७६८	लोबान ...	२१२६–३०
१७६६	अल्युमीनियम उद्योग	२१३०
१७७०	आचार्य विनोबा भावे के सम्बन्ध में चलचित्र ...	२१३०
१७७१	दूसरी पंचवर्षीय योजना ...	२१३०
१७७२	गांवों में बिजली लगाने की योजना ...	२१३१
१७७३	गंगवाल बिजली घर	२१३१
१७७४	अम्बर चर्खा ...	२१३१
१७७५	नगरपालिकाओं को अनुदान	२१३१
१७७६	अम्बर चर्खा ...	२१३१–३२
१७७७	भारत पाकिस्तान पत्र व्यवहार	२१३२
१७७८	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	२१३२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७७९	त्रिपुरा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ...	२१३२–३३
१७८०	हावड़ा नदी बन्ध	२१३३
१७८१	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को औद्योगिक ऋण ...	२१३४
१७८२	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि ऋण	२१३४
१७८३	प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई	२१३४
१७८४	आन्ध्र को अनुदान	२१३४–३५
१७८५	स्थानीय विकास कार्य	२१३५
१७८६	भारतीय मानक संस्था	२१३५
१७८७	चम्बल परियोजना ...	२१३५–३६
१७८८	अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड ...	२१३६
१७८९	खण्ड विकास पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	२१३६
१७९०	अनुसूचित जातियां	२१३७
१७९१	कोसी बन्ध ...	२१३७
१७९२	रबड़ फैक्टरी	२१३७–३८
१७९३	विद्रोही नागा ...	२१३८
१७९४	विद्रोही नागा	२१३८
१७९५	मनीपुर में सामुदायिक परियोजनायें और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	२१३८–३९
१७९६	विकास परियोजनायें ...	२१३९
१७९७	इटारसी में कागज का कारखाना	२१३९

M 54 LSD—190—3-8-57—GIPF

खण्ड ४ — अंक ५८
४ मई, १९५६ (शुक्रवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha (XII Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ६० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खण्ड ४—१८ अप्रैल से ८ मई, १९५६]

अंक ४६—बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४३३–३४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२४३४–३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन ...	२४३५
कार्य मंत्रणा समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	२४३५–३७
जम्मू तथा कश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक	२४३७
राज्य पुनर्गठन आयोग ...	२४३७–३८
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ...	२४४३
विनियोग (संख्या २) विधेयक ...	२४४३
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	२४३९–४३
नियम समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन ...	२४८५
वित्त विधेयक	२४४४–८५
विचार करने का प्रस्ताव ...	२४४४
दैनिक संक्षपिका	२४८६

अंक ४७—शुक्रवार, २० अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई में नौका-गोदी और डिपो में असैनिक कर्मचारियों की हड़ताल	२४८७–८९
विनियोग (संख्या २) विधेयक	२४८९–९०
वित्त विधेयक ...	... २४९०–२५११
विचार करने का प्रस्ताव	२४९०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पचासवां प्रतिवेदन	२५११
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४२९ का संशोधन)	२५१२–२३
विचार करने का प्रस्ताव	२५१२
विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन)	२५२४–३०
विचार करने का प्रस्ताव ...	२५२४
दैनिक संक्षेपिका	२५३१

अंक ४८—शनिवार, २१ अप्रैल, १९५६

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिकायें	२५३३

वित्त विधेयक २५३३–२६०२
विचार करने का प्रस्ताव २५३३
खण्ड २ से ३७ तक, अनुसूचियां १ से ४ और खण्ड १ ... २५५३–२६००
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... २६००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन ... २६०२
विनियोग (संख्या २) विधेयक २६०२–०५
विचार करने का प्रस्ताव २६०२
खण्ड १ से ३ और अनुसूची ... २६०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २६०५
दैनिक संक्षेपिका २६०६

अंक ४९—सोमवार, २३ अप्रैल, १९५६

कार्य-मंत्रणा समिति—
तैतीसवां प्रतिवेदन २६०७–०८
नियम ९२ के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव ... २६०८–१७
राज्य पुनर्गठन विधेयक २६१७–५९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २६१७
दैनिक संक्षेपिका २६६०

अंक ५०—मंगलवार, २४ अप्रैल, १९५६

सदस्य का बंदीकरण २६६१
सभा-पटल पर रखा गया पत्र २६६२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २६६२–९६
दैनिक संक्षेपिका २६९७

अंक ५१—बुधवार, २५ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
कुछ प्रदर्शन-कर्त्ताओं का बंदीकरण ... २६९९–२७००
सभा का कार्य २७००–०१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २७०१
नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७०८
राज्य-पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७०१–०७, २७०८–४७
दैनिक संक्षेपिका २७४८

अंक ५२—गुरुवार, २६ अप्रैल, १९५६

प्राक्कलन समिति—
पच्चीसवां प्रतिवेदन २७४९

नियम समिति—
तीसरा प्रतिवेदन २७४९–५९
राज्य पुनर्गठन विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव ... २७५९–६९
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७६९–९४
राज्य सभा से सन्देश २७९४
दैनिक संक्षेपिका २७९५

अंक ५३—शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९७
सदस्य की नजरबन्दी २७९७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के बारे में याचिका २७९७
संविधान (नवां संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २७९८–२८२१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... २८२१–३०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्यावनवां प्रतिवेदन २८३१
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ... २८३१
व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प ... २८४७
राज्य-सभा से सन्देश २८४७
श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में आधे घण्टे की चर्चा २८४७–५२
दैनिक संक्षेपिका ... २७५३–५४

अंक ५४—सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... २८५५
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २८५५
राज्य-सभा से सन्देश २८५६
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक २८५६
प्राक्कलन समिति—
छब्बीसवां प्रतिवेदन २८५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
युद्ध सामग्री कारखानों में छटनी ... २८५६–५८
सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य २८५८–६५
सभा का कार्य २८६५–६६
मनीपुर राज्य पहाड़ी-लोग (प्रशासन) विनियमन (संशोधन)
विधेयक २८६६–७०
मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों के ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक २८७०

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २८७०–२९१६
जीवन बीमा निगम विधेयक २९१६
सीमेण्ट के बारे में आधे खण्टे की चर्चा २९१८–२४
दैनिक संक्षेपिका २९२५–२६

अंक ५५—मंगलवार, १ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २९२७
विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक ... २९२७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २९२८–७७
दैनिक संक्षेपिका २९७८

अंक ५६—बुधवार, २ मई, १९५६

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संघ सम्पर्क समिति २९७९–८०
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक २९८०
राज्य-सभा से संदेश ३०१९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव २९८०–३०१८, ३०१९–२७
खण्ड २ से ५ तक ... २९८९–३०२७
दैनिक संक्षेपिका ... ३०२८

अंक ५७—गुरुवार, ३ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०२९
राज्य-सभा से सन्देश ३०२९–३०
सभा का कार्य ... ३०३०–३१
संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ३०३१–३२
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—
संशोधन जिसकी राज्य-सभा द्वारा सिफारिश की गयी ... ३०३३–३६
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—
खण्ड ५, ६ और ४ ... ३०३६–८७
दैनिक संक्षेपिका ३०८८

अंक ५८—शुक्रवार, ४ मई, १९५६

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—
खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९
कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा) ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) ३१२९
विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७, आदि का संशोधन) ३१२९–३३

विधान मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६, ३१३७–४६
खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ... ३१३५–३६, ३१३७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६
खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन)—
विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८
दैनिक संक्षेपिका ३१४९

अंक ५९—सोमवार, ७ मई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३१४९–५०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ३१५०
राज्य-सभा से सन्देश ३१५०
भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन)विधेयक ३१५०
कार्य मंत्रणा समिति—
चौंतीसवां प्रतिवेदन ३१५१
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन ३१५१
प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का विवरण ... ३१५१
खण्ड ४, अंक २ ... ... ३१५१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ३१५१–३२०४
खण्ड १० से २५ तक और अनुसूची ३१५१–३२०४
दैनिक संक्षेपिका ३२०५–०६

अंक ६०—मंगलवार, ८ मई, १९५६

सदस्य की रिहाई ... ३२०७
सदस्यों का बन्दीकरण ३२०७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ... ३२०७–७७
खण्ड २५ से ३३ तक और १ ... ... ३२०७–४६
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३२७७
दैनिक संक्षेपिका ३२७८

M132LSD—190—24-3-58—GIPF.

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा का कार्य ३०८९–९०, ३१३६–३७

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

खण्ड ७ से १० तक ३०९०–३१२९

कारखाना (संशोधन) विधेयक (**धारा ५१–५४ और ५९ का संशोधन**) ... ३१२९

विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (**धारा ७७ आदि का संशोधन**) ३१२९–३३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक— ३१३३–४६

विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३१३३–३६

श्री फीरोज गांधी ३१३४–३५

खण्ड २ से ४ तक और खण्ड १ ... ३१३५–३१३६, ३७–४६

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३१४६

श्री फीरोज गांधी ३१४६

खान (संशोधन) विधेयक (**धारा ३३ और ५१ का संशोधन**)—

विचार करने का प्रस्ताव ३१४६–४८

श्री टी० वी० विट्ठल राव ३१४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ३१४९

लोक-सभा

शुक्रवार, ४ मई, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

११-३० म० पू० (**देखिये** भाग १)

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री** (**श्री सत्यनारायण सिंह**) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं, ८ मई या इसके आस पास हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के पारित होने के पश्चात् इस सभा में लिये जाने वाले सरकारी कार्य के क्रम की घोषणा करता हूं ।

विधान-कार्य

संयुक्त समिति को सोंपने के लिये :

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक ।

विचार तथा पास करने के लिये :

कृषि उत्पादक (विकास तथा भाण्डागार व्यवस्था) निगम विधेयक जीवन बीमा निगम विधेयक, प्रतिवेदित रूप में ।

लोक प्रतिनिधान (दूसरा संशोधन) विधेयक, प्रतिवेदित रूप में ।

भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक

यदि समय बचा तो प्रतिवेदित रूप में प्रतिभूतियां संविदा (विनियमन) विधेयक और भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, विचार तथा पारित करने के लिये प्रस्तुत करने का विचार है ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये १९५६--५७ के आय-व्ययक और सम्बन्धित विनियोग विधेयक विचार के लिये १४ मई को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

---

†मूल अंगेजी में ।

अन्य कार्य

दशमिक मुद्रा प्रणाली के नाम के बार में जारी की गई अधिसूचना पर एक घण्टे की चर्चा के लिये ९ मई को उपबन्ध किया गया है ।

निवारक निरोध अधिनियम के कार्य-करण पर चर्चा के लिये २२ मई को अथवा उसके आस-पास की तिथि को उपबन्ध किया गया है ।

सभा में १५ मई को प्रस्तुत की जाने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा २३ मई को आरम्भ की जाएगी और २८ मई को समाप्त होगी ।

बीच में दो तीन छुट्टियां हैं ।

संयुक्त समिति के पास निलम्बित तथा इसके बाद इसको सौंपे जाने वाले विधेयकों पर जैसे ही सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे, मैं उनकी अग्रेतर घोषणा करूंगा ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कामन्स की प्रथा के अनुसार संसद् कार्य मंत्री को लोक-सभा में किसी निश्चित दिन और निश्चित समय पर प्रत्येक सप्ताह सरकारी कार्यक्रम के बारे में अगले सप्ताह का कार्यक्रम बताना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा के नेता इस पर विचार करें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या इस सत्र में लोक प्रतिनिधान विधेयक पर विचार किया जायगा ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : उसकी घोषणा की जा चुकी है । सूची में उसका तीसरा नम्बर है ।

†**श्री पुन्नूस** (आल्लप्पि) : क्या आपने १४ मई को त्रावणकोर-कोचीन राज्य आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा के लिये समय-सीमा निश्चित कर दी है ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : कार्य-मंत्रणा समिति ने छः घण्टे नियत किये हैं और सभा ने उसे स्वीकार कर लिया है ।

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ----जारी

खण्ड ७ से १० तक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ७ से १० खण्डों पर विचार करेगी जिसके लिये २ घण्टे नियत किये गये हैं ।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला–भटिण्डा) : खण्ड ८ का अनुसूची से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है अतएव खण्ड ७ से १० और अनुसूची पर साथ-साथ विचार किया जाये ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : खण्ड ७ से १० पर एक घण्टा लगेगा । अनुसूची महत्वपूर्ण नहीं है । हम उसे अन्त में ले सकते हैं । विधेयक में अन्य खण्ड भी हैं जिनका अनुसूची से सम्बन्ध है । अनुसूची में केवल "श्रेणी १ और श्रेणी २" का उल्लेख है । अनुसूची में कुछ समय लगेगा और इसके लिये आवश्यक समय दिया जाये । परन्तु अनुसूची पर विचार करने तक अन्य खण्डों पर विचार नहीं रोकना चाहिये ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : खण्ड ८ का अनुसूची से घनिष्ट सम्बन्ध है, अतः उन पर साथ-साथ चर्चा की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या अनुसूची का सम्बन्ध अन्य खण्डों से भी है ?

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : अनुसूचियां खण्डों के बाद में ली जाती हैं।

†**श्री पाटस्कर** : श्री चटर्जी ने बताया कि खण्ड ८ का अनुसूची से सम्बन्ध है। मुझे नहीं मालूम कि खण्ड ८ में अनुसूची की ओर कोई निर्देश है। मैं सहमत हूं कि अनुसूची पर पहले विचार किया जाये और आवश्यक परिवर्तन कर दिये जायें। पर इसके कारण खण्ड ७ से १० का निपटारा नहीं रोकना चाहिये। खण्ड ८ (क) में कहा गया है :

"प्रथमत: उत्तराधिकारियों पर, जो अनुसूची की प्रथम श्रेणी में उल्लिखित सम्बन्धी हों।"

इन सब विषयों पर विचार किया जाएगा, परन्तु अनुसूची पर विचार करने तक इन खण्डों को नहीं रोकना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड ११, १२, और १३ का भी अनुसूची से सम्बन्ध है अतएव ७ से १० खण्ड पर एक घण्टा लगाया जाना चाहिये। मैं इन खण्डों को और संशोधनों को अलग मतदान के लिये रखूंगा।

खण्ड ७—(तारवाद, आदि की संपत्ति में हित का प्रक्रामण)

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड ७ वास्तव में खण्ड ६ जैसा है। अन्तर यह है कि वह मरुमक्कतायम और अलियसन्तान और नमबूदरी विधियों पर लागू होता है। अत: खण्ड ७ अलग से मतदान के लिये रखा जाना चाहिये। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : संयुक्त समिति में इस भाग पर चर्चा तब तक रोक रखी गई थी जब तक कि अनुसूची का अन्तिम रूप निश्चित नहीं किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह खण्ड पारित हो जायेगा तो अनुसूची में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जायेगा ।

†**श्री दामोदर मेनन** (कोजिकोड़) : क्या माननीय मंत्री खण्ड ७ के सम्बन्ध में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

†**श्री पाटस्कर** : वह संशोधन नहीं है। मैं उसे भिन्न ढंग से रख रहा हूं। मैं सारांश में वह परिवर्तन बताऊंगा ।

अनुभव से तथा प्राप्त अभ्यावेदनों से मुझे मालूम हुआ है कि यद्यपि सिद्धान्त एक ही है फिर भी शब्द थोड़े भिन्न होने चाहियें। खण्ड ७ में मरुमक्कताय, अलियसन्तानम और नामबूदरी विधि की ओर निर्देश है। जब उसमें तारवाद, तवाज़ी, कुटुम्ब, कवरु, और इल्लम के प्रति निर्देश होता है तो तारवाद, तवाज़ी, और इल्लम का सम्बन्ध तो मरुमक्कतायम और नामबूदरी विधि से होता है, परन्तु कुटुम्ब और कवरु का सम्बन्ध अलियसन्तान विधि से होता है। इस अन्तर्गत सिद्धान्त को छोड़ कर यह भेद भी है कि अलियसन्तान विधि के बारे में, विभाजन के पश्चात् भी, कुटुम्ब और कवरु को विभाजित सम्पत्ति पर कुछ अधिकार होता है। इसलिये मैंने मरुमक्कतायम और नामबूदरी विधि को अलियसन्तान विधि से अलग करना आवश्यक समझा है। मैंने मरुमक्कतायम और नामबूदरी के बारे में सूत्र निर्धारित किया है और थोड़े भेद के साथ वही सूत्र अलियसन्तान विधि के लिये रखा है। उन दोनों में जो किंचित भेद है उसको स्पष्ट रूप सें दर्शाने के लिये मैंने उन्हें अलग रखा है ताकि भ्रम न हो, अन्यथा अन्य सब बातों में अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त एक ही है। मैंने सोचा कि कुटुम्ब और कवरु को दूसरों से मिलाना ठीक नहीं होगा। मैंने इसकी जांच की है। और उन्हें अलग रखना उचित समझा है। मरुमक्कतायम और नामबूदरी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

विधि के बारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु अलियसन्तान विधि के बारे में परिवर्तन होगा। "कवरु" शब्द के पश्चात् मैंने "सन्तति कवरु" अथवा "निसन्तति कवरु" शब्द रखे हैं क्योंकि अधिकार भिन्न हैं। यह केवल शाब्दिक परिवर्तन है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं संशोधन पढ़ूंगा।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : मरुमक्कतायम और अलियसन्तान में क्या कुछ भेद है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं समझता था कि वह एक ही हैं, परन्तु जब हमें अलियसन्तान मानने वाले लोगों से अभ्यावेदन मिले तो हमें मालूम हुआ कि वह विधि मरुमक्कतायम विधि से भिन्न है। मिताक्षर विधि के बारे में भी विभिन्न राज्यों ने कई अधिनियम पारित किये हैं। मद्रास राज्य, भतपूर्व त्रावनकोर राज्य और कोचीन राज्य ने इन्हें पारित किया है। इनकी जांच करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि अलियसन्तान और मरुमक्कतायम में कुछ भेद है। अलियसन्तान विधि में, यदि संपत्ति का विभाजन भी हो गया हो, और किसी व्यक्ति ने कुटुम्ब अथवा कवरु के हितों में हिस्सा ले लिया हो, तो भी विभाजित संपत्ति में कुटुम्ब और कवरु को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अतएव "हित" शब्द के स्थान पर "अविभाजित हित" शब्द रख दिये हैं। कवरु मे सन्तति कवरु और निसन्तति कवरु आते हैं। निसन्तति कवरु में कुछ पुरुषों की वही स्थिति होती है जो हमारे यहां विधवाओं की और सीमितहित वाली महिलाओं की होती है। अतएव भ्रम मिटाने के लिये मैंने अलियसन्तान विधि को मरुमक्कतायम और नामबूदरी विधि से अलग कर दिया है। मरुमक्कतायम और नामबूदरी विधि में कोई परिवर्तन नहीं है। अलियसन्तान विधि में जो परिवर्तन मैंने किये हैं उनका वर्णन किया जा चुका है। मुझे भी श्री चटर्जी जैसा भ्रम था, परन्तु जब मुझे अभ्यावेदन मिले, तो मैं विभिन्न स्थानों पर गया और मने उस भेद का पता लगाया विभिन्न विधि जीवी संघों से भी मुझे अभ्यावेदन मिले हैं। उन पर विचार करने के बाद मैंने उक्त परिवर्तन किये हैं। मैं नहीं सोचता कि इस पर कोई व्यक्ति आपत्ति करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : शीर्षक "७(१)" के बाद दिया गया है। इसे प्रान्त में दिया जाना चाहिये, क्योंकि यह उपखण्ड १ और २ पर लागू होता है।

†**श्री पाटस्कर** : जी, हां, मैं इससे सहमत हूं।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ ५, पंक्ति १ से १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

Devolution of interest in the property of a *tarwad, tavazhi, kutumba, kavaru* **or** *illom*

"7. (1) When a Hindu to whom the *marumakkattayam* or *nambudri* law would have applied if this Act had not been passed dies after the commencement of this Act, having at the time of his or her death an interest in the property of a *tarwad, tavazhi* or *illom* as the case may be, his or her interest in the property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not according to the *marumakkattayam* or *nambudri* law.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the interest of a Hindu in the property of a *tarwad, tavazhi* or *illom* shall be deemed to be the share in the property of the *tarwad, tavazhi,* or *illom* as the case may be, that would have fallen to him or her if a partition of that property *per capita* had been made immediately before his or her death among all the members of *tarwad, tavazhi* or *illom,* as the case may be, then living, whether

†मूल अंग्रेजी में।

he or she was entitled to claim such partition or not under the *marumakkattayam* or *nambudri* law, applicable to him or her, and such share shall be deemed to have been allotted to him or her absolutely.

(2) When a Hindu to whom the *aliyasantana* law would have applied if this Act had not been passed dies after the commencement of this Act, having at the time of his or her death an undivided interest in the property of a *kutumba* or *kavaru* (whether a *santhathi kavaru* or a *nissanthathi kavaru*), as the case may be, his or her interest in the property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not according to the *aliyasantana* law.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu in the property of a *kutumba* or *kavaru* shall be deemed to be the share in the property of the *kutumba* or *kavaru,* as the case may be, that would have fallen to him or her if a partition of that property *per capita* had been made immediately before his or her death among all the members of the *kutumba* or *kavaru,* as the case may be, then living whether he or she was entitled to claim such partition or not under the *aliyasantana* law, and such share shall be deemed to have been allotted to him or her absolutely".

तारवाद, तवाज़ी, कुटुम्ब, कवरु, अथवा इल्लम की सम्पत्ति में हित का प्रक्रामण

†["७. (१) जब कोई हिन्दू, जिस पर इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में मरुमक्कतायम और नामबूदरी विधि लागू होती, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद, मर जाता है और उसकी मृत्यु के समय उसका यथास्थिति तारवाद, तवाज़ी, अथवा इल्लम में हित होता है तो संपत्ति में उस के हित का प्रक्रामण, यथास्थिति, इच्छापत्रीय अथवा इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार से इस अधिनियम के अधीन होगा, और मरुमक्कतायम अथवा नामबूदरी विधि के अनुसार नहीं ।

व्याख्या : इस उपधारा के प्रयोजन के लिये तारवाद, तवाज़ी अथवा इल्लम की संपत्ति में एक हिन्दू का हित यथास्थिति तारवाद, तवाज़ी अथवा इल्लम की संपत्ति में, वह भाग समझा जायेगा, जो उसे मिलता, यदि उसकी मृत्यु के तुरन्त पहले उस संपत्ति का प्रतिव्यक्ति विभाजन यथास्थिति तारवाद, तवाज़ी अथवा इल्लम के तत्समय जीवित सब सदस्यों में किया जाता, चाहे उस पर लागू होने वाली मरुमक्कतायम अथवा नामबूदरी विधि के अधीन उसे विभाजन कराने का दावा करने का हक था अथवा नहीं और ऐसा भाग उसे पूर्णरूप से-आवंटित किया गया समझा जाएगा ।

(२) जब कोई हिन्दू , जिस पर इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में, अलियसन्तान विधि लागू होती, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद, मर जाता है और उसकी मृत्यु के समय उसका यथास्थिति कुटुम्ब अथवा कवरु (चाहे सन्तति कवरु अथवा निसन्तति कवरु) में अविभक्त हित होता है तो संपत्ति में उस के हित का प्रक्रामण यथास्थिति इच्छापत्रीय या इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार से इस अधिनियम के अधीन होगा, अलिसन्तान विधि के अनुसार नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

व्याख्या : इस उपधारा के प्रयोजन के लिये कुटुम्ब अथवा कवरु की संपत्ति में एक हिन्दू का हित यथास्थिति कुटुम्ब अथवा कवरु की संपत्ति में वह भाग समझा जायेगा, जो उसे मिलता, यदि उसकी मृत्यु के तुरन्त पहले उस सम्पत्ति का प्रति व्यक्ति विभाजन यथास्थिति कुटुम्ब अथवा कवरु के तत्समय जीवित सब सदस्यों में किया जाता, चाहे अलियसन्तान विधि के अधीन उसे विभाजन कराने का दावा करने का हक था अथवा नहीं और ऐसा भाग उसे पूर्णरूप से आवंटित किया गया समझा जाएगा ।"]

"मृत्यु के समय....." शब्दों के स्थान पर जो कि वर्तमान उपखण्ड ७ (१) में है, मैंने "उस की मृत्यु के समय....." शब्द रख दिये हैं । मैंने महिलाओं के लिये भी व्यवस्था की है, क्योंकि उनकी भी वही स्थिति है, मैं पहले बता चुका हूं कि अलियसन्तान विधि को कैसे अलग किया गया है । यहां पर भी पहले जैसी स्थिति है परन्तु "हित" के स्थान पर मैंने "अविभक्त हित" रख दिया है । इस परिवर्तन का कारण मैं बता चुका हूं । मैंने सन्तति कवरु और निसन्तति कवरु का उल्लेख किया है क्योंकि उनके अधिकार भिन्न हैं । मैंने इस पर उन स्थानों के विधिवेत्ताओं से बात की है ।

व्याख्या भी वही है । उस में कोई परिवर्तन नहीं । शब्द भी मैंने रखे हैं । मैंने वही अलियसन्तान और मरुमक्कतायम और नामबूदरी विधि को अलग रखा है । मैं समझता हूं कि इस में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

†**श्री दामोदर मेनन** : इस खण्ड को स्वीकार किया जाना चाहिये । इस आश्वासन पर कि यदि अनुसूची में कोई परिवर्तन किया जाएगा तो मरुमक्कतायम विधि के अधीन उत्तराधिकार क्रम में भी उचित परिवर्तन कर दिया जायगा, हम इसे पारित कर सकते हैं ।

†**श्री पाटस्कर** : श्री दामोदर मेनन ने जो बात कही है वह जंचती है । बात यह है कि जहां तक खण्ड ७ का सम्बन्ध है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, । यदि अनुसूची में परिवर्तन होता है तो खण्ड १९ में उन व्यक्तियों के बारे में विशेष उपबन्ध हैं जिन पर मरुमक्कतायम और अलियसन्तान विधि लागू होती है । उस के अनुसार माता की विचित्र स्थिति है, क्योंकि हमें पता चला है कि संयुक्त समिति द्वारा पारित अनुसूची में माता को वह स्थान नहीं मिल सका है जो उनकी भावना के अनुसार उसको मिलना चाहिये । अतएव हमने यह परिवर्तन किया है । यदि बाद में अनुसूची में माता को उचित स्थान दिया गया तो हमें खण्ड १९ में विशेष परिवर्तन न करना पड़ेगा । इस प्रक्रम पर किसी बात की प्रत्याशा नहीं करता । जहां तक खण्ड ७ का सम्बन्ध है, अनुसूची के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्डों के पारित होने के बाद अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है ।

†**श्री पाटस्कर** : खण्ड १९ उन लोगों के लिये विशेष रूप से रखा गया है यदि अनुसूची में परिवर्तन होता है तो खण्ड १९ में हमें कुछ परिवर्तन करने होंगे । जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, हमें कोई कठिनाई नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब हम खण्ड १९ पर पहुंचेंगे तब हम उसे अनुसूची समाप्त होने तक रोक रखेंगे । खण्ड "७" के पश्चात् और "(१)" से पहले शीर्षक आयेगा । इस परिवर्तन के साथ मैं संशोधन मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ५, पंक्ति १ से १८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ।

Devolution of interest in the property of a *tarwad, tavazhi, kutumba, kavaru* or *illom*

"7. (1) When a Hindu to whom the *marumakkattayam* or *nambudri* law would have applied if this Act had not been passed dies after

---

†मूल अंग्रेजी में ।

the commencement of this Act, having at the time of his or her death an interest in the property of a *tarwad, tavazhi* or *illom* as the case may be, his or her interest in the property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not according to the *marumakkattayam* or *nambudri* law.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the interest of a Hindu in the property of a *tarwad, tavazhi* or *illom* shall be deemed to be the share in the property of the *tarwad, tavazhi* or *illom* as the case may be, that would have fallen to him or her if a partition of that property *per capita* had been made immediately before his or her death among all the members of *tarwad, tavazhi* or *illom,* as the case may be, then living, whether he or she was entitled to claim such partition or not under the *marumakkattayam* or *nambudri* law, applicable to him or her, and such share shall be deemed to have been allotted to him or her absolutely.

(2) When a Hindu to whom the *aliyasantana* law would have applied if this Act had not been passed dies after the commencement of this Act, having at the time of his or her death an undivided interest in the property of a *kutumba* or *kavaru* (whether a *santhathi kavaru* or a *nissanthathi kavaru*), as the case may be, his or her interest in the property shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be, under this Act and not according to the *aliyasantana* law.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu in the property of a *kutumba* or *kavaru* shall be deemed to be the share in the property of the *kutumba* or *kavaru,* as the case may be, that would have fallen to him or her if a partition of that property *per capita* had been made immediately before his or her death among all the members of the *kutumba* or *kavaru,* as the case may be, then living whether he or she was entitled to claim such partition or not under the *aliyasantana* law, and such share shall be deemed to have been allotted to him or her absolutely".

तारवाद, तवाज़ी, कुटुम्ब, कवरु अथवा इल्लम की संपति में हित का प्रक्रामण

["७. (१) जब कोई हिन्दू, जिस पर इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में मरुमक्कतायम और नामबूदरी विधि लागू होती, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद, मर जाता है और उसकी मृत्यु के समय उसका यथास्थिति तारवाद, तवाज़ी अथवा इल्लम में हित होता है तो सम्पत्ति में उस के हित का प्रक्रामण, यथास्थिति इच्छापत्रीय अथवा इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार से इस अधिनियम के अधीन होगा और मरुमक्कतायम अथवा नामबूदरी विधि के अनुसार नहीं ।

व्याख्या : इस उपधारा के प्रयोजन के लिये तारवाद, तवाज़ी अथवा इल्लम की संपत्ति में एक हिन्दू का हित यथास्थिति तारवाद, तवाज़ी अथवा इल्लम की संपत्ति में, वह भाग समझा जाये जो उसे मिलता, यदि उस की मृत्यु के पहले उस संपत्ति का प्रति व्यक्ति विभाजन यथास्थिति तारवाद, तवाज़ी अथवा इल्लम के तत्समय जीवित सब सदस्यों में किया जाता, चाहे उस पर लागू होने

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

वाली मरुमक्कतायम अथवा नामबूदरी विधि के अधीन उसे विभाजन कराने का दावा करने का हक था अथवा नहीं और ऐसा भाग उसे पूर्णरूप से आवंटित किया गया समझा जाएगा ।

(२) जब कोई हिन्दू जिस पर इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में, अलियसन्तान विधि लागू होती, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद, मर जाता है और उस की मृत्यु के समय उसका यथास्थिति कुटुम्ब अथवा कवरु (चाहे सन्तति कवरु अथवा निसन्तति कवरु) में अविभक्त हित होता है तो संपत्ति में उस के हित का प्रक्रामण यथास्थिति इच्छापत्रीय या इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार से, इस अधिनियम के अधीन होगा, अलियसन्तान विधि के अनुसार नहीं ।

व्याख्या : इस उपधारा के प्रयोजन के लिये कुटुम्ब अथवा कवरु की संपत्ति में एक हिन्दू का हित यथास्थिति कुटुंब अथवा कवरु की संपत्ति में वह भाग समझा जाएगा, जो उसे मिलता, यदि उसकी मृत्यु के तुरन्त पहले उस संपत्ति का प्रति व्यक्ति विभाजन यथास्थिति कुटुम्ब अथवा कवरु के तत्समय जीवित सब सदस्यों में किया जाता, चाहे अलियसन्तान विधि के अधीन उसे विभाजन कराने का दावा करने का हक था अथवा नहीं और ऐसा भाग उसे पूर्णरूप से आवंटित किया गया समझा जाएगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ७ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८ (पुरुषों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार के सामान्य नियम)

†**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ५ में पंक्ति ३८ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :–

(i) "Provided that a widow or widows mentioned in the schedule upon whom the property is devolved according to clauses (a) and (b) above shall be cease to have any right in it if she remarries."

["(१) परन्तु यदि अनुसूची में उल्लिखित विधवा या विधवाओं को जिन्हें उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) के अनुसार सम्पत्ति मिलती हो, उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा यदि वह पुनर्विवाह कर ले ।"]

(२) पृष्ठ ५ में, पंक्ति ३९ से ४२ हटा दी जायें ।

†**श्री डाभी** (कैरा-उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ ५ पंक्ति ३६ के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये :

"Provided that a widow who had deserted her husband shall be disqualified from inheriting his property."

["परन्तु जिस विधवा ने अपने पति का परित्याग किया हो उसे उसकी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनने से अनर्ह किया जायेगा"]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** (गुड़गांव) : हम इस बात पर सहमत हो गये थे कि अनुसूची और खण्ड ७ से १० पर चार घंटे दिये जायेंगे । अब यदि आप खण्ड ८ से १० को अनुसूची के साथ लें तो अधिक सुविधा रहेगी । अनुसूची ८ के बिना खण्ड ८ की चर्चा निरर्थक रहेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य के लाभ के लिये बताना चाहूंगा कि यह सुझाव दिया गया था कि खण्ड ७ से १० को अनुसूची के साथ लिया जा सकता है । इसके लिये चार घंटे आंवटित किये गये थे । यह भी कहा गया था कि खण्ड ११, १२ आदि में भी अनुसूची का निर्देश है, अतः अनुसूची को अलग से लिया जा सकता है । खण्ड ७ से १० के लिये मूल रूप से आवंटित दो घंटों में से एक घंटा खंडों के इस समूह के लिये और शेष एक घंटा अनुसूची की चर्चा के लिये बढ़ा दिया जाये अर्थात् केवल अनुसूची के लिये तीन घंटे रखे जायें । खण्ड ७ पारित हो चुका है । खण्ड ८ पर हम विचार कर रहे हैं । यदि पंडित ठाकुरदास भार्गव का कोई संशोधन हो तो वह प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : मेरा खण्ड ८ का पहला संशोधन संख्या ६७ है जो बड़ा महत्वपूर्ण है । खण्ड ८ में (क) से (घ) तक उपबन्ध हैं । मेरा संशोधन पंक्ति ३८ के पश्चात् एक नया परन्तुक रखे जाने के बारे में है । खण्ड ८ में पुरुषों के उत्तराधिकार के क्रम की बात कही गई है ।

अनुसूची की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में उल्लेख किया गया है कि तीन विधवायें प्रथम श्रेणी में और दो द्वितीय श्रेणी में होंगी । मेरा संशोधन यह है कि जब ये विधवायें उत्तराधिकारिणी होंगी तो वे वर्तमान विधि के अनुसार नहीं अर्थात् सम्पत्ति में उनका सीमित हित न होगा वरन् जैसी कि इस विधेयक के खण्ड १६ में व्यवस्था की गई है, कोई विधवा अथवा अन्य सभी जो भी सम्पत्ति में की उत्तराधिकारिणी होगी उसका सम्पति में पूर्ण अधिकार होगा । अतः खण्ड ८ के अधीन जो भी विधवा उतराधिकारिणी बनेगी वह सम्पत्ति की पूर्ण अधिकारी होगी । किन्तु यदि वह विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो क्या होगा ?

†**पंडित सी० एन० मालवीय** (रायसेन) : इसके लिये खण्ड २६ है ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : मेरे मित्र का सुझाव है कि खण्ड २६ है किन्तु उस खण्ड में केवल यह कहा गया है कि यदि उत्तराधिकार मिलने के समय उसने पुनर्विवाह कर लिया है, तो वह वारिस नहीं होगी जैसा कि स्वयं खण्ड २६ बताता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि विधेयक में ऐसा उपबन्ध है । विधेयक का उद्देश्य यह है कि यदि विधवा उत्तराधिकारिणी बनती है, तो केवल इस कारण उसे वंचित नहीं किया जा सकता कि वह पुनर्विवाह कर लेती है । हां यदि उत्तराधिकार मिलने के दिन से पहले ही वह विवाह कर चुकी है तो उत्तराधिकारी नहीं हो सकेगी । अतः सभा को निश्चय यह करना है कि क्या वह इस बात से सहमत है कि बाद में विवाह कर लेने पर उसे सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाये ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : खण्ड २६ यह कहता है कि अन्ततोगत्वा उसे सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जायेगा और उसके उस परिवार से बाहर चले जाने पर जहां तक संयुक्त परिवार और अन्य प्रकार की सम्पत्ति का सम्बन्ध है, बुरा असर पड़ेगा । यह चीज़ हिन्दू विधि और समाज के नैतिक सिद्धान्तों के विपरीत है कि कोई विधवा पुनर्विवाह करके सम्पत्ति हड़प कर चलती बने । इस प्रकार तो अनेक विवाह करके वह तमाम सम्पत्ति जमा करती चली जायेगी । अर्थात् पुत्रवधु के पुनर्विवाह करने से सम्पत्ति दूसरे परिवार में चली जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे दिये गये आभूषणों के बारे में क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : वे कभी-कभी तो उसके पास ही रहते हैं और कभी परिवार के सदस्यों के पास। यह तो परिवार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह तो युवा विधवाओं को ऐसी स्वतन्त्रता देना होगा जिसका वे दुरुपयोग कर सकेंगी। मेरे विचार से इस विधि में ऐसी विधवाओं के पुनर्विवाह करने और सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार देने के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध किये जाने चाहियें। न्याय और सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से सम्पत्ति उस परिवार को ही वापस मिल जानी चाहिये। इसी के लिये मैंने अपना संशोधन संख्या ६७ प्रस्तुत किया है।

यह बड़ा सीधा-सादा उपबन्ध है जो हर प्रकार से अच्छा है। इस प्रकार का कोई उपबन्ध न होने के कारण मैं यह संशोधन रख रहा हूं। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि या तो वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें अथवा इस बारे में कोई उपबन्ध बनायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री डाभी।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** : मेरा संशोधन संख्या १८० भी इसी विषय पर है। अतः अच्छा हो कि उस पर भी एक साथ ही विचार कर लिया जाये।

†**श्री पाटस्कर** : पहले देखें कि इनका क्या होता है।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** : इस पर मेरे संशोधन के साथ चर्चा की जा सकती है और या मुझे भी अपना संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे खण्ड ८ के बारे में प्रस्तुत किया हुआ समझूंगा। संशोधन संख्या १८० प्रस्तुत हुआ।

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड़—सोरठ) : यह संशोधन तो वर्तमान संशोधन से भी विस्तृत है। इसमें तो अविवाहित लड़कियां भी आ जायेंगी।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** : सिद्धान्त वही है।

†**श्री डाभी** : मेरा संशोधन संख्या १ इस प्रकार है :

पृष्ठ ५, पंक्ति ३६ के पश्चात् रखिये :

"परन्तु जिस विधवा ने अपने पति का परित्याग किया हो, उसे उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी बनने से अनर्ह किया जायेगा।"

†**श्री एन० चटर्जी** : विधवा पति का परित्याग कैसे कर सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अभिप्राय स्पष्ट है जिस स्त्री ने अपने पति का परित्याग कर दिया हो वह उसकी उत्तराधिकारिणी नहीं बन सकेगी।

†**श्री डाभी** : यदि हम खण्ड को अनुसूची प्रथम श्रेणी, के साथ पढ़ें तो पता लगेगा कि यदि कोई हिन्दू पुरुष बिना बसीयत कराये मर जाता है, तो उसकी विधवा पत्नी अपने लड़कों सहित साथ-साथ उतराधिकारिणी होगी। कुछ मामलों में स्त्री ने भले ही पति को परित्याग कर दिया हो, और पति से अलग रहती हो। ऐसी परिस्थितियों में उसे अपने पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसमें "परित्याग" की कोई परिभाषा दी गई है ? कितना समय ?

†**श्री डाभी** : खण्ड १७ के अधीन जहां पति अपने पुत्रों और पुत्रियों सहित पत्नी का वारिस है, हो सकता है कि उसने भी अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हो। अतः मैं चाहता हूं कि पुरुष को भी उसकी पत्नी की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** बहुत से मामलों में यह पता लगाना कठिन हो जायेगा कि किसने किसका परित्याग किया है ।

†**श्री डाभी :** मेरी समझ में यह नहीं आता पति द्वारा अपनी स्त्री का परित्याग करने पर उसे सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने की अनुमति क्यों दी जाती है । यही चीज़ पत्नी के बारे में भी लागू होनी चाहिये । मैं दोनों को समान स्तर पर रखना चाहता हूं ।

मेरे संशोधनों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि पत्नी या पति द्वारा परित्याग करने पर एक दूसरे की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

यदि ये दोनों संशोधन स्वीकार कर लिये जाते हैं तो इससे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक लाभ होगा क्योंकि अधिकांश मामलों में पति ही पत्नियों का परित्याग करता है । मैं चाहता हूं कि मेरे खण्ड ८ और १७ के सारे संशोधन स्वीकार किये जाने चाहिये जिससे स्त्री और पुरुष दोनों को समान स्तर पर रखा जा सके । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह मेरे संशोधनों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ।

†**श्री शेषगिरि राव** (नंदयाल) : एक औचित्य प्रश्न है कि क्या खण्ड १७ के संशोधनों पर भी अभी चर्चा की जानी चाहिये अथवा खण्ड पर विचार करते समय ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने तो केवल उसका निर्देश किया है ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** मेरा संशोधन संख्या २१५ श्री जी० एच० वैष्णव के संशोधन संख्या ६८ के समान ही है । खण्ड ८ में उत्तराधिकारियों का क्रम दिया हुआ है । अनुसूची की श्रेणी १ और २ में उल्लिखित उत्तराधिकारियों के अलावा अन्य उत्तराधिकारियों आदि के बारे में बताया गया है । हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य है अतः मुझे इस प्रकार के उत्तराधिकारियों के बारे में आपत्ति है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मातृबन्धुओं और पितृबन्धुओं का सामान्यतः उल्लेख किया गया है । क्या पीढ़ियों के बारे में कोई नियंत्रण है ?

†**श्री एस० एस० मोरे :** यह खण्ड १५ में दिया हुआ है । खण्ड १२, १३, १४ और १५ मातृबन्धुओं और पितृबन्धुओं के बारे में हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य का संशोधन केवल इसकी त्रुटि ढूंढने के बारे में है अथवा सपिण्डों और समानोदकों पर लागू करने का है ।

†**श्री एस० एस० मोरे :** मैं और पंडित ठाकुरदास भार्गव केवल उन्हीं को उत्तराधिकार बनाने के लिये अनुमति देने के पक्ष में हैं जिनका उल्लेख अनुसूची में किया गया है ।

अनुसूची की प्रथम श्रेणी में ११ वारिसों और द्वितीय श्रेणी में २१ का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार यह सूची काफी लम्बी है और सम्पत्ति के लिये उचित उत्तराधिकारी मिलने में कठिनाई नहीं होगी ।

खण्ड ३१ से सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है क्योंकि उसमें कहा गया है कि यदि वसीयत रहित सम्पत्ति का उचित उत्तराधिकारी नहीं हो तो सरकार उस सम्पत्ति को लेकर सारे आभारों और दायित्वों को उत्तराधिकारी के रूप में पूरे करेगी ।

मेरा निवेदन यह है कि जब हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य बनने जा रहा है तो उसे अनेक बातों का ध्यान रखना होगा और उत्तराधिकारी के सारे दायित्वों को पूरा करना होगा । यदि ऐसा है तो मुझे यह कहना है कि यदि किसी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आता तो वह सम्पत्ति सरकार को मिल जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री एस० एस० मोरे]

दूसरी बात इस बारे में मुझे यह कहनी है कि यदि किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो तो, जैसी कि इस विधेयक में कल्पना की गई है, उससे पहले ही सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये।

मुझे यह और कहना है कि समाजवादी व्यवस्था की दृष्टि से मेरा संशोधन स्वीकार करना सरकार के लिये अधिक सुविधाजनक होगा क्योंकि इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि इस संशोधन को स्वीकार करने के पश्चात् हम निदेशक तत्वों को लागू कर सकने में समर्थ हो सकेंगे।

एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा। मान लीजिये कि सरकार एक ऐसी विधि बनाती है जिसमें ऐसी सारी सम्पत्ति एकत्र की गई हो तो ऐसी सम्पत्ति का उपयोग सरकार अधिक अच्छे ढंग से और अच्छे काम में कर सकेगी। अन्यथा यह निदेशक तत्व केवल यों ही रखे रह जायेंगे। अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

मेरे मित्र श्री एच० जी० वैष्णव का यह सोचना गलत है कि स्त्री विधवा होगी, और सम्पत्ति प्राप्त कर वह लगातार विवाह करती रहेगी—यद्यपि यह बात उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही। स्त्री सम्पत्ति के लिये विवाह नहीं करती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह किसी दूसरी विधि के अनुसार भी विवाह कर सकती है जो संविधि पुस्तक में बहुत दिनों से है।

†**श्री एस० एस० मोरे :** मैं इस विचार का समर्थन करता हूं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को भली प्रकार कार्यान्वित करना चाहिये।

एक कठिनाई इसमें और हो सकती है। मान लीजिये कि किसी विधवा को अपने पति की सम्पत्ति मिलती है और उसके पश्चात् वह पुनर्विवाह करना चाहती है। और मान लीजिये कि मेरे माननीय मित्र की सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है तो वह उस सम्पत्ति को बेचकर प्राप्त रुपये कहीं जमा कर देगी और दूसरे पति की खोज करने लगेगी। अतएव ऐसे उपबन्ध को कार्यान्वित करना बड़ा कठिन है।

मैं माननीय मित्र के सुझाव का विरोध करता हूं और सिफारिश करता हूं कि संशोधन संख्या २१५ को स्वीकार कर लिया जाये।

†**श्रीमती जयश्री** (बम्बई-उपनगर) : मैं श्री एस० एस० मोरे से सहमत हूं। यदि पुनर्विवाह करने वाली विधवा को अपने पति की सम्पति पाने का अधिकार नहीं दिया जायेगा तो उस विधुर की दशा में क्या होगा जो पुनर्विवाह करेगा।

मैं अपने संशोधन संख्या ७ और ८ का प्रस्ताव करती हूं।

मैं भी चाहती हूं कि मातृबन्धुओं और पितृबन्धुओं की संख्या सीमित कर दी जाये। इसके लिये मैंने अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत किया है।

उप-खण्ड (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए खण्ड १२ और १३ की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें निकालने के लिये मैंने संशोधन रखा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

†**श्री सी० आर० चौधरी** (नरसरावपेट) : मेरा संशोधन संख्या ३७ श्री वैष्णव के संशोधन संख्या ६८ के समान ही है। यह सोचकर कि मेरा संशोधन बहुत कठोर है, मैं सुझाव देता हूं कि श्रीमती जयश्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ७ और ८ स्वीकार कर लिये जायें। इसके अनुसार

†मूल अंग्रेजी में।

दाय का अधिकार पांच पीढ़ियों तक सीमित रहेगा यदि पुनर्विवाह करने वाली विधवा को अपने पति की सम्पत्ति पाने का अधिकार दिया जायेगा तो न तो परिवार की और न उसके पति की स्थिति में ही कोई सुधार होगा। इस व्यवस्था से विधवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे सम्पत्ति बेचकर पुनर्विवाह करती रहें। यदि संशोधन इस कारण प्रस्तुत किया जा रहा हो कि पुनर्विवाह को प्रोत्साहन नहीं देना है तो मैं उस भावना का विरोध करता हूं। अतः मैं संशोधन संख्या ६७ का विरोध करता हूं।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव :** मैं ने संशोधन संख्या १८० और २१५ प्रस्तुत किये हैं।

यह कहा गया है कि उत्तराधिकार का नया आधार स्वाभाविक प्रेम होगा। ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रेम नहीं हो सकता जिसे किसी व्यक्ति ने देखा तक न हो। इसी कारण हमने १९३० में विधि में परिवर्तन कर उत्तराधिकारियों की सूची में बहिन को उचित स्थान दिया था।

अभी पितृबन्धुओं और मातृबन्धुओं की संख्या अनन्त है जिनके प्रति स्वाभाविक प्रेम होना कठिन प्रतीत होता है क्योंकि वे दूर के सम्बन्धी होते हैं।

श्रीमती जयश्री पितृबन्धुओं और मातृबन्धुओं की संख्या पांच पीढ़ी तक निश्चित करना चाहती हैं। माननीय मंत्री को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये। अब हम समाज का समाजवादी ढांचा बना रहे हैं। किसी के पास भी अधिक सम्पत्ति नहीं होगी। अतः अब पितृबन्धुओं और मातृ-बन्धुओं के लिये कोई स्थान नहीं है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार को इससे आय होगी और उन्हें इस स्रोत से योजनाओं क लिये धन मिल सकेगा।

संशोधन संख्या १८० के बारे में मुझे यह कहना है कि अविवाहित पुत्रियों का विवाह होने के पश्चात् उन्हें उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति प्रत्यावर्तित हो जानी चाहिये। जब विधवायें पुनर्विवाह करें तो सम्पत्ति पति के उत्तराधिकारियों को मिलनी चाहिये।

†**श्री ए० एम० थामस** (एरणाकुलम) : ताकि एक बार मिली सम्पत्ति वापस ले ली जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** हिन्दू विधि में बहुत से मामले हैं। पैदा होते ही बच्चा अपना भाग लेता है और उसका उत्तराधिकार पिछली तिथि से होता है। ओर भी बहुत से मामले हुए हैं। किन्तु यह एक ऐसा नियम नहीं है कि जो सब पर लागू हो अथवा असँदिग्ध महत्व का हो, कि हमें यह स्वीकार ही करना चाहिये। दूसरी ओर आप देखेंगे कि वर्तमान विधि में, जैसा कि पंजाब में इसका चलन है, यदि कोई विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है आज भी यह विधि है और बहुत दिनों से चली आ रही है। जैसे ही विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसकी सम्पति उसके पति के उत्तराधिकारियों को वापस चली जाती है। न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा इसे मान्यता दी गई है। यह एक रिवाज है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है और आज भी हम इस नियम का पालन कर रहे हैं।

इसके परिणाम स्वरूप पंजाब में आज आप देखेंगे कि विधवा जिसके पास सीमित सम्पदा है उसे पूरी सम्पदा मिलेगी।

हम देखते हैं कि आज पिता और लड़के को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति को किसी दूसरे को देने का अधिकार नहीं है चाहे वह संयुक्त परिवार में रहते हों अथवा नहीं। विधवा भी अपनी सम्पत्ति दूसरे को नहीं दे सकती; केवल विधिक आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ ही वह सम्पत्ति बेच सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि जब आप विधवा की सम्पत्ति को अबाधित बनाते हैं तो सम्पत्ति में उसके अधिकार पंजाब में पुरुष के अधिकारों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। उनके अधिकारों की

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

तुलना आप समांशी के रूप में करें अथवा साधारण मनुष्य के रूप में। माननीय सदस्य इस बात को नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार बराबरी तक पहुंचने में हम असमानता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक अधिकार मिलेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें भी वही अधिकार मिलें जो पुरुषों को मिले हैं। वे अधिक अधिकारों का दावा नहीं करतीं अपितु आप उनको अधिक अधिकार दे रहे हैं। यही अनियमितता है।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि पंजाब में हिन्दू पुरुष को स्त्रियों की अपेक्षा अधिकार कम हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद ऐसा होगा। किन्तु आज ऐसी बात नहीं है। विधिक आवश्यकताओं को छोड़कर विधवा आज वहां अपनी सम्पत्ति नहीं बेच सकती।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मुझे आश्चर्य है कि हिन्दू विधि के अधीन सम्पत्ति अबाधित है तो भी वह अपनी सम्पत्ति दूसरों को नहीं दे सकती; यह बात तो समझ में आती है कि विधि के अन्य दूसरे उपबन्धों के अधीन कृषियोग्य सम्पदा तो दूसरों को नहीं दी जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह रिवाज़ है कि पिता के जीवित रहते हुए बेटा विभाजन नहीं करा सकता। विधि की अपेक्षा रूढ़ियां अधिक मान्य होंगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : समस्त भारत में आज समांशी अपनी सम्पत्ति बेच नहीं सकता। विधिक आवश्यकताओं के बिना वह अपना भाग भी नहीं बेच सकता।

†**श्री सी० आर० चौधरी** : समांशी अपनी सम्पत्ति अथवा हित का मान्य रूप में हस्तान्तरण कर सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : बंगाल और बम्बई में ऐसा नियम नहीं है। पंजाब में भी ऐसा नियम नहीं है।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर-सतारा) : बम्बई में एक समांशी सम्पत्ति में से अपने हित को अलग कर सकता है।

†**श्री गाडगील** (पूना-मध्य) : उसका अविभाजित भाग बेचा जा सकता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पंजाब के बारे में तो मैं जानता हूं। पिता पुत्रों के रहते हुए अथवा ५वीं श्रेणी के सम्बन्धियों के होते हुए अपनी पैत्रिक सम्पत्ति को नहीं बेच सकता।

इसका परिणाम यह होगा कि इसके अन्तर्गत यदि लड़की को सम्पत्ति मिलती है तो वह इस सम्पत्ति को जिसे चाहे उसे बेच सकती है। इसका अभिप्राय: यह है कि पंजाब में एक साधारण पुरुष की अपेक्षा लड़की को अधिकार अधिक मिलेंगे।

मेरा निवेदन तो यह है कि पंजाब की इस विधि को आप बदल रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अधीन स्थिति क्या है।

पंजाब में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे ही विधवा पुनर्विवाह करती है पूर्व पति की सम्पत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रहता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : हिन्दू विधवापुनर्विवाह अधिनियम, १८५६ का अधिनियम १५, की धारा २ में यह व्यवस्था की गई है कि पुनर्विवाह करने पर वह अपने सम्पूर्ण अधिकारों एवं हितों को खो देगी ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस विधि तथा रिवाज़ के अनुसार पंजाब में आज स्थिति यह है कि पुनर्विवाह करने पर विधवा का अपने पूर्व पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं रहता ।

मान लीजिये कि १६–१७ वर्ष की एक विधवा है और वह दूसरा विवाह नहीं करती तथा उसे जारज सन्तान हो जाती है । तो हमने जो उपबन्ध पारित किये हैं उनके अनुसार उसकी यह जारज सन्तान भी उसके पूर्व पति की सन्तान के साथ-साथ सम्पत्ति की भागीदार होगी ।

कुछ दिन पूर्व हमने विवाह विधि पारित की है । उसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि विवाह विच्छेद का प्रश्न उठता है और यदि न्यायाधीश ऐसा आदेश दे तो उसके जीवन के लिये भरण-पोषण व्यय दिलाया जा सकता है । यदि वह दुराचारिणी सिद्ध हो जाती है तो भरण-पोषण व्यय देने के लिये वह अधिकारिणी नहीं होगी । अतः पुनर्विवाह करने पर भरण-पोषण का अधिकार समाप्त हो जाता है किन्तु सम्पत्ति फिर भी उसके साथ रहेगी । मेरा निवेदन यह है कि विवाह विधि में सम्पत्ति के मामले में भी यह लागू होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक वास्तविक कठिनाई है । यदि आप विधवा को पूर्ण अधिकार देते हैं तो उसकी अबाधित सम्पत्ति हो जाती है । वह उस सम्पत्ति की पुनर्विवाह के दिन वसीयत कर सकती है अथवा दूसरे को दे सकती है अथवा बेच सकती है । इसको आप किस प्रकार रोकेंगे ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या यह कठिनाई उसी प्रकार की नहीं है जब कि आप लड़की को तो सम्पत्ति देते हैं किन्तु समांशिक सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार पिता को देते हैं । वही बात होगी । कहीं यह बात होगी, कहीं यह बात नहीं होगी । वह सम्पत्ति को छोड़ेगी नहीं, बेचे भी नहीं, और फिर भी शादी करले ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भावी पति को सम्पत्ति उपहार के रूप में दे सकती है और तदुपरान्त उससे विवाह कर सकती है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह हो सकता है कि अन्य दूसरे लोग इस सौदे का मुकाबला करें । क्योंकि आप जो उपबन्ध यहां बनाने जा रहे हैं आप कहेंगे कि उसकी सम्पत्ति बिल्कुल उसकी ही सम्पत्ति होगी और आप वास्तव में स्त्रियों को इस प्रकार के अधिकार दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है । मान लीजिये कि स्त्री अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करती है, तो उसके पति का प्रत्यावर्त्ती उसके विरुद्ध मुकद्दमा दायर कर देगा और इसे रद्द करा देगा । इसलिये मेरा कहना है कि आप उसे केवल उतनी ही सम्पत्ति दें जितनी कि एक पुरुष को मिलती है यदि वह सम्पत्ति स्वयं उसने उपार्जित की है तो वह उसे इच्छानुसार बेच सकती है ।

मैं अपने संशोधन संख्या १८० पर बोल रहा था । पुनर्विवाह के बाद सम्पत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो जाना चाहिये । उसी तरह अविवाहित पुत्री के विवाह पर उसकी सम्पत्ति प्रत्यावर्तित हो जानी चाहिये ।

मैं यह नहीं कहता कि इन उपबन्धों की आलोचना नहीं की जा सकती । मेरा निवेदन है कि हमारी प्राचीन विधि के ये अनुकूल है ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के कारण १८५६ में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था । अन्य विधियों के अधीन भी हज़ारों विधवाओं का विवाह होता है । यद्यपि हमारी

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

विधि में विधवाओं के पुनर्विवाह का निषेध है। मेन ने भी लिखा है कि दूसरा विवाह होने पर विधवा की सम्पदा ले ली जाती थी। १८७७ में मद्रास में एक मामले के विषय में इसी आशय का निर्णय दिया गया है। बाद के एक मामले में भी मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि पुनर्विवाह करने पर विधवा को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं रहता।

इस मत के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु यदि विधवाओं को अन्य संक्रामण की शक्ति दी जाय तो इस व्यवस्था को लागू करने में कठिनाई होती है। हमें हिन्दू सामाजिक तथा न्यायिक पद्धति के मूल सिद्धान्त को नहीं भूलना चाहिये और उसे हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक में से नहीं निकालना चाहिये। हो सकता है कुछ मामलों में दूसरा पति इस प्रकार दाय प्राप्त न करना चाहे। मैं श्री मोरे के इस सुझाव का विरोध करता हूं कि खंड ८ से उपखंड (ग) और (घ) निकाल दिये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती जयश्री द्वारा उठाई गई बातों के बारे में माननीय सदस्य को क्या कहना है ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : कम से कम सपिंडो और समानोदकों को सम्मिलित कर लिया गया है।

आप युक्तियुक्त सीमा निश्चित कर सकते हैं और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समाज के समाजवादी ढांचे का नाम लेकर इस प्रकार के विधान का उपयोग सम्पत्ति जब्त करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये। आत्मबन्धुओं को अलग किया जा रहा है। क्या ये ऐसे होते हैं जिन्हें हम जीवन में कभी नहीं देख सकते ? इन्हें व्यवहार रूप में परिवार का सदस्य माना जाता है। क्या आप ऐसा विधान बना रहे हैं कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सम्बन्धियों के समाप्त होने पर सम्पत्ति सरकार के पास चली जायगी, यद्यपि मामा, ममेरा भाई और फुफेरा भाई, जीवित हों। यह उचित नहीं होगा। मैं इसका विरोध करता हूं।

मान लीजिये कि किसी व्यक्ति की मृत्यु ६० वर्ष की आयु में होती है यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय उसका पिता और पिता की मां जीवित होगी। उत्तराधिकारियों की ये श्रेणियां पर्याप्त नहीं हैं। हमें इस विधान को सम्पत्ति जब्त करने वाला विधान नहीं बनाना चाहिये। आप युक्तियुक्त सीमा बांध सकते हैं, समानोदकों की संख्या ११७ मत रखिये उसे सीमित कर दीजिये। श्री मोरे के सुझाव को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमती जयश्री रायजी के सुझावों को स्वीकार किया जाना चाहिये। मैं नहीं मानती कि इस विधान से समाज का समाजवादी ढांचा बन जायेगा। मिताक्षर में पुत्री को अधिक सम्पत्ति नहीं मिल सकेगी। हम इसके लिये अंत तक संघर्ष करेंगे। श्री ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि अभी तक हिन्दू समाज में स्त्रियों को जो अधिकार दिया गया है वह सदैव सीमित रहा है। यद्यपि ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने वर्षों पूर्व विधि पारित कराई थी फिर भी विधवाएं पुनर्विवाह कराने में हिचकती हैं। इन्हें अबाधित सम्पदा मिलनी चाहिये। अभी जो व्यवस्था है उसके अनुसार पुनर्विवाह के समय सम्पत्ति मूल परिवार को प्रत्यावर्तित हो जायगी। पुत्री को पैत्रिक सम्पत्ति का बहुत छोटा अंश मिलेगा। खंड १७(२) (ख) में यह कहा गया है कि हिन्दू स्त्री को पति अथवा ससुर से जो सम्पत्ति मिलेगी वह पुत्र अथवा पुत्री की अनुपस्थिति में पति के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। पंडित ठाकुर दास भार्गव चाहते हैं कि परिवार की सम्पत्ति परिवार में रहे। परन्तु जब हम परिवार से बाहर जाने वाली पुत्री को दाय पति का अधिकार दे रहे हैं तो उसे यह भी अधिकार देना चाहिये कि वह जिसको चाहे सम्पत्ति दे दे। अतः मैं संशोधन ६७ का विरोध करती हूं।

†**श्री पाटस्कर** : प्रस्तुत संशोधनों से पता चलता है कि दो कठिनाइयां हैं। श्री वैष्णव चाहते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में।

कि यदि विधवा पुनर्विवाह करे तो उसका सम्पत्ति में हित नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि इसका पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है। हिन्दू विधि में इस सिद्धान्त को आरम्भ करने में जो कुछ भी अच्छाइयां या बुराइयां हों, यह विदेशी विचार है। जब पिछले समय महिलाओं को और विशेष रूप से विधवाओं को अधिकार देने वाले ऐसे ही विधान पर १९३७ में इस सभा में जब चर्चा हुई थी तब श्री एन० एन० सरकार और डा० देशमुख ने, जो उस विधान के प्रभारी थे, स्पष्ट कर दिया था कि यह विदेशी विचार है। मिताक्षर में सीमित सम्पदा का कोई उल्लेख नहीं था। यह भी विदेशी विचार है। जब हम परिवार सम्बन्धी विधि बनायेंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। मुझे उनके विचार समझ में नहीं आते। उनका यह कहना उचित नहीं था कि विधवाएं पुनर्विवाह करती चली जायेंगी और इसके लिये उन्हें सुगमतापूर्वक धनवान व्यक्ति भी मिल सकेंगे। यह बात बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है।

कुछ लोगों को नैतिक आचार की अपेक्षा सम्पत्ति की अधिक चिंता है। वे नैतिक आचारों की चर्चा कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि उनके सुझाव में क्या नैतिक आचार हैं। मैं सोचता हूं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन भी इसी प्रकार का है।

उन्होंने यह बात कही है कि पंजाब में मिताक्षर रूढ़िविधि बहुत प्रचलित हो गई है, यदि उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो जहां तक मिताक्षर परिवार के अथवा ऐसे परिवार के, जिन पर रूढ़ि विधि लागू होती है, पुरुषों के अधिकारों का सम्बन्ध है हम उस विषय की जांच करेंगे जब परिवार विधि को संहिताबद्ध करने के प्रश्न को हाथ में लिया जायेगा।

श्री डाभी ने कहा है कि यदि ऐसी कोई स्त्री जिसने अपने जीवनकाल में पति को छोड़ दिया हो, विधवा हो जाये तो उसे उसकी सम्पत्ति नहीं मिलनी चाहिये। इसमें यह जानना कठिन होगा कि पति ने उसका परित्याग किया है अथवा उसने अपने पति को छोड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : परित्याग आदि की बातें बाद में आती हैं और इस स्थान पर इस पर विचार करना उचित होगा।

†**श्री पाटस्कर** : मैं सिद्धान्तरूप से विभिन्न प्रकार के अपवाद लगाने के विरुद्ध हूं। चाहे पति ने पत्नी का परित्याग किया हो अथवा पत्नी ने पति का, यह तो न्यायालय ही तय करेगा कि किसने किस का परित्याग किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ८ का सम्बन्ध तो विभिन्न व्यक्तियों की सूची से है। विभिन्न परिस्थितियों में अनर्हता सम्बन्धी खंड बाद में आते हैं। इन पर उस समय विचार किया जाना चाहिये। इस खंड में तो केवल यह कहा गया है कि पितृबन्धु अथवा मातृबन्धु होना चाहिये अथवा नहीं। और यदि हो तो किस पीढ़ी तक। दूसरी बातें यहां संगत नहीं हैं।

†**श्री पाटस्कर** : श्री मोरे उपखंड (क) और (घ). हटाकर यह चाहते हैं कि खंड (क) और (ख). में उल्लिखित उत्तराधिकारी ही रहें। यदि उनमें से कोई भी न हो तो सम्पत्ति सरकार को चली जाये। उन्होंने कहा था कि सरकार को इससे धन मिलेगा और समाजवादी समाज बन सकेगा। श्री चटर्जी जैसे सदस्यों ने बताया था कि इस प्रकार के स्रोतों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि ऐसे साधनों से सरकार को राजस्व प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है। सम्पत्ति वाले लोगों से प्रत्यक्ष रीति से राजस्व प्राप्त करने के लिये हमारे पास पर्याप्त शक्ति है। वही विधि उत्तम होगी। हमारा विचार यह कभी नहीं था कि हम इस कार्य को परोक्ष रीति से करें और संयुक्त समिति का जिसने इस विषय पर विचार किया था यह मत था।

†**श्री एस० एस० मोरे** : श्रीमती जयश्री के संशोधन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** मैं इस खंड का कोई संशोधन स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि यदि हम उसे पांच पीढ़ी तक सीमित रखें तो हम ऐसा सात पीढ़ी के लिये क्यों नहीं कर सकते ? इसका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा बहुत कम होगा कि ऐसी सम्पत्ति सरकार को मिलेगी। संयुक्त समिति ने इस पर विचार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। राज्य-सभा ने उस पर वाद-विवाद कर उसे पारित कर दिया है। मैं ऐसे कारणों से जो ठोस नहीं हैं, परिवर्तन नहीं करूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे खंड को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें। उनके उद्देश्य प्रशंसनीय हो सकते हैं फिर भी मैं सोचता हूं कि खंड को ज्यों का त्यों रहने दिया जाये। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३७ और श्रीमती जयश्री के संशोधन संख्या ७ और ८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"खंड ८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ९—(अनुसूची में उत्तराधिकारियों का उत्तराधिकार क्रम)

†**श्री वी० जी० देशपांडे** (गुना) : मैं अपने संशोधन संख्या १७० का प्रस्ताव करता हूं। मेरे संशोधन का आशय यह है कि पुत्र में पहले मर जाने वाले पुत्र और विधवा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। उत्तराधिकार की योजना का मूल उद्देश्य यह है कि परिवार को बनाये रखा जाये। इसलिये हमने सदा ही यह अनुभव किया है कि पुत्र या पूर्वमृत पुत्र के पुत्र या पूर्वमृत पौत्र के पुत्र, इन तीन व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा परिवार को जारी रखा जा सकेगा। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि यहां संसद् में बार-बार यह कहा जाता है कि संसद् अथवा समाज का उद्देश्य समाज को व्यक्तिवाद की ओर ले जाना है। परिवार का कल्याण एक व्यक्ति के कल्याण से अधिक महत्व रखता है।

यदि आप श्रेणी १ की सूची को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि संसार के किसी देश की किसी भी विधि में, चाहे वह मुसलमानों की हो या ईसाइयों की या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम हो, एक साथ इतने उत्तराधिकारी नहीं होते हैं।

†**श्री सी० सी० शाह :** विधवा के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री वी० जी० देशपांडे :** मुझे इस पर आपत्ति नहीं है कि विधवा को भी अंश मिले। मैं यह चाहता हूं कि उसकी स्थिति और भी सुधरे। परन्तु मेरा विचार है कि पूर्वमृत लड़की के पुत्र और पूर्व-मृत लड़की की लड़की को इस सूची में से निकाल देना चाहिये। सूची को इतना लम्बा बनाने से परिवार की सम्पत्ति विभाजित होते-होते नष्ट हो जायेगी। इसलिये, इस सूची को छोटा किया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने कहा सूची में केवल पहले तीन व्यक्ति होने चाहियें, अर्थात् पूर्वमृत पुत्र, पूर्वमृत पुत्र का पुत्र और पूर्वमृत पौत्र का पुत्र। ऐसा करने के बाद, सूची के बाकी नाम हटा देने से यह विधि, यदि स्वीकार्य नहीं, तो सहन योग्य हो सकेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभी सदस्यों की समस्त सम्पत्ति का बंटवारा होने की स्थिति में तो पूर्वमृत पुत्र की विधवा को हिस्सा देना न्याय था। यदि सम्पत्ति में से पूर्वमृत पुत्र की विधवा को हिस्सा दिया गया तो उसे अपने पति की सम्पत्ति से और साथ ही अपने श्वसुर की सम्पत्ति से हिस्सा मिलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इसलिये जब समस्त सम्पत्ति विभाजित कर दी गई तो प्रत्येक पुत्र स्वतन्त्र स्वामी बन जाता है इसलियें सूची को पुत्र, पुत्री तथा विधवा पुत्रवधू तक ही सीमित क्यों न रखा जाये ।

†**श्री शेषगिरि राव** : यही बात पूर्वमृत पुत्र की पुत्री पर भी लागू होती है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : हमने इन उत्तराधिकारियों के निकाले जाने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं । मूल खंड के अनुसार किसी व्यक्ति के मरने पर उसके अविभाजित पुत्रों की सारी सम्पत्ति विभाजन योग्य मानी जानी चाहिये । प्रश्न यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा के मामले में, सम्पत्ति को ससुर की सम्पत्ति समझा गया है, इसलिये उसको इस में हिस्सा मिलना चाहिये । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्त्री को, अपने पति के अंश के साथ-साथ ससुर की सम्पत्ति का अंश भी मिलना चाहिये ? कठिनाई यह होगी कि विधवा, पुत्र और पुत्री का अंश कम हो जायेगा ।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे विचार में इस बात पर अनुसूची पर चर्चा के समय विचार किया जायेगा । उस समय हम इस का निर्णय करेंगे । मेरे विचार में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : हमें इन ग्यारह व्यक्तियों के एक साथ एक ही श्रेणी में रखे जाने पर आपत्ति है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है कि श्रेणी १ को १ (क), १(ख) और १(ग) में विभाजित किया जा सकता है ।

†**श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** (गुण्टूर): मेरा निवेदन है कि चाहे अनुसूची केवल मिताक्षरा समांशियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की हिन्दू सम्पत्तियों पर लागू होती है ।

†**श्री पाटस्कर** : खंड ९ के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । हमने केवल यह व्यवस्था की है कि "अनुसूची में उल्लिखित उत्तराधिकारियों में से, जो श्रेणी १ में हैं वे एक साथ लेंगे इत्यादि" । मैं यह नहीं कहता कि वर्तमान सूची का ही अनुसरण किया जाये । अनुसूची पर चर्चा करते समय हम इन बातों पर विचार कर सकते हैं ।

जहां तक श्री देशपांडे के संशोधन का सम्बन्ध है, संभवतः उन का अभिप्राय यह है कि पुरुष के न होने पर ही स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिये । मेरे विचार में यह स्वीकार्य नहीं है ।

यदि इसे इस रूप में रखा जाये तो, अस्त-व्यस्तता उत्पन्न होगी । मेरे विचार में उनके इस दृष्टिकोण से भी खंड ९ को वर्तमान रूप में रहने देना चाहिये । इससे किसी को कोई हानि नहीं होती है । इन सब बातों पर अनुसूची पर चर्चा करते समय विचार किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव यह है कि खंड ९ से १४ और अनुसूची पर एक साथ चर्चा की जाये ।

†**श्री पाटस्कर** : खंड ९ के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है । इस बात का निर्णय कि श्रेणी १ में कौन रखे जाने चाहियें और श्रेणी २ में कौन होने चाहियें, अनुसूची पर चर्चा के समय किया जा सकता है ।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** : हमारा उद्देश्य यह है कि इन सब ११ उत्तराधिकारियों को एक ही श्रेणी में न रखा जाय । सम्भवतः इन्हें दो श्रेणियों में बांटना आवश्यक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री पाटस्कर** : चाहे इनकी संख्या २, ३, ४, ५, या १५ हो, इसका निर्णय तब होगा, जब हम अनुसूची पर चर्चा करेंगे । मैं नहीं समझा कि खंड ९ को पारित करने से क्या कठिनाई उत्पन्न होगी । ऐसा करने से अनुसूची की श्रेणी १ में किसी शब्द को बदलना असंभव नहीं हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कठिनाई को समझा नहीं । श्रेणी १ को दो भागों में विभाजित किया जायेगा और दोनों वर्ग एक साथ ही उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे । मान लीजिये कि हम वर्ग १ को विभाजित करते हैं और पहले पांच व्यक्तियों को अंश लेने में एक साथ वरीयता दी जाती है तो शेष उनके साथ नहीं आयेंगे किन्तु श्रेणी २ से पहले आयेंगे । इसलिये खंड ९ को इसी तरह पारित कर देने से कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ।

†**श्री पाटस्कर** : श्रेणियां दो हैं । श्रेणी १ और श्रेणी २ । श्रेणी २ में १, २, ३ से लगा कर ९ तक प्रविष्टियां हैं । योजना यह है कि इन दोनों श्रेणियों में से श्रेणी १ के उत्तराधिकारी एक साथ लेंगे । श्रेणी २ के सम्बन्ध में, हमारी व्यवस्था यह है कि पहली प्रविष्टि के व्यक्ति को दूसरी प्रविष्टि के व्यक्ति की अपेक्षा वरीयता दी जायेगी; दूसरी प्रविष्टि के व्यक्तियों को तीसरी प्रविष्टि के व्यक्तियों की अपेक्षा वरीयता दी जायेगी । इसी तरह यह क्रम जारी रहेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी कारण से एक या दो उत्तराधिकारियों को श्रेणी १ से अपवर्जित कर दिया जाय, वे उन उत्तराधिकारियों में सम्मिलित होंगे, जो एक साथ लेते हैं । ऐसी हालत में उन्हें श्रेणी २ में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि पहले आने वाला व्यक्ति दूसरे को अपवर्जित करता है । इस लिये एक तीसरी श्रेणी बनानी पड़ेगी । अतः मेरा सुझाव है कि खंड ९ से १४ तक और अनुसूची पर एक साथ चर्चा की जानी चाहिये ।

†**श्री आल्तेकर** : अनुसूची के संशोधन अभी भेजने पड़ेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे भेजे जा चुके हैं, तो इन्हें प्रस्तावित समझा जायेगा ।

†**श्री सी० सी० शाह** : खंड ९ से १४ तक अनुसूची पर पृथक् विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि इनके विषय भिन्न-भिन्न हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी कठिनाई यह है कि अनुसूची में केवल उत्तराधिकारियों की श्रेणियां ही नहीं हैं, इसमें यह भी है कि यह खंड ९ से किस प्रकार नियमित होता है ।

†**श्री सी० सी० शाह** : स्पष्ट है कि यदि कुछ उत्तराधिकारियों को श्रेणी १ से अपवर्जित किया जाता है, तो उन्हें श्रेणी २ में रखना पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें श्रेणी १-क में रखा जा सकता है और वे उत्तराधिकारी भी एक साथ लेंगे ।

†**श्री सी० सी० शाह** : श्रेणी २ में भी ऐसे उत्तराधिकारी हैं, जो एक साथ लेते हैं । श्रेणी ३ में भी ऐसे उत्तराधिकारी हैं जो एक साथ लेते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि प्रथम वर्ग में से जो कुछ भी निकाला जाये उसे द्वितीय वर्ग में रख दिया जाये ।

†**श्री सी० सी० शाह** : और प्रश्न यह है कि उसे किस प्रविष्टि में रखा जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, और उसे किस क्रम में रखा जाये ।

†**श्री पाटस्कर** : चूंकि इस समय हम खण्ड ९ पारित कर रहे हैं, इसलिये मैं यह नहीं कहूंगा कि हमें अनुसूची में कोई भी रद्दोबदल नहीं करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सी० सी० शाह** : जहा तक श्री देशपांडे के संशोधन का सम्बन्ध है, वे तो प्रथम वर्ग में से विधवा और पुत्री के अतिरिक्त, सभी स्त्रियों को हटा कर उनके स्थान पर सभी पुरुषों को रख देना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उद्देश्य तो पुत्री को अंश देना है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : उनका संशोधन मानने का अर्थ है, अनुसूची को पुनः प्रारूपित करना ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे अनुसूची पर चर्चा के समय लिया जायेगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १०– (अनुसूची के प्रथम वर्ग के वारिसों के बीच सम्पत्ति का वितरण)

†**श्री राने** (भुसावल) : मैं संशोधन संख्या १० और १५ का प्रस्ताव करता हूं ।

मेरे संशोधन संख्या १० में कहा गया है कि निर्वसीयत के प्रत्येक उत्तरजीवी पुत्र को एक-एक अंश मिलेगा । संशोधन संख्या १५ के द्वारा मैंने जनकों को अनुसूची के प्रथम वर्ग का स्तर और पुत्री को आधा अंश दिया है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : खण्ड ८ के संशोधित रूप को देखते हुए इसकी क्या आवश्यकता है ?

†**श्री राने** : मैंने अनुसूची के सम्बन्ध में भी एक संशोधन रखा है । यदि आप इस नियम को यहां नहीं रखते हैं तो जनकों को अनुसूची के प्रथम वर्ग में कोई भी अंश नहीं दिया जा सकेगा । मैं खण्ड १० में दो और नियम जोड़ना चाहता हूं । पहला तो यह कि निर्वसीयत की प्रत्येक उत्तरजीवी पुत्री को आधा अंश मिलेगा, और दूसरा यह कि उत्तरजीवी माता और पिता को, या उनमें से जो भी जीवित हो उसे, एक अंश मिलेगा । माता और पिता को वारिसों के प्रथम वर्ग में रखने की बात मैं कह ही चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसे अनुसूची में नहीं किया जा सकता है ?

†**श्री राने** : जी, नहीं । सम्पत्ति के विभाजन के समय दिये जाने वाले अंशों का उल्लेख यहां होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १० में तो यही कहा गया है कि "निर्वसीयत की सम्पत्ति प्रथम वर्ग के वारिसों में इन नियमों के अनुसार विभाजित कर दी जायेगी।" माननीय सदस्य और क्या कहना चाहते हैं ?

†**श्री राने** : इस खण्ड में जनकों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियम नहीं है, और उसके न होने पर यह प्रवर्तनशून्य ही रहेगा । अनुसूची का संशोधन भी प्रवर्तनशून्य रहेगा । इसलिये, यह बिल्कुल आवश्यक है ।

मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं । आप जानते हैं कि जनकों के सम्बन्ध में हिन्दू विधि इस प्रकार है: 'पत्नी दुहित रश्चैव पितरौ भ्रातस्तथा' । किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्रमशः उसके पुत्र, विधवा, पुत्री, और तब पुत्री के पुत्र का अधिकार होता है । इन वारिसों के सम्बन्ध में जब स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जा रहा है, तो फिर जनकों को पहले वर्ग में क्यों न रखा जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री राने]

राऊ समिति के प्रतिवेदन में, "पुत्री का पुत्र" इस क्रम में दूसरे, और माता तीसरे तथा पिता चौथे नम्बर पर आता है। उसमें वारिसों के रूप में जनकों की प्रगणना की गई है।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में भी माता को कुछ प्रतिष्ठा दी गई है। उसके नियम २ में कहा गया है कि उत्तरजीवी पुत्र और पुत्री और निर्वसीयत की माता में से प्रत्येक को एक-एक अंश मिलेगा। पता नहीं राज्य-सभा ने इसे क्यों हटा दिया है। इसीलिये, मैं नियम ६ को जोड़कर जनकों को प्रथम वर्ग की प्रतिष्ठा देना चाहता हूं। उनको एक अंश मिलना चाहिये।

नियम ५ के सम्बन्ध में, राऊ समिति ने सुझाव दिया था कि पुत्रियों को आधा अंश दिया जाये। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्रतिनिधिक संस्थायें राऊ समिति की इस सिफ़ारिश से सहमत हो गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक दूसरा विषय है। पिता और माता के अंश के सम्बन्ध में, उन्होंने यह कहा है कि पिता और माता दोनों को पुत्र के साथ-साथ ही एक अंश दिया जाये। यदि माता और पिता दोनों जीवित हों, तो वे उस एक अंश को आधा-आधा बांट लें, और यदि एक ही उत्तर-जीवी हो तो वह अंश उसे मिलेगा और विधवाओं को भी एक अंश मिल जायेगा।

†**श्री राने** : उन्हें अनुसूची के प्रथम वर्ग में रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम २ में कहा गया है कि निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को एक-एक अंश दिया जायेगा।

†**श्री राने** : उसे संशोधन संख्या १० के साथ पढ़ा जाना चाहिये। मैंने संशोधन संख्या १० में से उत्तरजीवी पुत्री को हटा दिया है, इसीलिये मैंने नियम ५ जोड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे संशोधन संख्या १० और १५ को एक साथ रखना चाहते हैं।

†**श्री राने** : राऊ समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि स्मृतियों में पुत्री को एक चौथाई अंश दिये जाने की व्यवस्था है, पर यह बहुत ही कम है; और पुत्री को कम से कम आधा अंश तो मिलना ही चाहिये। आधा अंश भी उन्होंने समझौते के तौर पर ही रखा है।

सन् १९५४ के मूल विधेयक में भी, नियम ५ के विरुद्ध यह व्यवस्था की गई है कि निर्वसीयत की प्रत्येक उत्तरजीवी पुत्री को आधा अंश मिलेगा। लेकिन, संयुक्त समिति ने उसे समान अंश देने की बात कही है।

†**श्री एस० एस० मोरे** : राऊ समिति ने तो यह भी सिफारिश की है कि जन्म द्वारा मिलने वाले अधिकार को हटा दिया जाये।

†**श्री पाटस्कर** : आप एक साथ दोनों ही चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते।

†**श्री राने** : मैंने इसका हिसाब लगाकर देखा है। मान लीजिये कि एक पिता अपने २ पुत्रों और ३ पुत्रियों तथा एक विधवा को छोड़ कर मर जाता है और उसकी सम्पत्ति ९,००० रुपये के मूल्य की हो तो, प्रत्येक पुत्र और पुत्री को १,५०० रुपये मिल जायेंगे, पर, मान लीजिये कि एक पुत्री विवाह के बाद ही विधवा हो जाती है, तो वह ९,००० रुपये की पूरी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बन जायेगी। और मान लीजिये कि वह पुनर्विवाह कर लेती है तो उसे अपने नये पति की भी सम्पत्ति मिल जायेगी। पर, पुत्र को वही १,५०० रुपये मिलेंगे।

†**श्री पाटस्कर** : पुत्री की अपेक्षा पुत्र रोज़ी कमाने की सामर्थ्य अधिक रखता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री राने** : यह एक दूसरा प्रश्न है। कई स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक कमाती हैं। आपकी इस समानता का अर्थ तो व्यवहार रूप से बहिन को ही अधिक अंश देना होगा। भाई का अंश तो वही १,५०० रुपयों का बना रहेगा और वह निर्धन रहेगा। उसे अपनी पत्नी के अंश में से भी कोई संतान न होने पर, कुछ नहीं मिल सकता है क्योंकि खंड १७ के अनुसार पुत्रवधु की सम्पत्ति उसके पितृकुल को चली जाती है और पति को नहीं मिलती है। अतः इसे समानता नहीं कहा जा सकता। इसीलिये, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। सम्पत्ति का बंटवारा करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १० और १५ प्रस्तुत हुए।

†**श्रीमती सुषमा सेन** (भागलपुर-दक्षिण) : मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं, क्योंकि खण्ड ६ के सरकारी संशोधन को स्वीकृत करके हमने पुत्री के अंश को कम कर ही दिया है; इसे मान लेने से तो वह और भी कम हो जायेगा। मैं तो पुत्र और पुत्री को समान अंश देना चाहती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्या श्री राने के पिता और माता सम्बन्धी संशोधन को मानती हैं ?

†**श्रीमती सुषमा सेन** : जी, हां।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं भी व्यक्तिगत रूप से पिता और माता के प्रथम वर्ग में सम्मिलित किये जाने को उचित मानती हूं। इसलिये माता और पिता को प्रथम वर्ग में रखा जाना चाहिये।

पर, मैं श्री राने द्वारा प्रस्तावित आधे अंश का कड़ा विरोध करती हूं। उन्होंने राऊ समिति का उल्लेख किया है। हम उसकी एक सिफारिश विशेष को मानकर, दूसरी को अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। राऊ समिति के समय भी, हमारे देश के महिला संगठनों ने बराबर अंश की मांग उठाई थी, और बाद में आधे अंश को एक समझौते के तौर पर माना था। मेरा विचार तो यह है कि यदि राऊ समिति की सभी सिफारिशों को मान लिया जाये और यदि मिताक्षरा समांशिता को समाप्त कर दिया जाये और उसके बाद पुत्री को आधा अंश दिया जाये, तो अधिकांशतः उसे मिताक्षरा समांशिता के अन्तर्गत मिलने वाले अंश से कहीं अधिक अंश मिलेगा। इसलिये, हमें राऊ समिति की सभी सिफारिशों के समूचे प्रभाव को देखना चाहिये।

मेरा यह दृढ़ मत है कि मिताक्षरा प्रणाली के अधीन आने वाली पुत्रियों को बहुत ही थोड़ा अंश मिलेगा, हां समान अंश देने पर दायभाग प्रणाली के अधीन आने वाली पुत्रियों को काफी लाभ पहुँचेगा। इस प्रकार के कल्पित तर्क देने से कोई लाभ नहीं कि विधवा हो जाने पर और फिर से विवाह कर लेने पर एक पुत्री को पुत्र से अधिक अंश मिल जायेगा। यह नहीं भी हो सकता है, और सभी पुत्रियों के मामले में तो ऐसा नहीं होगा। हमें अनुभव करना चाहिये कि हमारे देश की स्त्रियों में पुरुषों के बराबर जीवकोपार्जन की सामर्थ्य नहीं है। उनको उतने साधन उपलब्ध नहीं हैं।

दूसरा तर्क यह दिया गया है कि जहां तक पिता की सम्पत्ति का सम्बन्ध है, निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा अविभाजित पुत्रों और पुत्रियों के बीच सम्पत्ति का समान रूप से बंटवारा किया जायेगा। लेकिन, पुत्र को तो निर्वसीयत सम्पत्ति के अंश के अतिरिक्त पैतृक सम्पत्ति का भी अंश मिलेगा। दोनों मिलकर, पुत्री के अंश से अधिक हो जायेंगे।

पुत्र के अंश का आधा अंश पुत्री को देना प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुचित है। इसलिये मैं श्री राने के संशोधन का विरोध करती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम पिता, माता और पुत्री को दिये जाने वाले अंशों से सम्बन्धित संशोधनों पर पहले विचार कर लें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[अध्यक्ष महोदय]

इस प्रकार संशोधन संख्या ११, १२, १३, १४, १५, १६, १०६, १०७–१११, ११२ और १७१ रह जाते हैं; जिनमें से संशोधन संख्या १० और १५ प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

†**श्री बी० पी० सिंह** (मुंगेर सदर वजमुई) : मैं संशोधन संख्या ११, १२, १३, १४, और १६ को प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या १०६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री आल्तेकर** : मैं संशोधन संख्या १०७, १०८, १०९, ११० और १११ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री बी० पी० सिंह** : मैं संशोधन संख्या ११२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं संशोधन संख्या १७१ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सभी संशोधन सभा के सामने हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इन्हीं विषयों पर अनुसूची के संशोधन संख्या ४३ से ५१ तक को भी सम्मिलित कर लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे अनुसूची पर चर्चा के समय ही लिये जायेंगे, क्योंकि हम इस पर सहमत हो चुके हैं कि खण्ड १० से १४ तक को अनुसूची के साथ-साथ लिया जाये।

†**श्री आल्तेकर** : तब मैं अपने इन संशोधनों को अनुसूची पर विचार करने के समय ही प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि उस समय इन पर दुबारा चर्चा करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें जहां-जहां पुत्री का उल्लेख है उस स्थान पर अविवाहित पुत्री होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे यह कहना चाहते हैं कि पुत्री को आधा अंश मिलेगा, तो वे इसी समय रखें। अंशों से संबन्धित प्रत्येक बात खण्ड १० के अन्तर्गत आती है। उसे अनुसूची के समय तक रोकने में कोई लाभ नहीं है।

†**श्री आल्तेकर** : मतदान स्थगित कर दिया जाये। एक ही समय पर उत्तराधिकार प्राप्त करने वालों की सूची में केवल अविवाहिता पुत्री को ही रखा जाये और मृत पुत्री के पुत्र और पुत्री को नहीं। इसका कारण बहुत साधारण है। सम्पत्ति का बटवारा करते समय केवल निकटतम उत्तराधिकारियों को हिस्सा मिलना चाहिये। एक परिवार में संभव है एक पुत्र, एक अविवाहिता पुत्री, एक विवाहिता पुत्री और एक विवाहिता पुत्री हो जो मर चुकी हो और जिसके बच्चे हों। विवाहिता पुत्रियों के विवाह आदि पर खर्च करके उनकी व्यवस्था की जा चुकी है। पिता की मृत्यु पर यदि यह भी सम्पत्ति में हिस्सा लेने चले आते हैं तो पुत्र और अविवाहिता पुत्री को कम हिस्सा मिलेगा। यदि एक परिवार में एक अविवाहिता पुत्री, दो पुत्र और दो विवाहिता पुत्रियां हैं, जिनमें से एक मर चुकी और एक जीवित है, तो प्रत्येक को पांचवां हिस्सा मिलेगा। दोनों विवाहिता पुत्रियों, जिनके विवाह आदि पर पहले खर्च किया जा चुका, को भी अन्य व्यक्तियों के समान पांचवां हिस्सा मिलेगा। इस उपबन्ध से पुत्रों और अविवाहिता पुत्री को हानि होगी, और यह एक प्रकार की असमानता होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि विवाहिता पुत्री और मृत पुत्री के पुत्र और पुत्री को अनुसूची में से निकाल दिया जाये और केवल अविवाहिता पुत्री को ही रखा जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह कहा गया कि पुत्र के विवाह में उसकी पत्नी अपने साथ सम्पत्ति लायेगी। परन्तु इस सम्पत्ति पर उसके पति या श्वसुर का अधिकार नहीं होगा और खंड १७ (२) (क) के अनुसार यदि पत्नी निस्संतान मर जाती है तो वह सम्पत्ति उसके पिता के परिवार को ही वापस लौट जायेगी। उस पर उसके पति अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि विवाहिता पुत्री और यदि वह मर चुकी हो तो उसके पुत्र तथा पुत्री को अनुसूची में क्यों नहीं रखा जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि केवल अविवाहिता पुत्री को उत्तराधिकार मिले और वह सीमित हो। इसके लिये नियम ५ की वृद्धि करनी होगी, ऐसा मैंने अपने संशोधन संख्या १११ में दिया है। विवाह होने तक सम्पत्ति पर उसका हक होगा उसके पश्चात् उसके पिता के परिवार का ही उस पर हक होगा। केवल इसी तरीके से पुत्रों और अविवाहिता पुत्री के प्रति न्याय किया जा सकेगा।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : अविवाहिता कन्या अपने विवाह से पूर्व अपनी सम्पत्ति को बेच सकती है।

†**श्री आल्तेकर** : ऐसा नहीं होगा क्योंकि उत्तराधिकार पिता की मृत्यु पर प्राप्त होगा और साधारणतः उसका विवाह १८ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व हो जायेगा। कोई कन्या अपनी सम्पत्ति बेच दे और १८ वर्ष की आयु के पश्चात् विवाह करे, मेरे विचार से ऐसे मामले कम ही होंगे।

†**श्री त्यागी** : वह बड़ी भाग्यशालिनी होगी।

†**श्री आल्तेकर** : अतः अनुसूची में केवल अविवाहिता पुत्री को ही रखा जाये अन्यथा यह पुत्र और अविवाहिता पुत्री के प्रति बहुत अन्याय होगा।

श्री० बी० पी० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने ११, १२, १३, १४, १६ और ११२ नम्बर के संशोधन रक्खे हैं। अपने १६ नम्बर के संशोधन द्वारा मैंने यह चाहा है :

> "कि हर हालत में पुत्री को पुत्र से आधा मिलेगा जबकि विधवा अथवा विधवाओं को उनके पुत्र के समान हिस्सा मिलेगा।"

स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में हमारी तो अपनी यह धारणा थी कि स्त्रियों को उनके पतियों की सम्पत्ति में अधिकार दिलाये जाने की व्यवस्था की जाती लेकिन इसके विरोध में यह तर्क दिया गया कि यह स्त्रियों के समानाधिकार में बाधक होगा मैं इसको समझ नहीं सका कि यह किस तरह से समानाधिकार में बाधक होगा।

यह कहा जाता है कि जब धारा ६ में संशोधन हो गया तो पिता की जो निजी सम्पत्ति है, उसी में लड़कियों को अधिकार होगा। मैं समझता हूं कि धारा ३२ और इस धारा के दोनों अर्थ हो सकते हैं। इस धारा का अर्थ यह भी हो सकता है कि पिता चाहे तो अपनी सारी सम्पत्ति लड़कों को ही दे दे, या पिता चाहे तो अपनी सारी सम्पत्ति या सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग लड़कियों को दे दे यह पिता की भावना पर निर्भर करेगा।

श्री आल्तेकर का यह कहना कि जो लड़की अविवाहित है, उसका पूरा हिस्सा होना चाहिये और जब लड़की का विवाह हो जाये तो उसका हिस्सा आधा होना चाहिये और इसको सुनकर ऐसा मालूम होता है कि मानों प्रेम का अभाव हो और स्पष्ट है कि जहां पर प्रेम का अभाव होगा वहां पर इस तरह की लेन-देन की बात चलती है और आप यहां पर यह देख रहे हैं कि हमारी जितनी बातें हो रही हैं, वह सारी लेन-देन की बातें हो रही हैं और प्रेम का बिल्कुल अभाव सा मालूम पड़ता है और इसीलिये मेरा अपना यह ख्याल है कि जो मैंने संशोधन रक्खा है और जिसका कि भाव मैंने अभी पढ़ कर बताया उसको मंजूर कर लेने में हमारे विधि-कार्य मंत्री महोदय को कोई दिक्कत नहीं होगी।

इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मेरा संशोधन ११२ पर है उस को देखिये। ऐसा देखा जाता है कि जब कभी स्त्रियों के पास सम्पत्ति होती है तो मां साधारणतया दूसरे के हाथ

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री बी० पी० सिंह]

तभी बेचती है जब कि उस को सन्तानों को सुख होता है। इसलिये हमको बराबर इस बात का ख्याल रखना होगा कि विधवा की जो सम्पत्ति हो उसकी बिक्री न हो सके। और यदि उस की बिक्री होनी ही हो तो वह उसी स्थिति में हो जबकि उसको विधवा के मेन्टेनेन्स (जीवन निर्वाह) के लिये काफी न समझा जाय और उस को डिस्ट्रिक्ट जज की सहमति से इस तरह से बेचा जाय कि वह सम्पत्ति पहले विधवा के लड़कों को ही मिले। यदि वह लेने को तैयार न हों तभी वह दूसरों को मिल सके। ऐसा होने से जो फ्रैगमेन्टेशन आफ लैंड होल्डिंग्ज (भूमि के टुकड़े होना) की बात कही जाती है वह भी रुक जायेगी क्योंकि यथासम्भव सम्पत्ति परिवार में ही रहेगी।

मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बिल्कुल निर्दोष संशोधन है और माननीय मंत्री को उसे स्वीकार कर लेने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री बी० जी० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"इच्छापत्रहीन व्यक्ति की प्रत्येक उत्तरजीवी अविवाहिता पुत्री को (जो न तो विधवा हो और न ही उसने विवाह विच्छेद किया हो) एक चौथाई भाग मिलेगा।"

यह संशोधन लड़की का भाग कम करने के लिये नहीं रखा गया है। मेरी कभी भी इस प्रकार की भावना नहीं है। हम तो लड़की को भाग देने के पक्ष में हैं। पहले भी हम लड़की को भाग देने के विरोध में नहीं थे, उल्टे हम लड़की को ज्यादा देने के पक्ष में थे और इसी प्रकार की हमारी परम्परा सदा से रही है। जब आज इस प्रकार का बिल पास हो रहा है और लड़की को देना ही है तो मैं यह कलह नहीं करना चाहता कि कम दो या ज्यादा दो। परन्तु जब मैंने शास्त्र मर्यादा के अनुसार देखना शुरू किया तो मेरे मित्रों ने बताया कि यदि इस प्रकार का कोई विषय आता है तो क्या किया जाय। यह ठीक है कि जब कोई पुरुष मरता है तो उसके पुत्र भी हैं और कन्यायें भी हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि स्थिति यह आजाय कि भाई लोग लड़की की तरफ ध्यान न देते हों तो उसके लिये मनु ने आज्ञा दी है कि :

स्वेभ्यो शेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक्।
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ।।

लड़का अलग हो जाता है तो लड़की क्या करे ? उसका विवाह होना है, विवाह कैसे हो ? यह ठीक बात है कि पिता जो है वह लड़की के कुमारी रहते हुए उसकी रक्षा करता है, पति युवावस्था में करता है और पुत्र वृद्धावस्था में करता है। परन्तु पिता तो मर गया और भाई अलग हो गये हैं। ऐसी स्थिति में कन्या का क्या हो ? उस कन्या के लिये मनु ने कहा है कि इस प्रकार का प्रबन्ध हो कि उसको सम्पत्ति का एक चतुर्थांश मिले। तो मनु तो उसको एक चतुर्थांश देना चाहते हैं, अब यदि यह सदन चाहता है कि एक चतुर्थांश का आधा हो जाय या आधे के स्थान पर समान भी हो जाय, या अधिक भी हो जाय, तो भी उसके लिये मेरा विरोध नहीं है। यदि आवश्यकता के कारण पिता की सम्पत्ति में कन्या को भाग देना ही है तो थोड़ी दृढ़ता दिखाने के भी मैं विरोध में नहीं हूं। परन्तु जो विवाहित कन्या है, जो कि दूसरे के घर में गई है, जिस की रक्षा का भार दूसरे लोगों ने ले लिया है, उसको केवल सम्पत्ति दिलान के शौक के कारण यदि यह चीजें हो रही हैं और सम्पत्ति का बटवारा हो रहा है तो मैं इस को इस दृष्टि से नहीं देखता। एक सामाजिक इच्छा की दृष्टि से कि सम्पत्ति का वितरण होना चाहिये, मैं इसको नहीं देखता हूं और न मैं इस को सामाजिक समझता हूं। सामाजिक न्याय केवल पुरुष को न मिले स्त्री को भी मिलना चाहिये दूसरे को मिलना चाहिये चौथे को भी मिलना चाहिये, इस प्रकार से सामाजिक न्याय नहीं हुआ करता है। इसी को देखते हुए मैंने अपना संशोधन दिया है जिस का तत्त्व यह है कि जो अविवाहित कन्या है उस का यदि भाई अलग हो जाता है वह अपनी भगिनी के प्रति जो उत्तरदायित्व

†मूल अंग्रेजी में।

उसका है उसको नहीं निभाता है और पिता मर गया है, तो पिता के मरने के पश्चात् अविवाहित कन्या को सम्पत्ति में अधिकार दिया जाय । मैंने इस देश में ऐसा विधान देखा भी है । मैंने अपने मित्रों को बताया भी, लेकिन उसको उन्होंने विश्वास करने के योग्य नहीं समझा । गोआ में इस प्रकार का विधान है कि यदि पिता मर जाता है और कन्या अविवाहित है तो उस को समान अधिकार मिलता है कोपार्सनरी (समांशिता) में । परन्तु नियम ऐसा है कि उस का विवाह होने के पश्चात् उसको ५००० रुपये या जो सम्पत्ति उसकी है उसका एक तिहाई है, जो भी कम हो, का हक उसको दिया जाता है । विवाह के पूर्व जो अधिकार उस को होता है उतना विवाह के पश्चात् नहीं रह जाता है । इस प्रकार का विधान वहां पर है । इसलिये मैं केवल समानता के दृष्टिकोण से ही इस प्रश्न को नहीं देखता हूं । हां, मेरी वृत्ति इस तरफ जरूर देखती है कि लड़की को कोई कष्ट न हो । जिस प्रकार से इस कानून के बनाने वाले कहते हैं कि इस कानून के बनने के पश्चात् न्याय की विजय होने वाली है और चूंकि प्रत्येक आदमी अपनी ही तरफ देखेगा, अपनी बहन की तरफ नहीं देखेगा इसलिये बहन को अधिकार देना चाहिये, मैं भी उसको मानता हूं, लेकिन उसी समय जब तक कि कन्या का विवाह न हुआ हो । इसी दृष्टि से शास्त्रों में भी कन्या को जायदाद में चौथा हिस्सा देने की बात कही गई है । आप उसको पूरा भी दें तो मुझे विरोध नहीं है । परन्तु कन्या को पति की सम्पत्ति में अधिकार देना ज्यादा अच्छा होगा और न्याय्य होगा।

पंडित सी० एन० मालवीय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह समझना चाहता था कि यह जो सवाल है कि मां बाप को भी पहले शेड्यूल (अनुसूची) में हम शामिल कर लें, उसमें हो सकता है कि हम भावना की दृष्टि से यह सोचें कि पुत्र के मरने के बाद माता-पिता का क्या होगा, लेकिन अब दो तरह के खानदान होंगे । एक तो कोपार्सनरी (समांशी) के खानदान होंगे और दूसरे ऐसे कि जिनमें माता-पिता और पुत्र अलग हो गये हैं । अब, अगर वह सब शामिल हैं तो माता पिता के जिन्दा रहते हुए जायदाद के बटवारे का सवाल पैदा ही नहीं होता; और उनके जिन्दा रहते हुए ही बटवारे का सवाल पैदा हो गया और बटवारा हो गया तो पिता के पहले मरने पर माता को जायदाद में हिस्सा मिल ही जायेगा । तो इस तरह से हर हालत में माता को तो हिस्सा मिल ही जायेगा, लेकिन अगर लड़के के मरने के पश्चात् उसके मां बाप को शामिल किया जाता है तो जो उस लड़के या लड़की को पहले से हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उसको तो हिस्सा मिलने वाला है अपने पिता की सम्पत्ति में। अब चूंकि माता-पिता का अधिकार सम्पत्ति के ऊपर है इसलिये बटवारा होने पर लड़के को तो सम्पत्ति का अधिकार मिल जायेगा, पर लड़की को नहीं मिलेगा । इसलिये अगर किसी सम्पत्ति के बटवारे में सब से पहला हक किसी को होना चाहिये तो वह उन को होना चाहिये जिन को सम्पत्ति में पहले से कोई हक नहीं मिला है । अगर इस सवाल को इस दृष्टि से देखा जाय तो माता पिता का नम्बर उस के बाद आता है जब कि पहले जो मरा है उसके बच्चे और बच्चियों को उसकी सम्पत्ति का अधिकार मिल जाय । इस कारण माता और पिता को दूसरी लिस्ट (सूची) में रखना ज्यादा मुनासिब होगा, पहली में नहीं, जहां तक कि सम्पत्ति के बटवारे का सवाल है । लेकिन अगर पिता, माता और पुत्र में स्नेह का सम्बन्ध है तो वहां सम्पत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता । बटवारा हो गया, वह अलग हो गये, उसके बाद पिता का सारा धन खर्च हो गया, तो भी पुत्र पर यह निर्भर करेगा कि जब मां बाप जिन्दा हैं तो वह उनकी परवरिश करे या न करे । तो सवाल यह नहीं है कि चूंकि सम्पत्ति में हिस्सा मिलेगा इसलिये वह उनका ध्यान रखेगा वरना नहीं रखेगा । यह सवाल तो बिल्कुल अलग है ।

इसलिये अगर इस तस्वीर को सामने रखते हुए हम देखें तो हमारी समझ में नहीं आता है कि सम्पत्ति के बटवारे के लिये उन लोगों को जिनको पहले से सम्पत्ति में हिस्सा मिला हुआ है, एक साथ रहने दिया जाय । एक साथ उन लोगों को रखा जया जिनको अभी तक सम्पत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं मिला है ये सवाल बिल्कुल अलग-अलग हैं । इस वास्ते पहला शेड्यूल वही है कि जिसमें अभी

[पंडित सी० एन० मालवीय]

तक किसी को कोई हिस्सा नहीं मिला है। इनका नम्बर पहला है। इनको पहला हिस्सा मिलना चाहिये। इसके बाद वे लोग आयेंगे जिन को कि पहले हिस्सा मिल चुका है लेकिन जो फिर भी दोबारा हिस्सेदार होना चाहते हैं। इनको नम्बर २ पर आना चाहिये। इसलिये मेरा ख्याल है कि राज्य-सभा में जब इस चीज़ पर विचार हो रहा था और अभी राने साहब ने जो पुराने इतिहास को दोहराया और उस में जब बाद में संशोधन हुआ उस वक्त शायद वह इन्हीं विचारों के कारण हुआ है और इन्हीं विचारों ने खास तौर से उन पर प्रभाव डाला है। इसी वजह से माता और पिता को नम्बर २ में रखा गया है।

दूसरा सवाल लड़की के हिस्से के सिलसिले में है। मेरा ख्याल है कि इस बात को मान लिया गया है कि हमारे समाज में अभी तक कोई तबदीली नहीं हुई है और अभी भी हम १६०० वर्ष पहले जिस स्थिति में रहते थे उसी स्थिति में रह रहे हैं। लेकिन मैं, डिप्टी स्पीकर साहब आपकी मार्फत मैम्बर साहिबान से अर्ज़ करता हूं कि आज एक सवाल तो यह है कि लड़की की शादी होना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति आ सकती है और ऐसे केसिस (मामले) बढ़ रहे हैं कि जहां पर शादी हो यह आप मान नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि शादी होने के बाद एक कुटुम्ब यह मानता है कि सम्पत्ति उस के कुटुम्ब से बाहर जायेगी। लेकिन जब उस के दिल में ऐसा ख्याल पैदा होता है तो उस वक्त इस चीज़ को नज़रन्दाज़ कर दिया जाता है कि उसी खान्दान में दूसरी लड़कियां भी आयेंगी जिन को कि उनके अपने खानदान में हिस्सा मिल चुका होगा। इस तरह से पहले खानदान की सम्पत्ति दूसरे खानदान में और किसी दूसरे खानदान की पहले खानदान में सम्पत्ति जायेगी। इस तरह से अगर आप इस चीज़ को तराजू लेकर तोलें तो बराबर ही हो जायेगा। यह इम्प्रेक्टिकेबल (अव्यवहार्य) होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कहीं पर ज्यादा हो सकता है और कहीं पर कम हो सकता है। मिताक्षरा के अलावा दूसरे खानदान भी हैं जैसा कि अभी कहा गया है और उस में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हुई है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम जब तक तो लड़की की जिन्दगी है, उस को हिस्सा देने के लिये तैयार हैं लेकिन जब वह मर जाती है तो उसके लड़के और लड़की को हिस्सा देने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या उस वक्त हमारी मौहब्बत खत्म हो जाती है? उस वक्त मुहब्बत के बजाए क्या नफरत पैदा हो जाती है? क्यों उसके लड़कों और लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आता है? जो दलील इसके बारे में दी गई हैं वह तो मेरी समझ में नहीं आई हैं। इस वास्ते मैं इस भवन से प्रार्थना करता हूं कि इस पर वह ज़रा ठंडे दिल से ग़ौर कर। अगर आप एक बार इस बात का फ़ैसला कर लेते हैं कि आपको उसे हिस्सा देना है तो आप क्यों इसमें आना-कानी करते हैं, क्यों कोई अड़चनें पैदा करते हैं। इसका प्रेम और मुहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है, वह एक अलहदा चीज़ है जैसे कि मेरी बहन बोरकर ने कहा था, बहन भाई और बाप बेटे की मुहब्बत का रिश्ता पैसे की वजह से ही नहीं है। अगर वे आपस में पैसे की खातिर ही मुहब्बत करते हैं और ऐसी मुहब्बत को जो कल खत्म होनी है अगर वह आज खत्म हो जाये तो ज्यादा अच्छा है। पैसे को छोड़कर भाई और बहन का तथा मां बाप और बेटे का भी कोई और भी रिश्ता है इसे हमें नहीं भूलना चाहिये। उनका आपस में खून का रिश्ता है जो टूट नहीं सकता। इस के साथ ही साथ हम यह मानते हैं कि ज्वायंट फैमिलीज़ (संयुक्त परिवारों) के, जो मिले-जुले खानदान हैं, वे आज खत्म से हो रहे हैं और इनके केसिस चाहे आपके गांवों में दूर दराज़ मिलें लेकिन शहरों में तो यह चीज़ बहुत ज्यादा है। आज आपके समाज का ढांचा बदल चुका है। आज आप एक खानदान में कितने मैम्बर्स (सदस्य) को शामिल करते हैं। आप ही की रिपोर्टों में यह दर्ज है कि आम तौर से एक खानदान में पांच मेम्बर होते हैं और उन मेम्बरों में एक पुरुष, एक स्त्री और उन के बच्चे आते हैं। आप एक खानदान में मां बाप को ज्यादातर शामिल नहीं करते। अगर आज आप मिताक्षरा खानदान को एक हजार साल पहले जो स्थिति थी उस के मुकाबिले में देखें और आज जो समस्यायें हैं उन को ध्यान में रख कर देखें तो आपको यह मालूम होगा कि आज संस्कृति

या धर्म का कोई सवाल नहीं है। यह दोनों इस से बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस वास्ते अगर आप लड़कियों को बराबर मानते हैं उनके हक़ को बराबर-बराबर मानते हैं, उनको पुरुषों से हेय नहीं मानते तो फिर आप उनके साथ क्यों किसी तरह का भी अन्याय करते हैं? जब आप यह मान लेते हैं कि पुरुष और स्त्री यह दो चीजें बनाई गई हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इन दोनों को मिलाकर ही संसार बनता है। ये दोनों एक से ही हैं, दोनों बराबर हैं ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिये हैं और एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। इन दोनों को साथ-साथ ही चलना है। जब ऐसी बात है तो मैं पूछता हूं कि आज क्या हो गया है कि आज जब इन लड़कियों का नाम आ जाता है तो उस के साथ सम्पत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। क्या वजह है कि जो भी मुहब्बत की बात की जाती है उस के साथ सम्पत्ति को ही जोड़ दिया जाता है जैसे कि वग़ैर सम्पत्ति के मुहब्बत पैदा ही नहीं हो सकती या क़ायम ही नहीं रह सकती। आज तक हमने इनको इनके अधिकारों से महरूम रखा है, आज तक इन को कष्ट सहन करने पड़े हैं। अगर आज इन को कुछ ज्यादा रुपया १००, २०० या १०००, या एक एकड़ या दो एकड़ ज्यादा ज़मीन मिल जाती है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। किस तरह से संस्कृति की हत्या हो जायेगी। अगर हम मानते हैं कि माताओं ने और बहनों ने हमारी संस्कृति की रक्षा की है तो अगर उन को कुछ ज्यादा हिस्सा भी मिल जाता है तो कोई परवाह की बात नहीं है। जो दलीलें इस के खिलाफ़ दी जाती हैं वे मेरी समझ में तो नहीं आईं। हो सकता है कि मेरी अक्ल मोटी हो। लेकिन मैं किसी भी सूरत में एक बहन को एक भाई के मुकाबिले में किसी भी तरह से छोटे दर्जे में रखने के हक़ में नहीं हूं और ख़ास तौर से सम्पत्ति के मामले में तो मैं कभी भी इस प्रोपोज़ीशन (प्रस्थापना) से एग्री (सहमत) नहीं कर सकता। मैं यह चाहता हूं कि माता-पिता को बिल्कुल दूसरे नम्बर पर आना चाहिये। पहले नम्बर में इन्हें पहले शेड्यूल में नहीं आना चाहिये। पहले नम्बर पर जिस तरह से भी आपने शेड्यूल में रखा है और जिस हद तक भी आपने रखा है उस हद तक आपको इन्हें रहने देना चाहिये। और मेहरबानी करके उस में कोई तब्दीली न कीजिये। आप जब तक लड़की जिन्दा रहती है उस वक्त तक तो उसको अधिकार देते हैं लेकिन जब वह मर जाती है तो उस के लड़कों और लड़कियों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते, उसे मैं ग़लत मानता हूं। इसी तरह से अगर एक खानदान में से दूसरे ख़ानदान में कुछ पैसा जाता है तो किसी दूसरे खानदान में से उस खानदान में पैसा आ भी सकता है।

इस वास्ते जितने भी संशोधन पेश किये गये हैं उनका मैं विरोध करता हूं। शेड्यूल जिस तरह से बना है मैं चाहता हूं कि यह उसी तरह से क़ायम रहे और उसमें कोई संशोधन न किया जाये। यह जो धारा १० ज़ेरे ग़ौर है और जैसा कि आपने फ़रमाया कि १४ धारा तक विचार हो रहा है मैं चाहता हूं कि इन को इसी तरह से ही रहने दिया जाये और इनमें कोई भी परिवर्तन न किया जाये। अगर कोई परिवर्तन किया गया तो यह एक बहुत भारी अन्याय हम अपनी बहनों के साथ करेंगे। ऐसा करना उन अधिकारों को भी वापस लेने के बराबर होगा जो कि हम पहले उन्हें दे चुके हैं।

†**श्री पाटस्कर :** शायद कभी यह विनिश्चय किया गया था कि इन खण्डों और अनुसूची के लिये ४ घंटे का समय दिया जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुसूची अधिक महत्वपूर्ण है। हमने खण्ड ७, ८ और ९ का निबटारा कर दिया है और अब खंड १० पर चर्चा हो रही है। मेरे विचार से अनुसूची की तुलना में अन्य बातों पर अधिक चर्चा की जा रही है। तीन घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। जो बातें कही गई हैं अनुसूची पर चर्चा करते समय उन पर अधिक विचार किया जा सकता था। अन्यथा यदि मैं यह आपत्ति करूं कि हमें अनुसूची को अधिक समय देना चाहिये तो मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि माननीय सदस्य अनुसूची सम्बन्धी बातों से इन खंडों में गड़बड़ कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को यह अनुभव करना चाहिये अन्यथा अन्त में हम अनुभव करेंगे कि हमारे पास समय कम है ।

मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी खंड १० पर ही विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय इस खंड को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं और उन्होंने इसके लिये कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसे कुछ और समय दिया जा सकता है ।

†**श्री पाटस्कर** : यह ठीक है । अध्यक्ष को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : उन का अभिप्राय यह था कि अभी केवल हिस्सों पर चर्चा की जाये और सारपूर्ण प्रश्न को, जिसके लिये मैंने एक संशोधन दिया है, अनुसूची के साथ लिया जाये । कृपया आप यह विनिर्णय दें कि चर्चा को हिस्सों तक ही सीमित रखा जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इससे सहमत हूं । माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें ।

†**श्रीमती जयश्री** : यह कहना ठीक नहीं है कि पुत्रों को कम हिस्सा मिलेगा क्योंकि वे संयुक्त परिवार की और पिता की निजी सम्पत्ति दोनों में हिस्सा लेंगे जबकि पुत्री केवल पिता की सम्पत्ति में हिस्सा लेगी ।

यदि माता-पिता अपनी पुत्री के विवाह पर और अपनी बहू के कपड़े जेवर पर खर्च करते हैं तो यह ठीक है । दोनों पर समान खर्च हो जाता है ।

सम्भव है कि विवाहिता पुत्री को उसका पति छोड़ दे अथवा उसका विवाह निर्धन परिवार में हुआ हो अथवा वह विधवा हो गई हो तो उसे धन की अधिक आवश्यकता होगी अतः विवाहिता और अविवाहिता पुत्रियों में विभेद नहीं किया जाना चाहिये ।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि पुत्री अपने श्वसुर की सम्पत्ति में हिस्सा ले । सम्भव है कि उस परिवार वाले उसे समांशी न बनाना चाहें । इसलिये उसे अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिये और विवाहिता और अविवाहिता पुत्रियों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिये ।

जब आपने समाज की समाजवादी व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और परिवार को नहीं अपितु व्यक्ति को एकक माना है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत रूप में उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार हो ।

मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि खंड ६ के अनुसार स्त्री को जो थोड़ा बहुत हिस्सा दिया गया है उसे कम न किया जाये । हम तो दायभाग के पक्ष में हैं जिसके अनुसार पुत्री को पिता की सम्पत्ति में आधा हिस्सा मिलता है । मैं अपील करती हूं कि विवाहिता और अविवाहिता पुत्रियों को बराबर हिस्सा मिले ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम) : श्री उपाध्यक्ष जी, अभी जो दलीलें इस सम्बन्ध में दी गई हैं, उनको सुनकर, और पहले भी जो कुछ बातें कही गईं, उनका ध्यान कर मैंने उचित समझा कि मैं अपना मत निवेदन कर दूं । आज मैं इसलिये भी खड़ा हुआ हूं कि सम्भव है कि जिस दिन शिड्यूल (अनुसूची) पर विचार हो, उस दिन मैं इस भवन में न रह सकूं । इस कारण से मैं अभी अपना मत प्रकट कर देना चाहता हूं ।

हमारे इधर एक भाई ने इस बात पर आपत्ति उठाई है कि माता और पिता की चर्चा शिड्यूल की पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों में नहीं आनी चाहिये । मैं उन लोगों से सहमत हूं जिन का मत है कि माता और पिता को इसमें रखा जाय । मैं इसके पक्ष में हूं । जो प्रवर समिति बनी थी, उसने

---

†मूल अंग्रेजी में ।

माता का भाग रखा भी था, परन्तु राज्य-सभा में वह हटा दिया गया। मैं तो इस का कोई कारण नहीं देखता। जब आप कर्त्तव्य की चर्चा करते हैं, तो क्या पुत्र का कर्त्तव्य माता-पिता की ओर अपने लड़के की अपेक्षा कम है? अवश्य, लड़के के प्रति पिता का कर्तव्य है ही, परन्तु हमारे समाज में कभी-कभी यह होता है—कम होता है, बहुत नहीं होता है—कि बूढ़े माता-पिता रह जाते हैं। तो मेरा तो यह निवेदन है कि माता को भी रखना चाहिये और पिता को भी रखना चाहिये। प्रवर समिति के निर्णय में माता को रखा गया था और पिता को छोड़ दिया गया था। हमारे यहां प्राचीन वाक्य है—मातृ-देवो भव और उस के बाद आता है—पितृदेवो भव। यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वाक्य है। स्मृति में माता को पहला स्थान दिया गया है। माता को देवता के समान माना गया है। कहा गया है कि देवता के समान माता का पूजन करो। माता का ऊंचा स्थान माना गया है पिता की अपेक्षा। यह स्पष्ट है। माता का रखना ठीक ही था, परन्तु पिता को भी इस श्रेणी में स्थान मिले, ऐसा मेरा कहना है।

मैं इस प्रस्ताव से भी सहमत हूं, जो अभी मेरे भाई ने रखा कि इस में जहां लड़की की चर्चा है, वहां "अविवाहिता" शब्द जोड़ दिया जाय—"अनमैरिड" (अविवाहित) शब्द जोड़ दिया जाय। मैं इसको बिल्कुल उचित समझता हूं। यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। इधर से हमारे एक भाई ने कहा है कि यदि विवाहिता लड़की को आप अपने कुटुम्ब में से देते हैं, तो यह भी तो सम्भव है कि जो बहू आपके घर में आवे वह दूसरे कुटुम्ब से ले आवे। यह दलील दी गयी कि आर्थिक दृष्टि से कुटुम्ब में बराबरी हो जायगी। यह क्या दलील है? मेरे सामने पैसा आने जाने का प्रश्न नहीं है। लड़की को आदमी प्रेम से पैसा देगा। यहां पैसे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कुटुम्ब के विच्छेदन का। यह कौन सी दलील है कि अगर हमारे कुटुम्ब का पैसा जायेगा तो दूसरे कुटुम्ब का पैसा हमारे यहां आ जायेगा? बात यह है कि जहां से यह पैसा आयेगा वहां विघटन होगा और हमारे कुटुम्ब से जाने में भी विघटन होगा। लड़की तो प्रेम की वस्तु है, विवाहिता हो या अविवाहिता। मैं तो एक क्रम की बात कर रहा हूं। विवाहिता पुत्री जब दूसरे के घर में जाती है, तब यह एक स्पष्ट सत्य है कि वह अपने पति के साथ अकेले रहे ऐसी बात नहीं होती। कुछ आधुनिक क्रम की लड़कियां ऐसी हैं जिनके विषय में यह पुराना क्रम लागू नहीं होता, नहीं तो साधारणतया इस देश में जो लड़की विवाहित हो कर जाती है वह पति के कुटुम्ब का अंग होती है और वहां बहुत वर्षों तक, जब तक उसकी उम्र बहुत नहीं हो जाती, उसे बहुत दबाव में रहना पड़ता है, पति के दबाव में, सास ससुर के दबाव में। अगर ऐसी लड़की को पिता की सम्पत्ति में अधिकार होगा तो उसके कारण पिता के कुटुम्ब में विच्छेद होगा। इससे दूसरे कुटुम्ब को अवसर मिलता है कि वह लड़की के पिता के कुटुम्ब में आ कर हस्तक्षेप करे। यह प्रश्न का व्यावहारिक पहलू है। यहां कई दफा यह दलील दुहरायी गयी है कि ऐसा करने से देहातों में भूमिखंडों के बटवारे में कठिनाई पड़ेगी, घरों में कठिनाई पड़ेगी, अगर लड़की के पिता और भाई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कठिनाई पड़ेगी। उस व्यापार में लड़की के घर वाले लड़की के नाम पर आकर हस्तक्षेप करेंगे, हिस्सा मागेंगे। यह केवल पैसे के आने-जाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस कुटुम्ब से पैसा जायेगा वहां विच्छेद होगा। यह कोई उचित बात नहीं है कि हमारी बहू भी दूसरे घर से पैसा ले आवेगी। प्रश्न यह है कि इस क्रम के कारण कुटुम्बों में वैमनस्य उत्पन्न होगा। यह क्रम विच्छिन्न करता है। इसलिये यह कहा जाता है कि विवाहिता लड़की को अधिकार न दीजिये। अविवाहिता को अधिकार दिया जाये इसलिये कि जो कुछ उसको मिलेगा उसके द्वारा उसका विवाह किया जा सकेगा और भरण-पोषण होगा। अगर ऐसी जायदाद हो जो कि रुपये पैसे के रूप में हो या साथ जा सके तो उसको लड़की ले जा सकती है, लेकिन जो जायदाद खिसकाई नहीं जा सकती, उसके बटवारे को मैं उचित नहीं मानता।

कुछ अजीब तरह की बातें कही गयीं। इधर से दो एक बहिनों ने कहा कि जो अधिक उम्र के लोग भाषण देते हैं उनका दृष्टिकोण समाज सुधार का नहीं है, वे समाज सुधार के विरोधी हैं। मुझ को तो यह सुन कर आश्चर्य हुआ। मैंने कुछ कनॉट प्लेश की तितलियों की चर्चा की थी। हमारे भाई

[श्री टंडन]

मोरे ने इसका यह अर्थ निकाला कि मानो मैं शिक्षित स्त्रियों का अनादर कर रहा हूं। मुझे लगा कि क्या बुद्धि की बात है कि जिसकी उम्र बीती इस बात में कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, स्त्री शिक्षा आगे बढ़े, उसके विषय में यह कहा जाये। मेरी उम्र का कुछ अंश बीता है इस बात में कि मैं उन लोगों का विरोध करूं कि जो स्त्री शिक्षा के विरोधी रहे हैं। बहुत बार मुझ को ऐसे लोगों से लड़ना पड़ा है। एक कालिज के बनाने में जो कि केवल लड़कियों के लिये है, मेरा हाथ रहा है और इस समय मैं उसका अध्यक्ष हूं। जब मैं जवान था उस समय मैंने उस संस्था के बनाने में हाथ दिया था। शिक्षित बहनों का तो मैं आदर स्वभावतः करता हूं। मेरी कई पुत्रवधुएं साधारण नहीं ऊंचे दर्जे की शिक्षिता हैं। परन्तु जो मैंने "तितलियों" का शब्द इस्तेमाल किया तो मेरा तात्पर्य उन स्त्रियों से था जो कि जीवन पर गम्भीरता से विचार नहीं करतीं, जिनके जीवन में भोग-विलास मुख्य स्थान रखता है और जो अपने शृंगार को अधिक महत्व देती हैं। मेरा अनुभव है कि जो ऊंचे दर्जे की शिक्षित स्त्रियां हैं वे प्रायः इस तरह की हलकी बातों में नहीं पड़तीं। उनका राजनीतिक विचार चाहे कोई भी हो, चाहे वे समाजवादी हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, पर वे हलको बातों में नहीं पड़तीं। हमारी जो हलकी तरह को स्त्रियां हैं मेरा तात्पर्य उनसे था। मेरा आक्षेप शिक्षिता बहिनों पर तो हो ही नहीं सकता।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी कुछ लोगों ने इस तरह की बात कही कि जो लोग उनसे भिन्न मत रखते हैं वे मानो समाज सुधार के विरोधी हैं। यह नितान्त अशुद्ध धारणा है। मैं कुछ समय पहले कन्नड़ देश में गया था तो वहां मैंने अपने कुछ भाइयों से एक कहावत सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वह कहावत कन्नड़ भाषा में इस प्रकार है :

आरू हडे दबलु मुन्दे वन्दु हडेदवक्तु हेक्तिदक्तु।

इसका भावार्थ यह है कि वह स्त्री जिसके कि अभी एक बच्चा हुआ है उस स्त्री को प्रसव की पीड़ा के बारे में व्याख्यान दे रही है जिसके ६ बच्चे हो चुके हैं। आज ६ बच्चे वाली स्त्री को एक बच्चा पैदा करने वाली स्त्री व्याख्यान देती है प्रसव पीड़ा पर। जिन लोगों की उम्र बीती देश को आगे करने में, आज उनको हमारे वे लोग व्याख्यान देने आये हैं जिन्होंने इस दिशा में कुछ थोड़ा बहुत काम किया है और जो उस सीढ़ी पर अभी चढ़े ही हैं। ये दलीलें छोटी दलीलें हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो पुराने लोग हैं या जिन्होंने देश के लिये काम किया है जो वह कहें उसको आप मान लीजिये। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ वह कहते हैं उस पर आप विचार कीजिये। मैंने यह बार-बार कहा है कि मैं पुराने शास्त्रों के ऊपर अपनी बात नहीं कह रहा हूं। हमारी बहिन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने उस दिन कहा कि मैं मिताक्षरा में धर्म का बहुत विशेष गुण देखता हूं। वे कुछ भूल गयीं। मेरा भाषण तो उनके सामने है। जहां तक मुझे याद है मैंने मिताक्षरा की चर्चा भी नहीं की थी। मिताक्षरा, दायभाग या दक्षिण क्रम इनसे मुझे प्रयोजन नहीं। मेरे सामने प्रश्न दायभाग और मिताक्षरा का नहीं था। मेरा तो कहना है कि ऐसा न कीजिये जिसमें कि कुटुम्ब में विच्छेद हो, झगड़ा हो। मैं तो समाज में झगड़े को बचाना चाहता हूं। मेरे विचार में लड़कियों को इस प्रकार पिता की सम्पत्ति में अधिकार देना स्त्रियों का आदर करने का रास्ता नहीं है। मैं इसका पक्षपाती हूं कि आप चाहे अकेली विधवा पत्नी को सम्पत्ति पर अधिकार दीजिये, लड़कों को चाहे हटा दीजिये। हम उसको स्वीकार करेंगे कि विधवा को आप आधा दीजिये और आधे में आप संतान को रखिये। माता-पिता को कम कीजिये, यह मुझे स्वीकार है। मैं माता-पिता दोनों को रखने के पक्ष में हूं, अगर आप अकेले माता को ही रखें तब भी मैं उसे अच्छा समझूंगा इसमें कोई स्त्री या पुरुष की होड़ नहीं है, प्रश्न यह है कि समाज का क्रम कैसे बंधे। प्रस्तावित क्रम के द्वारा आप एक नई बात यह करने जा रहे हैं कि एक दूसरे कुटुम्ब को एक चलते हुए कुटुम्ब में हस्तक्षेप करने का अवसर दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन-सी बुद्धिमानी की बात आप करने जा रहे हैं? मुझ को तो यह दिखलाई पड़ता है कि कुछ थोड़े से आदमियों और स्त्रियों के दिल में एक इतने

पुराने जमे हुए समाज को उन्नति के नाम पर उसको नष्ट करने की बात घर कर गई है और ऐसा करते समय उनके दिल में यह भाव रहता है कि इस तरह वह समाज की अधिक दूरदर्शी उन्नति करने वाले हैं परन्तु मुझे तो उसमें कोई युक्ति अथवा बुद्धि की बात दिखाई नहीं देती । मेरा तो यह दावा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि अगर आप को साहस हो तो किसी प्रकार से इसके विषय में राय ले लीजिय । इसके लिये हमारे पाटस्कर साहब ने मेरे उस सुझाव के बारे में जो मैंने किया था कि आप इसके बारे में बूढ़ी औरतों से सलाह लीजिये, यह दलील दी कि जब सती की प्रथा इस देश में से हटाई गई थी तो उस समय अगर स्त्रियों से पूछा जाता तो वे कभी स्वीकार नहीं करतीं कि सती की प्रथा को हटा दिया जाये । मैं पाटस्कर साहब से पूछना चाहता हूं कि यह आपने कैसे जाना ? मैं तो समझता हूं कि स्त्रियों से सती प्रथा को बाबत अगर उस समय पूछा जाता तो वे भी यही कहतीं कि स्त्रियों को पुरुषों के शव के साथ जलाना उचित नहीं है । याद रखिये कि जिस समय सती प्रथा बंद की गई थी उस समय और उसके बहुत पहले से ही शव के साथ विधवा स्त्री नहीं जलाई जाती थी, कभी बिरली कोई एक सती हो जाती थी लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सती रास्ते में मारी-मारी फिरती थी । इतिहास आपके सामने है कि जिस समय वह सती का कानून बना उसके १००-२०० वर्ष पहले से साधारणतया स्त्रियां सती प्रथा को पसन्द नहीं करती थीं । मैं पाटस्कर जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि कितनी स्त्रियां कितनी विधवायें अपने पति के शव के साथ जल गईं ? उस समय भी सती प्रथा का साधारण रीति से प्रचलन नहीं था, हां किसी का सती हो जाना असम्भव नहीं था और कभी-कभी कोई विशेष भावनायुक्त देवी सती हो जाती थी । अभी भी नगरों में और बड़े-बड़े शहरों में सती के चौरे प्रसिद्ध हैं । अब भी कहीं पर कई वर्षों में सती का कोई दृश्य सामने आ जाता है उसको कानून से बंद कर दिया तो आपने कहा कि हमने एक बड़ी भारी कुप्रथा को जोसमाज के अन्दर विद्यमान थी, उसको मिटा दिया, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बतलाया वह बुराई बहुत कुछ पहले ही बंद हो चुकी थी । साधारण रीति से लोग अपने यहां की स्त्रियों को जलाने के विरुद्ध थे और इसको पसन्द नहीं करते थे और न स्त्रियां ही पसन्द करती थीं, कभी कोई एक-आध स्त्री अपवाद हो जाया करती थी जो कि धर्म और प्रेम के उन्मादवश पति के शव को साथ ले कर सती हो जाती थी । मुझे तो श्री पाटस्कर जी के मुख से सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यदि स्त्रियों के ऊपर इस सवाल को छोड़ दिया जाता तो वे सती प्रथा के बंद किये जाने का विरोध करतीं, यह आपने कैसे जाना और मेरा कहना यह है कि आपका ऐसी कल्पना करना बिल्कुल अशुद्ध है । मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे यहां की स्त्रियों की बुद्धि है और वे साधारण रीति से ठीक काम करती हैं ।

आप अगर स्त्रियों के सामने पर्दे का सवाल रखिये तो वे कहेंगी कि स्त्रियों के लिये पर्दा हटना चाहिये । आज कुछ स्त्रियों में पर्दे की प्रथा विद्यमान है लेकिन मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या आपको ऐसी स्त्रियों की मिलेगी जो यह कहेंगी कि पर्दा नहीं रखना चाहिये । आप ऐसा क्यों मान लेते हैं कि स्त्रियां बुद्धि के विरुद्ध बात कहेंगी ? अब जहां तक मूढाग्रह अथवा अन्ध प्रचलन की बात है तो वह अकेले हमारे देश में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों में और पश्चिमी देशों में भी मिलता है । लोग नाना प्रकार के मूढाग्रहों से बंधे हुए हैं, बहुत से ऐसे बुद्धिरहित क्रम हैं जिनके अन्दर वे जकड़े हुए हैं । मूढाग्रह को अंग्रेजी में सुपरिस्टिशन कहते हैं, वह पश्चिमी देशों में भी हैं । कुछ ऐसे चलन और क्रम होते हैं जोकि आज की परिस्थितियों में व्यर्थ हैं लेकिन वे चले आते हैं हमारे पाटस्कर जी को शायद मालूम होगा कि ब्रिटिश हाउस आफ कामंस में आज भी यह प्रथा है कि जब नई लोक-सभा इकट्ठी होती है तब स्पीकर पहले पहल नियुक्त होकर भवन के नीचे के भाग में जाता है । उसके साथ लालटेन जाती है जो आज बिल्कुल आवश्यक नहीं है । यह उस समय की चाल है और उस समय का रास्ता है जब गाई फौक्स ने गन पाउटर प्लॉट से हाउस आफ कामंस को उड़ा देने का प्रयत्न किया था और वह पकड़ा गया था । उसके बाद यह होने लगा कि हाउस आफ कामंस की बैठक होने पर स्पीकर

[श्री टंडन]

(अध्यक्ष) स्वयं नीचे जाकर देखता था और चूंकि उस समय सैलर्स (नीचे के भाग) में अंधेरा रहता था इसलिये साथ में उसके लालटेन चलती थी जो अब आवश्यक नहीं है, परन्तु पुराने क्रम को वह आज तक निबाहते चले जा रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि आज के दिन भी स्पीकर के सामने वह वेस (गदा) रखा जाता है, जो पुराने समय का अवशेष चला आ रहा है। संसार में अन्यत्र भी हम देखते हैं कुछ पुराने रास्तों पर लोग जकड़े रहते हैं और उन पर चलते रहते हैं। वही बात हिन्दुओं में भी पाई जाती है परन्तु यदि कहीं उनके सामने एक बौद्धिक प्रश्न आयेगा तो आप ऐसा क्यों समझते हैं कि सारी स्त्रियां और पुरुष गलत रास्ते पर चलने के लिए अपनी राय देंगे ? इस तरह की दलील देकर आप यह स्वीकार करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वह जनमत के विरुद्ध है परन्तु चूंकि आप उस रास्ते को ठीक समझते हैं इसलिये आप उनको सुधारने की बात कर रहे हैं। प्रजातन्त्र में यह रास्ता सुधारने का होता भी नहीं है, आप उनसे सलाह लीजिये और अगर आपका यह विश्वास है कि स्त्री और पुरुष सब आपकी यह बात मानेंगे कि लड़की को अधिकार दिया जाये तो उनकी राय लेने के बाद आप ईमानदारी से इसको ला सकते हैं लेकिन आपको तो इसमें संदेह है कि स्त्री और पुरुष अगर आप उनके सामने इस बात को लेकर जायेंगे तो वह इसको नहीं मानेंगे। ऐसी अवस्था में इस तरह का कानून बना कर प्रजातंत्र के सिद्धान्त के प्रतिकूल आप अन्याय कर रहे हैं।

मुझे और अधिक विशेष नहीं कहना है। इस विषय में मेरी वाणी में जितना बल है उसके द्वारा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लड़की को हिस्सा न देकर स्त्री को हिस्सा दीजिये, माता को हिस्सा दीजिये। लड़की को उस सम्पत्ति में हिस्सा दिलवा करके आप विघटन कर रहे हैं और ऐसा करके आप देश में एक अशुद्ध मार्ग स्थापित कर रहे हैं। यह कोई उन्नति का मार्ग नहीं है। आपका जो रास्ता है वह आगे बढ़ने का नहीं है, यह समाज के विघटन करने का रास्ता है। मैं आपसे फिर यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर पूर्ण स्वतन्त्रता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि वह इस विषय में किसी के पिछलग्गू होकर न दौड़ें। स्वतन्त्र विचार कीजिये। स्त्री के मान-अपमान का प्रश्न सामने अवश्य रखिये। जहां तक स्त्री के मान-अपमान का प्रश्न है, उसके मान को हमें ऊंचा उठाना है, परन्तु समाज को भी ठीक रखना है। समाज को स्थायी रूप देना है। इस प्रकार से इस प्रश्न को देखिये। इसमें केवल हिस्सा देने का ही सवाल नहीं आता है, अन्य प्रश्न आते हैं। मुख्य प्रश्न आता है एक कुटुम्ब के दूसरे कुटुम्ब में हस्तक्षेप करने का। इस दृष्टि से जो अभी कहा गया कि पुत्री शब्द के पहले इसमें 'अविवाहित' शब्द रख दिया जाय उसका मैं समर्थन करता हूं।

†**श्री शेषगिरि राव** : उपाध्यक्ष महोदय, श्री आल्तेकर के संशोधन से मैं बिल्कुल असहमत हूं और श्री राने द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन से मैं आंशिक रूप से असहमत हूं। श्री आल्तेकर के संशोधन का उद्देश्य सम्पत्ति प्राप्त करने वाली पुत्रियों की संख्या को कम करना है जब कि श्री राने के संशोधन का उद्देश्य पुत्री को प्राप्त होने वाला हिस्सा कम करना है। यदि विवाहिता और अविवाहिता पुत्री के बीच विभेद किया जाता है और मान लीजिये कि सभी पुत्रियों का विवाह होने के बाद पिता की मृत्यु होती है तो क्या इसका अर्थ यह है कि पुत्रियों को कुछ नहीं मिलेगा ? इसका उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। जो माननीय सदस्य इस प्रकार बातें करते हैं उन्हें कम से कम यह जानना चाहिये कि उनका यह कार्य अनुज्ञेय नहीं है। यदि वह इस बात को जान लें तो संभव है कि बातचीत धीमी आवाज़ में हो।

अब माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शेषगिरि राव** : श्रीमान्, जैसा कि मैं कह रहा था यह पुत्री के साथ घोर अन्याय है। हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के विभाजन के दो रास्ते हैं—एक पुत्री के द्वारा और दूसरे विधवा के द्वारा। आपको एक बात पर विचार करना चाहिये कि पुत्री सदा ही पुत्री रहेगी किन्तु विधवा पुनर्विवाह कर सकती है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिये सम्पत्ति के हिस्से को यदि कम किया ही जाना है तो यह कार्य पुत्री के हिस्से के बारे में नहीं किन्तु विधवा के बारे में किया जाना चाहिये। पुत्री को पुत्र के समान हिस्सा दिया जाये इस बात पर मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। खंड ६ के पुनः प्रारूपण के फलस्वरूप मिताक्षरा परिवार की पुत्रियों को प्रायः कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि पुत्री को प्राप्त होने वाले हिस्से को कम न किया जाये।

†**श्री सी० सी० शाह**: जहां तक पुत्री के हिस्से का सम्बन्ध है मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से इस बात पर पूर्णरूप से सहमत हूं कि यदि हमने मिताक्षरा संयुक्त परिवार की समाप्ति सम्बन्धी राउ समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करके पुत्री के लिये आधा हिस्सा रखा होता तो उसे मौजूदा प्रस्ताव की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो सकता था। किन्तु खंड ६ के संशोधन के कल स्वीकार कर लिये जाने के बाद मेरा ख्याल है कि अब विधेयक में पुत्री के हिस्से के बारे में जो उपबन्ध किया गया है उसे घटाने के किसी प्रस्ताव का समर्थन करना संभव नहीं है। यद्यपि अभी यह प्रतीत हो रहा है कि पुत्री को कुछ हानि हुई है किन्तु अन्ततोगत्वा उसे लाभ ही होगा और मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि जो उपबन्ध रखा गया है उसे कायम रखा जाना चाहिये।

जहां तक माता पिता का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि कुछ गलतफहमी हो रही है। मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर पहला अधिकार उसके पैतृक वंशजों और विधवा का होता है। यदि सम्बन्धित व्यक्ति माता-पिता के लिये उपबन्ध करना चाहता है और यदि वह यह देखता है कि उनके लिये समुचित व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह इच्छापत्रोक्त निर्वर्तन द्वारा उनके लिये उपबन्ध कर सकता है।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : सभी मामलों में ऐसा किया जाता है।

†**श्री सी० सी० शाह** : जहां तक पिता का सम्बन्ध है यह साधारणतः माना जाता है कि पिता की अपनी सम्पत्ति होती है। पुत्र और बच्चों की सम्पत्ति सामान्यतः नहीं होती है। अतएव मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में से पहले विधवा और उसकी संतान के लिये उपबन्ध किया जाना चाहिये और इसके बाद माता-पिता के लिये। यही हमारी हिन्दू विधि है जो शताब्दियों से चली आ रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि माता-पिता के साथ ऐसा कौन सा अन्याय हुआ है कि हम पुत्र और पुत्री के साथ उनके लिये भी उपबन्ध करना चाहते हैं।

जहां तक माता का सम्बन्ध है किसी ने यह कहा था कि उसे वर्ग १ में सम्मिलित किया गया था किन्तु राज्य-सभा में स्वीकृत एक संशोधन के परिणामस्वरूप उसे अब उस वर्ग से निकाल दिया गया है और मेरी राय में यह ठीक ही किया गया है। यदि आप माता को वर्ग १ में सम्मिलित करते हैं तो उसे तीन हिस्से प्राप्त होंगे एक अपने पति की विधवा होने के नाते दूसरा अपने पिता से और तीसरा अपने पुत्र की मृत्यु से और इस प्रकार की व्यवस्था से किसी भी समाज में असन्तुलन उत्पन्न हो सकता है।

†**श्री टंडन** : मान लीजिये कि किसी माता के सभी पुत्र उसके जीवनकाल में मर जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सी० सी० शाह** : सामान्यत: किसी भी माता की इच्छा यह रहती है कि उसके पुत्र चिरायु हों। इसलिये जैसा कि मैं बता रहा था, माता के लिये पर्याप्त उपबन्ध किया गया है और यही कारण है कि पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में माता के लिये कोई अन्य उपबन्ध किया नहीं गया है।

निस्संदेह यह एक बिलकुल भिन्न बात है कि वर्ग १ में कौन हों। वर्ग १ में बहुत से वारिस हैं जिनको मेरी राय में नहीं रखा जाना चाहिये और जिन्हें माता पिता की अपेक्षा अधिक वरीयता नहीं दी जानी चाहिये। किन्तु मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि जहां तक मृत व्यक्ति की संतान और विधवा का सम्बन्ध है उन्हें माता-पिता की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जानी चाहिये। इसकी और तीसरी पीढ़ी के व्यक्तियों को माता-पिता से अधिक वरीयता दिये जाने के बारे में मतभेद हो सकता है। किन्तु हम उस मामले पर अनुसूची पर चर्चा करते समय विचार कर सकते हैं। किन्तु मैं यही कहूंगा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि माता और पिता को पुत्र और पुत्री के साथ रखा जाय।

विवाहित और अविवाहित पुत्री के बीच विभेद किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में दो प्रस्थापनायें हैं। एक तो यह है कि अविवाहित पुत्री को पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार मिलना चाहिये और विवाहित पुत्री को कोई उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिये। दूसरी प्रस्थापना यह है कि अविवाहित पुत्री को पुत्र के बराबर हिस्सा दिया जाये किन्तु विवाहित पुत्री को पुत्र के हिस्से का आधा हिस्सा दिया जाये। मुझे खेद है कि हम इन दोनों प्रस्थापनाओं से सहमत नहीं हो सकते हैं और इसका कारण स्पष्ट है। एक अविवाहित पुत्री पिता की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् ही विवाह कर सकती है। उससे उसकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। यदि एक पुत्र का पिता के जीवनकाल में विवाह हो गया है और दूसरा पुत्र अविवाहित है तो हमने यह उपबन्ध नहीं किया है कि जब तक सम्पत्ति का विभाजन हो तब तक उनके विवाह, शिक्षा आदि के सम्बन्ध में जो व्यय सम्पत्ति के विभाजन से पूर्व किया गया है वह सम्बन्धित पुत्र के हिस्से में से कम कर लिया जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : विभाजन के समय सभी बातों पर विचार किया जाता है। विभाजन प्रत्येक मामले में परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यही हिन्दू विधि है।

†**श्री सी० सी० शाह** : हिन्दू विधि यह नहीं है। जब सम्पत्ति का विभाजन किया जाता है तो विभाजन के समय उसकी जो स्थिति होती है उसके अनुसार किया जाता है।

यदि हिन्दू विधि का निर्वचन इस प्रकार किया जाता है तो मैं उससे मतभेद रखता हूं। किन्तु पुत्री को हिस्सा देने के बारे में ही विवाद है क्योंकि वह दूसरे परिवार में चली जाती है। श्री टंडन और उनसे पूर्व बोलने वाले सदस्य के भाषणों को मैंने आदरपूर्वक सुना है। उनकी यह भावना अत्यन्त प्रबल है कि चूंकि पुत्री दूसरे परिवार में चली जाती है इसलिये उसे पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिये। यह एक ऐसा मतभेद है जिसके बारे में इस विधेयक द्वारा कोई समझौता अब नहीं किया जा सकता है। पंडित ठाकुर दास भार्गव का कथन है कि पुत्र और पत्नी को एक साथ उत्तराधिकार मिलना चाहिये जिसका अर्थ यह है कि हमें समूचे विधेयक को पुन: लिखना होगा। सभी विधि व्यवस्थाओं में पुत्री को हिस्सेदार रखा गया है और उसके फलस्वरूप किसी समाज को हानि नहीं पहुंची है।

इस आशय की एक प्रस्थापना की गई थी कि विधवा द्वारा पुनर्विवाह कर लिये जाने पर सम्पत्ति में प्राप्त उसका सभी हिस्सा जब्त कर लिया जाना चाहिये। किन्तु स्त्री को सम्पत्ति के बारे में पूर्ण अधिकार देने की कल्पना हम में से बहुतों को पसन्द नहीं है। किन्तु मेरा निवेदन है कि यह विधेयक मूलभूत परिवर्तन करने जा रहा है और जैसा वह है उसका हमें समर्थन करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बर्मन** : श्री सी० सी० शाह ने आज जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनसे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। उन्होंने बताया है कि माता को उत्तराधिकार शताब्दियों से नहीं मिल रहा है।

दायभाग प्रणाली के अन्तर्गत पुत्र, पुत्र का पुत्र और पुत्र का पौत्र हिस्सा प्राप्त करता है। यह क्रम तीन पीढ़ियों तक चलता है और उनकी अनुपस्थिति में माता-पिता का स्थान आता है। श्री शाह का कथन है यह केवल मिताक्षरा प्रणाली में होता है और दायभाग में नहीं।

श्री शाह ने कहा है कि उन्हें उन महिला उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में भी आपत्ति है जिन्हें कि अब वर्ग १ में रखा गया है। यदि ऐसा है तो मैं मिताक्षरा परिवार में महिला उत्तराधिकारियों की स्थिति को स्पष्ट करता हूं। हमने केवल महिला उत्तराधिकारियों के बारे में खंड ६ में उपबन्ध किया है कि उन्हें वर्ग १ में रखा जाय। यदि वह वर्ग १ में नहीं आती हैं तो किसी समांशी सम्पत्ति में भी अन्य वर्गों में सम्मिलित की गई महिला उत्तराधिकारियों को किसी वर्ग में नहीं रखा जा सकता है।

†**श्री सी० सी० शाह** : उन्हें रखा जा सकता है।

†**श्री बर्मन** : यह प्रस्थापना तो अब की गई है। यदि इन महिला उत्तराधिकारियों को वर्ग १ में नहीं रखा जाता है तो निश्चय ही हम ऐसे उत्तराधिकारियों को सम्पत्ति में हिस्सा पाने से वंचित करेंगे।

श्री शाह चाहते हैं कि उन्हें वर्ग १ में न सम्मिलित किया जाये और इससे वह मिताक्षरा समांशी सम्पत्ति में कुछ भी हिस्सा पाने से निश्चय ही वंचित रहेंगी। इस प्रस्थापना पर हमें नये सिरे से विचार करना होगा।

श्री शाह को वर्ग १ में माता के सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति है क्योंकि वह एक से अधिक हिस्सा प्राप्त करेगी। मान लीजिये कि ऐसा होता है तो उसमें क्या हानि है? एक हिन्दू होने के नाते मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सभी स्त्री उत्तराधिकारियों में माता का स्थान सब से ऊंचा है। इसलिये इस सम्बन्ध में श्री शाह ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं और आपत्ति उठाई है उन सब से मैं असहमत हूं। इस सभा से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करे और कम से कम माता-पिता को वर्ग १ में सम्मिलित करे।

†**श्रीमती सुषमा सेन** : मैंने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि माता और पिता को वर्ग १ में सम्मिलित किया जाये। मेरा ख्याल है कि मूल विधेयक में माता को वर्ग १ में रखा गया था किन्तु राज्य-सभा ने उसे वर्ग २ में रख दिया है। माता के साथ पिता को भी वर्ग १ में रखा जाये यह मैं चाहती हूं, किन्तु शायद ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

†**श्री पाटस्कर** : जहां तक खंड १० और अनुसूची पर हो रही चर्चा का सम्बन्ध है मुझे अपनी स्थिति की ही जानकारी नहीं है। बहुत से ऐसे मामले जिन पर हम सहमत हुए हैं अनुसूची पर चर्चा के समय उठाये जाने चाहियें। किन्तु चूंकि हम चर्चा कर चुके हैं इसलिये और चर्चा करने से संभवतः अनुसूची पर चर्चा करने के लिये समय कम होगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो उस समय को अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है।

जहां तक खण्ड १० का सम्बन्ध है उसका वास्तविक सम्बन्ध किस बात से है? माननीय सदस्यों को किस बात पर आपत्ति है? "इच्छापत्रहीन सम्पत्ति का विभाजन, वर्ग १ के वारिसों में इन नियमों के अनसार होगा"। नियम १ में कहा गया है :

> "इच्छापत्रहीन सम्पत्ति छोड़ जाने वाले व्यक्ति की विधवा को, या यदि विधवाओं की संख्या एक से अधिक हो तो उन सब को एक हिस्सा मिलेगा।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

यदि हिन्दू विवाह अधिनियम कुछ पहले पारित हो गया होता तो संभवतः एक से अधिक विधवाओं का प्रश्न ही उत्पन्न न होता । किन्तु दुर्भाग्यवश इस क्षण .....

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके बारे में किसी ने अब तक कुछ नहीं कहा है ।

†**श्री पाटस्कर** : हां । नियम २ में कहा गया है कि :

"इच्छापत्रहीन सम्पत्ति छोड़ने वाले व्यक्ति के जीवित पुत्रों और पुत्रियों में से प्रत्येक को एक हिस्सा मिलेगा ।"

वास्तव में यह खंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जिस पर कुछ चर्चा हो सकती है । पुत्र और पुत्री इन दोनों को बराबर हिस्सा प्राप्त होगा । जब मैंने संशोधन खंड १० को प्रस्तुत किया था और सामान्य चर्चा जिस प्रकार हुई थी तथा उसे जो समर्थन प्राप्त हुआ था इन सब बातों को देखते हुए मैंने कभी यह आशा नहीं की थी कि पुत्री के हिस्से को कम करने के लिये इस सभा में फिर से प्रयत्न किया जायेगा । मैं उस प्रश्न की तह में नहीं जाना चाहता किन्तु खंड ६ के अन्तर्निहित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए खंड १० के नियम बनाए गये हैं । संयुक्त समिति ने एक उपबन्ध किया था । इसके पश्चात् विधेयक राज्य-सभा में प्रस्तुत किया गया । हमने यह सोचा कि कोई ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे कि यदि मिताक्षरा पुत्र हों तो उनके साथ हस्तक्षेप न किया जाये । हमने एक ऐसे विचार से प्रारम्भ किया जो सभी को मान्य है और वह यह है कि हम इस अधिनियम द्वारा और इसी समय मिताक्षरा प्रणाली को समाप्त नहीं करना चाहते हैं । जो खंड हमने कल स्वीकृत किया है उस से हम इसी बात पर सहमत हुए हैं ।

यदि मिताक्षरा प्रणाली रहती ही है तो पुत्रों और पुत्रियों को उनके हिस्से प्राप्त होंगे; हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिये । मेरा ख्याल था कि यह सिद्धान्त सभा को मान्य था और इसी आशा से मैंने खंड ६ में संशोधन प्रस्तुत किया था । किन्तु आज मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य पुत्री के हिस्से को घटाकर आधा करने की मांग कर रहे हैं । मेरा ख्याल था कि मामले पर चर्चा कल समाप्त हो गई थी । हम विधेयक के सम्बन्ध में जो कार्यवाही कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की संगति होना चाहिये । मेरा ख्याल है जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह सही नहीं है । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है हम जो भी विधान पारित करते हैं उसका कोई आधार बनाते हैं । आधार का निश्चय कर लेने के बाद अविवाहिता पुत्री की स्थिति क्या है आदि प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाये यह मेरी समझ में नहीं आता है । इस सभा में इन बातों पर कितनी बार चर्चा की जायेगी ?

खंड ३२ में शब्द "इच्छापत्रोक्त" का प्रयोग किया गया है क्योंकि मैंने सोचा कि उसे पिता पर छोड़ देना चाहिये । उस खंड में यहां तक कहा गया है कि खण्ड ६ में जो उपबन्ध है उनके अनपेक्ष पिता ऐसी कार्यवाही कर सकता है कि पुत्री को कोई हिस्सा ही न मिले । इतना सब हो जाने के बाद जब खंड १० पर चर्चा होती है तो उसी प्रश्न को पुनः उठाया जाता है और माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि पुत्री के हिस्से को घटाकर आधा कर दिया जाये । अनुसूची पर चर्चा होने तक इस सम्बन्ध में क्या कुछ कहा जायेगा यह मैं नहीं जानता हूं । मैं केवल इतना ही कहूंगा कि खंड ६ को पारित कर लेने के बाद किसी सदस्य द्वारा पुत्री के हिस्से को घटाकर आधा कर दिये जाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लाया गया है उससे मुझे आश्चर्य ही हुआ है । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कल हमने जो कार्यवाही की थी उसकी भावना को बदलने का प्रयास उन्हें नहीं करना चाहिये था ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

नियम ३ और ४ के बारे में कुछ कहा नहीं गया है इसलिये मैं उनका निर्देश नहीं कर रहा हूं। जहां तक इस खंड का सम्बन्ध है मुख्य प्रश्न यह है कि पुत्री का हिस्सा क्या हो। मैं इस बात का निर्णय माननीय सदस्यों की सद्भावना और सम्मान पर छोड़ता हूं कि क्या यह वांछनीय है कि हम इस प्रश्न पर पुनः विचार करें और यह कहें कि पुत्री को उसका केवल आधा हिस्सा मिलना चाहिये जिसका कि उपबन्ध पहले ही किया जा चुका है।

†**श्री राने** : माननीय मंत्री की अपील को सुनने के बाद मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि मुझे उन्हें वापिस लेने दिया जाये।

संशोधन १० और १५ वापिस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माता और पिता के सम्बन्ध में संशोधन का जो भाग है उसका क्या होगा ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं उसे समाप्त नहीं करना चाहता क्योंकि वर्ग १ में किसी समय माता को सम्मिलित किया गया था। अनुसूची पर चर्चा के समय हम उस पर विचार करेंगे।

†**श्री एस० एस० मोरे** : हम ऐसा करने के लिये वचनबद्ध नहीं हैं क्योंकि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं कर रहे हैं।

†**श्री एच० जी० वैष्णव** : खंड १० के बारे में मेरा एक संशोधन है।

†**अध्यक्ष महोदय**। मेरा ख्याल है कि उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसलिये माता-पिता के हिस्से का प्रश्न वैसे ही रहता है। श्री देशपांडे का इस आशय का संशोधन है कि पुत्री को एक चौथाई हिस्सा दिया जाये और श्री आल्तेकर का संशोधन है कि पुत्री के लिये आधे हिस्से का उपबन्ध किया जाये।

†**श्री आल्तेकर** : मैंने यह नहीं कहा कि हिस्सा आधा होना चाहिये। मेरे जो संशोधन हैं उनका सम्बन्ध पुत्री के पुत्र और पुत्री की पुत्री से है। अनुसूची पर चर्चा के समय उन पर विचार किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसके बाद संशोधन संख्या १०७ है।

†**श्री आल्तेकर** : वह मेरा संशोधन नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन श्री जी ० एस० आल्तेकर और श्री एम० डी० जोशी के नाम से हैं; इसलिये उसका समर्थन एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा किया गया है। उसमें कहा गया है :

पृष्ठ ६, पंक्ति १० में शब्द, "पुत्रियों" के स्थान पर "अविवाहित पुत्रियां" रखा जाये।

माननीय सदस्य उत्साह में अब कुछ भी कहें किन्तु यह कहना कि उन्होंने संशोधन प्रस्तुत नहीं किया था, गलत है।

†**श्री आल्तेकर** : आपकी अनुमति से मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। विवाहित पुत्री के अंश का निर्णय उस समय किया जा सकता है जब अनुसूची पर चर्चा हो।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : पुत्री के अंश का निर्णय अभी होना चाहिये । अनुसूची पर चर्चा के समय पिता और माता के अंश का निर्णय किया जायेगा । सब माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस ले चुके हैं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†**श्री टंडन** : क्या आपका विनिर्णय यह है कि संशोधन वापिस लेने के बाद उनके प्रस्तावक अनुसूची पर चर्चा के समय उन्हें फिर से प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन वापिस ल लिये जाने के बाद विवाहित या अविवाहित पुत्री को पूरा अंश मिलेगा, आधा या एक चौथाई अंश नहीं मिलेगा । यदि कोई माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस प्रश्न पर मत लिया जाये, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा । अनुसूची पर चर्चा के समय यह प्रश्न उठाने का अवसर नहीं दिया जायेगा । विवाहित या अविवाहित पुत्री के मामले पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि आपका यही विनिर्णय है, तो हमें इस मामले पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिये । हमने इसलिये इस प्रश्न पर कुछ नहीं बोला था क्योंकि हमने समझा था कि ये सब निर्णय अनुसूची के सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों के आधीन हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । नियम दो स्पष्ट है । इच्छापत्रहीन अवस्था में उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों में से प्रत्येक को एक एक हिस्सा मिलेगा । विवाहित और अविवाहित पुत्री के प्रश्न पर भी चर्चा की जा चुकी है । खंड १० के पारित किये जाने के बाद पुत्री को अनुसूची से नहीं निकाला जा सकेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पिता और माता के बारे में भी, आपका यह विनिर्णय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक पिता और माता का सम्बन्ध है, उन पर खंड ९ या खंड १० का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यदि खंड १० की भाषा में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो संशोधन अभी प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उन पर चर्चा करके निर्णय किये जा सकते हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : कृपया नियम ३ देखिये । हमने शाखाओं पर चर्चा नहीं की है । हमने यें संशोधन दिये हैं कि पुत्रियों या पुत्रों की पुत्रियों के अंश हटा दिये जायें । आपके विनिर्णय के अनुसार इन पर भी चर्चा नहीं हो सकेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप नियम ३ के अधीन इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस पर चर्चा अनुसूची के समय की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम ३ को उठा रखा जायेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जब अनुसूची में दो विषय हों, तो अनुसूची के संशोधन किये जाने पर उसका प्रभाव खंड पर भी पड़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वास्तव में सभा खंड ६ को पारित कर चुकी है । ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि यदि अनुसूची को संशोधित किया गया, तो खंड ६ को भी संशोधित किया जायेगा । हम कैसे उसे संशोधित कर सकते हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि आप सदन की कार्यवाही देखें, तो आप देखेंगे कि यह आश्वासन दिया गया था कि खंड का संशोधन अनुसूची में किये गये संशोधन पर निर्भर होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैंने इस सम्बन्ध में एक औचित्य प्रश्न उठाया था कि खण्ड का निर्णय अनुसूची के बाद कैसे किया जा सकता है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैंने इस आश्वासन के आधार पर कहा था कि यदि अनुसूची को पारित न किया गया तो हम निर्णय बदलवा सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं पुत्री के अंश के प्रश्न को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वी० जी० देशपांडे** : जहां तक अविवाहित पुत्री के अंश का सम्बन्ध है, मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं । मेरा संशोधन यह है कि अविवाहित पुत्री को एक चौथाई अंश मिलना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप चाहते हैं कि जीवित रहने वाली अविवाहित पुत्री को एक चौथाई अंश मिले । पंडित ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि अविवाहित या विवाहित पुत्रियों के अंश पर अनुसूची के समय चर्चा की जाये । इन प्रश्नों पर कल या अगले दिन चर्चा होगी । अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा आरम्भ करेगी ।

कारखाना (संशोधन) विधेयक*

(धारा ५१, ५४ और ५९ का संशोधन)

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम्): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विद्युत (संभरण) संशोधन विधेयक—समाप्त

(धारा ७७ आदि का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेगी ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : २० अप्रैल, १९५६ को प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मैंने श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले का उल्लेख करते हुए यह बताया था कि अन्तिम निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । मै उन सब बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताया गया है कि बोनस की मद को छठी अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न मदों में सम्मिलित किये जाने योग्य मद नहीं समझा गया है; इसलिये विद्युत् संभरण उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को बोनस प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है । इस विवरण में उल्लिखित निर्णय के बाद कुल बैंच ने एक और निर्णय दिया, जिसमें उसने पहले निर्णय को बिल्कुल बदल दिया । किन्तु इससे पहले, जब सरकार को मालूम हुआ कि अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार बोनस की अदायगी प्रवेश्य व्यय की मद नहीं थी, तो हमने श्रम मंत्रालय और विधि मंत्रालय से बात-चीत शुरू की । सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का भी यही विचार

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत सरकार के सूचना पत्र असाधारण, भाग २, अनुभाग २, दिनांक ४-५-५६ में प्रकाशित । देखिये पृष्ठ..... ।

[श्री हाथी]

था कि विद्युत् उद्योग के कर्मचारियों को भी अन्य उद्योगों के श्रमिकों की तरह बोनस प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। अन्त में विधि मंत्रालय ने हमें बताया कि बोनस की अदायगी व्यय की एक प्रवेश्य मद है। इससे इस समूचे मामले का निपटारा हो जाता है।

विधेयक के प्रस्तावक का अभिप्राय यह था कि अधिनियम की एक त्रुटि को दूर किया जाये, किन्तु दूसरे निर्णय के अनुसार और सरकार के विचार में भी बोनस एक प्रवेश्य मद है। हमने विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक, १९५५ में भी, जो कि हमने बाद में पुरःस्थापित किया है, स्थिति को स्पष्ट करने के लिये यह कहा है कि यह मद एक प्रवेश्य मद होगी। इसलिये वास्तव में ऐसे किसी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं।

माननीय प्रस्तावक का दूसरा संशोधन यह है कि १,००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं दिया जाना चाहिये। उन्होंने यह तर्क दिया कि कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम में बहुत से विदेशी १,००० रुपए से अधिक वेतन ले रहे हैं और उन्हें बोनस दिया जा रहा है या दिया जायेगा। मैं सदन से पूछता हूं कि क्या हमें विद्युत् संभरण उद्योग में १,००० रुपया पाने वाले कर्मचारी और किसी अन्य उद्योग में १,००० रुपये से अधिक पाने वाले किसी कर्मचारी में कोई विभेद करना चाहिये? यदि अन्य उद्योगों में काम करने वाले और १,००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी बोनस के अधिकारी हैं, तो क्या उनको जो विद्युत् संभरण उद्योग में काम करते हैं और १,००० रुपया से अधिक वेतन पा रहे हैं इस बोनस से वंचित करना उचित होगा? या क्या हम बिजली का काम करने वालों का महत्व कम करना चाहते हैं? क्या केवल इसलिये कि कुछ विदेशियों को यह लाभ प्राप्त होगा, क्या हमें अपने ही देश वालों को इससे वंचित कर देना चाहिये? देश में विद्युत् संभरण उद्योग मे ऐसे कितने विदेशी होंगे? और क्या हम यह चाहते हैं कि यदि अन्य लोगों को अधिक वेतन मिल रहा है, इसलिये हमारे लोगों को अधिक वेतन नहीं मिलना चाहिये और उन्हें १,००० रुपये से अधिक नहीं मिलना चाहिये? यदि अन्य उद्योगों मे लोग बोनस के अधिकारी हैं, तो क्या विद्युत् संभरण उद्योग के कर्मचारियों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाये? इस प्रकार का विभेद वांछनीय नहीं होगा।

प्रस्तावक का तीसरा संशोधन वह है कि अधिनियम की धारा ७७ में एक और खंड जोड़ दिया जाय :

> "या लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति के कर्मचारियों के किसी रजिस्टर्ड कार्मिक संघ के अध्यक्ष या सचिव द्वारा या अन्य व्यक्ति जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है"।

इस विधेयक का सारा उद्देश्य यह है कि विद्युत् संभरण उद्योग के कर्मचारियों को बोनस पाने का अधिकार हो। एक त्रुटि को दूर करने का भी प्रयत्न किया गया है। विधि की दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं है। विधि स्पष्ट है। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि यह मद प्रवेश्य है और इसके अप्रवेश्य होने का कोई प्रश्न नहीं है। उनका विचार है कि यदि यह प्रवेश्य नहीं है, तो इसे प्रवेश्य बनाया जाये। ऐसा करने के बाद उन्होंने एक और खण्ड रखा है :

> "ऐसे बोनस की राशि को छोड़ कर प्रति मास एक हज़ार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस देने के लिये किया गया सब व्यय।"

वह ये प्रविष्टि जोड़ना चाहते थे, किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वह यह खंड भी जोड़ना चाहते थे कि १,००० रुपये से अधिक वेतन पाने वालों को बोनस नहीं दिया जाना चाहिये। इस खंड का उल्लंघन करने वालों के लिये उन्होंने तीन वर्ष की कैद या पचास हजार रुपये के जुर्माने का दंड रखा है। अर्थात् यदि कोई व्यक्ति १,००० हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को बोनस दे तो यह एक दंडनीय

अपराध है। वह कहते हैं कि इस अपराध के लिये किसी रजिस्टर्ड कार्मिक संघ का अध्यक्ष या सचिव अभियोग चलाये। धारा ७७ में विभिन्न उपबन्ध ऐसे हैं, जिनके अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकते हैं, किन्तु ये बोर्ड की हिदायतों का अनुसरण न करने या विधि के अनुसार किसी विशिष्ट प्रकार से लेखे न रखने के कारण चलाये जा सकते हैं। इन कारणों के आधार पर अभियोग चलाये जाने का उपबन्ध किया गया है। किन्तु किसी नियोजक पर इसलिये अभियोग चलाना कि उसने १,००० रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारी को बोनस दिया है और इस अभियोग के लिये कुछ संघों के अध्यक्षों या सचिवों को अधिकार देना विद्युत् संभरण उद्योग के साधारण प्रशासन में हस्तक्षेप करना होगा। सामान्यतया यह कार्य राज्य विद्युत् बोर्डों या जहां बोर्ड न हों, राज्य सरकारों का है। यह कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिये कि कोई व्यक्ति अभियोग चला सके। विशिष्ट उपबन्ध का पालन न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अन्य तरीके हैं। किन्तु अन्तिम निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सरकार की इस राय को ध्यान में रखते हुए कि बोनस दिया जा सकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने एक ऐसा विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है, जिसमें इस मद को प्रवेश्य बनाया गया है, मुख्य संशोधन के लिये कोई कारण नहीं रह जाता है और इसलिये इस मुख्य संशोधन से उत्पन्न होने वाले अन्य छोटे संशोधन भी अनावश्यक हैं।

अतः मामला स्पष्ट है। मेरे विचार में मुझे उन बातों की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं, जो मैं पहले कह चुका हूं। ये सारी बातें केवल एक ही मुख्य बात पर आश्रित हैं; और वह बात यह है कि यह बोनस व्यय की एक प्रवेश्य मद है या नहीं। अब उसे प्रवेश्य मद माना जा चुका है। इसलिये अब यह कोई प्रश्न ही नहीं है कि उन्हें बोनस का भुगतान किया जाये या न किया जाये। उन्हें बोनस देना पड़ेगा, और उसे एक व्यय ही माना जायेगा।

यह सारा प्रश्न इसीलिये उठा था कि इस अधिनियम के अन्तर्गत 'शुद्ध लाभ' की परिभाषा में आय और कतिपय व्यय के अन्तर मात्र को ही रखा गया था; और व्यय की तमाम मदों का उल्लेख किया गया था कि केवल उनको ही वास्तविक व्यय माना जा सकता था। इसलिये, इस मद को एक व्यय नहीं माना गया था। लेकिन चूंकि अब उसे भी व्यय की एक मद मान लिया गया है, इसलिये अब उसके सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रह गया है।

इसलिये, अब यह आवश्यक नहीं है कि मैं अपने माननीय मित्र द्वारा कही गई अन्य बातों का उत्तर दूं, कि क्यों अमुक समवाय विशेष इतना अधिक लाभ उठाने पर भी बोनस या इसी प्रकार की अन्य कोई चीज़ नहीं दे रहा है, इत्यादि। अब मुझे इस प्रश्न पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह गई है। यदि इस प्रश्न का निर्णय करना होता कि बोनस व्यय की एक प्रवेश्य मद है या नहीं, या यह कि उसका भुगतान किया जाना चाहिये या नहीं, तो यह अवश्य ही एक बड़ी सुसंगत बात होती। लेकिन, अब तो वह स्पष्ट हो चुकी है।

मैं अब लोक-सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। अन्त में, मैं यही कहूंगा कि मैंने यहां जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है, उनको देखते हुए अब यह विधेयक आवश्यक नहीं रह गया है।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : इस विधेयक के विरुद्ध केवल श्री टेकचन्द बोले हैं और उन्होंने भी इसके सारभूत भाग पर आपत्ति नहीं की है। उन्होंने भी उस खण्ड के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है जिसके द्वारा मजदूरों को दिये जाने वाले बोनस के व्यय को प्राधिकृत किया गया है।

श्री टेकचन्द ने केवल इसीलिये इसका विरोध किया है कि उनके विचार से धारा ७७ (१) के संशोधन में कुछ अनर्गलता थी। माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि वह तो छठवीं अनुसूची के संशोधन

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

का केवल एक सहायक संशोधन ही है । छठवीं अनुसूची का संशोधन मजदूरों को बोनस की अदायगी के सम्बन्ध में अधिनियम में एक बड़ा ठोस संशोधन है ।

श्री टेकचन्द के तर्क बड़े विचित्र हैं । उनका कहना है कि मैं दयाशीलता को दण्डित करना चाहता हूं, मैं मालिकों द्वारा उनके कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले धन के लिये उन पर जुर्माना करना चाहता हूं । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि एक हजार रुपये कमाने वाले व्यक्ति को बोनस दिया जाये तो कुछ भी नहीं होगा, पर यदि एक हजार एक रुपये कमाने वाले को वही बोनस दिया जाये तो उसे दण्ड दिया जायेगा ।

मैं अधिक बोनस की अदायगी पर इसलिये दण्ड का विधान कराना चाहता हूं कि पहले तो वह कम आय वाले मजदूरों के प्रति अन्याय है; और दूसरे यह कि एक हजार से अधिक वेतन वाले अधिकांश लोग विदेशी हैं और उनको रुपया देने से वह देश के बाहर चला जाता है । इसमें दयाशीलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । आप उनको तो बोनस दे नहीं रहे हैं जो उसके हकदार नहीं हैं । इसलिये, मेरे विचार से तो यह अर्थ दण्ड की व्यवस्था विशेषकर अधिक वेतन पाने वाले विदेशियों के सम्बन्ध में, बिलकुल ही उचित है ।

उनका दूसरा तर्क यह है कि एक हजार रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस देने पर जब कुछ नहीं होता, तो एक हजार एक रुपया वेतन पाने वालों को बोनस देने पर भारी अर्थ-दण्ड की व्यवस्था क्यों की जाये । इसके लिये मैं भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं ४२९ और ४३६ का उदाहरण देता हूं । उनमें पचास और सौ रुपयों की सीमायें निर्धारित कर दी गई हैं । इनमें यदि कुछ आनों का ही अन्तर हो तो ये धारायें और उनमें दिये गये दण्ड लागू नहीं होते हैं । आखिर, आपको विधि बनाने के लिये कोई सीमा तो निर्धारित करनी ही पड़ेगी । उस सीमा से नीचे वह विधि लागू नहीं होगी, और सीमा से आगे बढ़ते ही विधि और उसका दण्ड लागू हो जायेगा । उस सीमा का अतिक्रमण वहां तक किया गया है, यह तो न्यायाधीश के निर्णय पर ही छोड़ना पड़ेगा । यह तो हुआ श्री टेकचन्द के तर्कों के सम्बन्ध में ।

वास्तव में मैं माननीय मंत्री के कुछ तर्कों से प्रभावित हुआ हूं । धारा ७७ के सम्बन्ध में, अधिक बोनसों के लिये अर्थ-दण्ड की व्यवस्था करने से मेरा आशय यही था कि विदेशी लोग इस तरह हमारे देश से एक बड़ी धन राशि बाहर ले जा सकते हैं । अब औद्योगिक नीति विवरण में कहा गया है कि विद्युत् का उत्पादन एक राष्ट्रीय उपक्रम होगा । तब फिर वह भय नहीं रहेगा । मैं उस उपबन्ध को वापिस लेने को तैयार हूं ।

बोनस की अदायगी के लिये प्रस्तुत किये गये, छटवीं अनुसूची के संशोधन के सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । यदि वह संतोषप्रद होगा, तो मैं इस विधेयक को वापिस ले लूंगा । अब बोनस की अदायगी के व्यय को व्यय की प्रवेश्य मद तो मान लिया गया है, पर कुछ विवाद ऐसे भी हैं जो लम्बे काल से विचाराधीन पड़े हुये हैं । बोनस सम्बन्धी विवादों में बहुधा यह होता है कि कभी-कभी दो या तीन वर्ष बाद न्यायाधिकरण द्वारा बोनस के दावों को न्यायपूर्ण करार दिया जाता है और तभी दो-तीन वर्ष पहले के बोनस की अदायगी पर व्यय किया जाता है । उपमंत्री इसका स्पष्टीकरण करें कि क्या गत वर्षों के बोनस भी आय-कर विधि के अधीन आयेंगे, या उनको आय-कर सहायता के लिये प्रवेश्य माना जायेगा । यदि उसे प्रवेश्य नहीं माना जाता है, तो विद्युत (संभरण) अधिनियम के अन्तर्गत उसे व्यय की एक प्रवेश्य मद नहीं माना जायेगा । क्या १९५२ वर्ष के लिये अदा किये जाने वाले बोनस को व्यय का एक मद माना जायेगा ? इसी बाधा को हटाने के लिये मैंने इस अधिनियम के आरम्भ से ही उसे भूतलक्षी बनाने का संशोधन रखा है । उसके अनुसार मालिक लोग गत वर्षों के बोनस की अदायगी के लिये भी व्यय कर सकेंगे । यदि यह आय-कर अधिनियम

के अधीन नहीं आता है, तो क्या उपमंत्री यह आश्वासन देंगे कि इस बाधा को दूर करने के लिये सरकार अपना संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय इस व्यवस्था को भूतलक्षी प्रभाव देगी ? क्या उसकी अनुमति दी जायेगी ?

यह व्यवस्था मालिकों के विरुद्ध भी नहीं पड़ती है । यदि मुझे यह आश्वासन मिल जाये, तो मैं इस सारे विधेयक को ले लूंगा ।

†**श्री हाथी :** उनकी अन्तिम बात, एक नई बात है । उन्होंने विचार के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके उपबन्ध में इसे भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रश्न ही नहीं था ।

†**श्री साधन गुप्त :** जी हां, था;—"माना जायेगा ।"

†**श्री हाथी :** लेकिन तब तो, स्वाभाविक रूप से सभी विचाराधीन मामले अपीलीय न्यायाधिकरण के सबसे बाद के निर्णय द्वारा ही शासित होंगे । आप स्थिति जानते हैं कि यदि कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं और फिर उस मामले को और उससे ऊंचे न्यायालय में नहीं ले जाते हैं तो क्या होता है । जब तक कि किसी अपील में किसी निर्णय को रद्द नहीं किया जाता या दूसरा भिन्न निर्णय नहीं जाता, तब तक तो न्याय सम्बन्धी स्थिति पहले जैसे ही बनी रहेगी जैसे कि किसी सक्षम न्यायालय विशेष ने उसे घोषित किया है । वैधानिक स्थिति यही है । वर्तमान स्थिति यह है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले निर्णय को उलट दिया है और इसीलिये सभी भावी मामले इसी निर्णय द्वारा शासित होंगे । जहां तक कि विचाराधीन मामलों का सम्बन्ध है, कर्मचारियों के लिये भी वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं, वे स्वाभाविक रूप से उन सभी का उपयोग कर सकेंगे ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या सरकार संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय इस पर विचार करेगी ?

†**श्री हाथी :** निर्णय तो है ही । हमारे द्वारा पुरःस्थापित विधेयक पारित हो, या उनका यह विधेयक पारित हो । वर्तमान स्थिति तो है ही । हमें विधेयक पारित होने तक रुकने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त :** निर्णय में यह बात स्पष्ट नहीं है कि गत वर्षों से सम्बन्धित बोनस को भी उसमें संरक्षण दिया जायेगा या नहीं । मैं केवल यही आश्वासन चाहता हूं कि उसको भी संरक्षण दिया जायेगा । इसमें यदि कोई बाधा पड़ती है तो सरकार उसे संशोधन विधेयक में दूर कर देगी—मैं केवल यही आश्वासन चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य, उपमंत्री के वक्तव्य को देखते हुए, अपना विधेयक वापिस लेने को तैयार हैं ?

†**श्री साधन गुप्त :** जी, हां ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब लोक-सभा संसद् राज्य विधान-मण्डलों और उनकी समितियों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[अध्यक्ष महोदय]

इस विधेयक को कितना समय दिया जाये ?

†**श्री फीरोज गांधी** (प्रतापगढ़ ज़िला–पश्चिम व रायबरेली ज़िला–पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिये आवंटित समय को डेढ़ घण्टा और बढ़ा दिया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिये आवंटित समय को डेढ़ घण्टा और बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद्, राज्य विधान-मण्डलों और उनकी समितियों की कार्यवाही के प्रतिवेदनों के प्रकाशन को संरक्षण देने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय, मुझे हाउस (लोक-सभा) का ज्यादा समय नहीं लेना है और बहुत थोड़ी-सी बातें कहनी हैं । सिलैक्ट कमिटी (प्रवर समिति) ने जो रिपोर्ट (प्रतिवेदन) इस बिल (विधेयक) पर दी है, उस रिपोर्ट से मैं सहमत हूं । मेरा ख्याल है कि जो रद्दोबदल इस कमेटी ने की है, वह ठीक है । खास चीज़ जो सिलैक्ट कमिटी ने बदली है उस हिस्से पर लागू होती है जो कि स्टेट लैजिस्लेचर्ज़ (राज्य-विधान मण्डलों) से सम्बन्ध रखता है । इस बारे में सिलैक्ट कमिटी ने काफ़ी ग़ौर किया और भिन्न-भिन्न राज्यों ने जो रायें दी उनको देखते हुये यह ठीक ही समझा गया कि फिलहाल इस बिल को इसी हाउस की और राज्य-सभा की कार्रवाइयों को प्रोटेक्ट (संरक्षित) करने के लिये रखा जाये ।

कई राज्यों ने इस विषय में अपनी राय दी है । ऐसा मालूम होता है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, वे तो इस बिल से सहमत हैं और उन्हें खास एतराज़ नहीं है, लेकिन जो बड़े-बड़े राज्य हैं, वे कुछ ख़िलाफ़ मालूम होते हैं । मेरी राय यह है कि इस बात को देखते हुये यह ज्यादा अच्छा होगा कि मौजूदा हालत में स्टेट्स (राज्यों) को और स्टेट लैजिस्लेचर्ज़ को हम इस बिल में से निकाल दें ।

एक बात की सफ़ाई मैं लीगल एफ़ेयर्ज के माननीय मिनिस्टर (विधिकार्य मंत्री) साहब से चाहूंगा । मेरा कुछ ऐसा ख्याल था और शायद मंत्री जी का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था—कि इस बिल के पास होने के बाद अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर यह चाहेगी कि वह इस बिल के प्राविज़न्ज़ (उपबन्धों) को अपने यहां लागू कर दे, तो वह ऐसा कर सकेगी, प्रस्ताव से या बिल से । स्टेट्स अपने यहां एक नया बिल ला सकती हैं । अगर इस बारे में ज़रा सफ़ाई हो जाती, तो अच्छा होता क्योंकि मुझे इस में कुछ दिक्कतें मालूम होती हैं । एक दिक्कत की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं । मान लीजिये कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली इस तरह का क़ानून बनाती है, तो वह क़ानून उत्तर प्रदेश राज्य की हद में ही लागू होगा । जो अखबार उत्तर प्रदेश के राज्य के बाहर छपते हैं—जैसा कि यह वाक़या है कि दिल्ली में कई अख़बार शाया होते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में सर्कुलेट (परिचालित) होते हैं—अगर वे उत्तर प्रदेश लैजिस्लेचर की कार्यवाहियों को छापते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के क़ानून से वे अख़बार बचेंगे नहीं । ये अख़बार उस लैजिस्लेचर की कार्यवाहियों को अगर छापेंगे, तो वह एक्शनेबल (कार्यवाही करने योग्य) होगा । यह बात सामने आई और मेरा ख्याल है कि जब भी हम इस कानून को स्टेट्स के ऊपर लागू करेंगे, तो वह कानून भी यहीं बनाना पड़ेगा और स्टेट लैजिस्लेचर्ज़ इस कानून को नहीं बना

†मूल अंग्रेजी में ।

सकती है। यह क़ानून बनाने का हक़ उनको है, लेकिन उस क़ानून की पूर्ति वैसे नहीं हो सकेगी, जैसी वे चाहेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल में कुछ तरमीमें की हैं। मेरा ख्याल है कि उससे यह बिल पहले की निस्बत कुछ अच्छा हो गया है। मैंने देखा है कि इस बारे में अमेंडमेंट्स (संशोधनों) की बड़ी बौछार की गई है। जब वे अमेंडमेंट्स सामने आयेंगे, तो उनके बारे में मुझे जो कुछ कहना है, वह कहूंगा। फ़िलहाल मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : समय की कमी को देखते हुए, अच्छा हो यदि हम सारा समय संशोधनों पर विचार करने में ही लगायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद, हम इस पर खण्डवार चर्चा करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि संसद्, राज्य विधान-मण्डलों और उनकी समितियों की कार्यवाही के प्रतिवेदनों के प्रकाशन को संरक्षण देने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३—(संसदीय कार्यवाही के प्रतिवेदनों का प्रकाशन विशेषाधिकृत)

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : खण्ड ३ ही विधेयक का सब से महत्वपूर्ण भाग है। हमें आशा थी कि प्रवर समिति इस विधेयक को त्रुटिहीन बना देगी और संसदीय तथा विधान-मण्डलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन को भी वही स्वतंत्रता प्रदान की जायेगी जो प्रत्येक सभ्य राज्य में प्राप्त है। पर हमें इसमें निराशा ही हुई है।

इस विधेयक का मूल सिद्धान्त क्या है? मेरा विचार तो यह था कि यह खण्ड वासन **बनाम** वाल्टर के मामले में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर आधारित है। उस निर्णय में एक बहुत ही अच्छे सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था कि संसदीय कार्यवाहियों, या न्यायिक कार्यवाहियों के मान-हानि कारक भाषणों को स्वतंत्रतापूर्वक प्रकाशित करने देने का अधिकार दिया जाना चाहिये। परन्तु उसमें लोकहित का ध्यान रखा जाना चाहिये। यह इसलिये कि एक व्यक्ति को होने वाले कष्ट और असुविधा की तुलना में प्रकाशन से होने वाला लाभ और सुविधा कहीं अधिक है। मतदाताओं को अधिकार है कि वे अपने चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये भाषणों के सम्बन्ध में जानें। यह उनके हित में है। इसीलिये इंग्लैण्ड में यह निर्णय किया गया था कि संसदीय कार्यवाहियों के प्रकाशन की अनुमति दी जानी चाहिये। उस पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। प्रवर समिति ने इस सिद्धान्त को न मान कर पता नहीं और किस सिद्धान्त को अपनाया है।

श्री फीरोज़ गांधी ने इसका कारण यह बताया है कि बड़े-बड़े राज्य इसके विरुद्ध थे। इस मामले में राज्य सरकारों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है कि वे यह निर्णय कर सकें कि जनता के लिये क्या लाभदायक होगा? संसद् और राज्य विधान-मण्डलों में क्या अन्तर है? दोनों ही सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न हैं। अन्तर केवल सूचियों और विधियों के

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

लागू होने वाले क्षेत्र का ही है। दोनों ही बालिग मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इसलिये, जनता दोनों ही की कार्यवाहियों को जानने की समानरूप से अधिकारिणी है। क्या सार्वजनिक उत्तर-दायित्व के आधार पर संसद् सदस्यों और विधान-सभाओं के सदस्यों में कोई विभेद किया जा सकता है? नहीं। फिर, राज्य विधान-मण्डलों को अलग रखने का क्या कारण है? राज्य सरकारों की इस अनुचित मांग के सामने घुटने टेकने के लिये प्रवर समिति को भर्त्सना की जानी चाहिये।

यह सब कुछ होते हुए भी, क्या इसका अर्थ यह है कि मानहानिकारक कथनों को भी जनता के सामने जाने देना चाहिये? क्या उन्हें भी इसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त है? क्या यह उचित नहीं है कि कम से कम राज्य विधान-मण्डलों की चर्चा में किये गये मानहानिकारक कथनों को प्रकाशित न होने दिया जाये? वासन **बनाम** वाल्टर के मामले में भी यही तर्क दिया गया था। लेकिन, निर्णय में कहा गया था कि संसदीय वाद-विवाद की अन्य बातों की अपेक्षा जनता का सबसे अधिक हित इसी बात में है कि राज्य के लोक सेवकों के आचरण से सम्बन्धित बातें उसे मालूम हों। उसमें कहा गया था कि संसदीय चर्चा के इसी विषय को जनता की जानकारी में लाना सबसे अधिक आवश्यक है। यह एक बहुत ही श्रेष्ठ सिद्धान्त है।

राज्य सरकारों के इसके विरोध का कारण भी स्पष्ट है। भ्रष्टाचार के दोषी तमाम मंत्री नहीं चाहते कि उनके कारनामों को प्रकाशित किया जाये। लेकिन हम तो उन्हें संरक्षण नहीं दे सकते।

मैंने संशोधन संख्या ८ और १० प्रस्तुत किये हैं, संशोधन संख्या १० के द्वारा मैं खण्ड ३ के उपखण्ड (२) को हटाना चाहता हूं। यह इसलिये कि "सार्वजनिक हित" कोई निश्चित चीज़ नहीं है। इंग्लैण्ड में तो इस शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया था कि वह संरक्षण न्यायिक कार्यवाहियों पर भी लागू होता था और उसमें अवश्य ही ऐसी तमाम बातें उठती हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने से हानि पहुंचने की संभावना हो सकती है। लेकिन, संसद् में तो ऐसी कोई बात उठने की संभावना नहीं है।

अन्त में हमें याद रखना चाहिये कि संसद् और विधान-मण्डलों की कायवाहियां नियमानुसार होती हैं और हमें किसी की मानहानि करने का अधिकार नहीं होता है। इसीलिये, इस खण्ड के संरक्षण से राज्य विधान-मण्डलों, संसद् और उसकी समितियों में से किसी को विमुक्ति देने का कोई अर्थ ही नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं अपने संशोधन संख्या ८ और १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : मैं संशोधन संख्या १३ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैं संशोधन संख्या ७ और ९ का प्रस्ताव करता हूं।

†**श्री आर० डी० मिश्र** (ज़िला बुलन्दशहर) : मैं संशोधन संख्या १, १४ और १५ का प्रस्ताव करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: मैंने आज प्रातः जो वक्तव्य दिया था उसमें हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के पश्चात् विधान कार्य का क्रम बताया था। उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में।

हुई है। अब लोक प्रतिनिधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक जीवन बीमा निगम विधेयक से पहले लिया जायेगा ।

विधान-मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक

†**श्री एस० एस० मोरे** : मैंने संशोधन संख्या ७ और ९ प्रस्तुत किये हैं ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

मैंने प्रवर समिति में अपने तीन साथियों सहित इस पर विमति टिप्पण लिखा था। कंडिका १२ में कहा गया है कि यदि राज्य विधान मंडल चाहें तो वे राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में इसी प्रकार का विधान अधिनियमित कर सकते हैं ।

दुर्भाग्यवश प्रवर समिति के अधिक सदस्यों को इस सिफारिश के होने वाले परिणाम का पता नहीं लगा। दाण्डिक विधि से सम्बन्धित विधान समवर्ती सूची के अन्तर्गत आता है। राज्य विधान मण्डलों को अधिकार देने से वे कह सकते हैं कि विधान मण्डलों की कार्यवाही समाचारपत्र में प्रकाशित होने पर संरक्षित रहेगी। अखिल भारतीय समाचारपत्र भी हैं। यदि कोई सदस्य एक मान-हानिपूर्ण वक्तव्य देता है तो पीड़ित व्यक्ति राज्य से बाहर उस प्रकाशित वक्तव्य की प्रति प्राप्त करके व्यवहार या दाण्डिक अभियोग चला सकता है। तब उस विधान मंडल की विधि प्रभावी नहीं होगी ।

एक और भी संभावना है। मान लीजिये राज्य क ऐसा विधान बना लेता है परन्तु राज्य ख ऐसा विधान नहीं बनाता। इससे जो विषय राज्य क में संरक्षित होगा वह भाग ख में संरक्षित नहीं होगा। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि राज्य विधान मंडलों के सीमित क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुये यह विषय उन पर छोड़ दिया जाये। सीमित संरक्षण का कोई लाभ नहीं होगा। इस संरक्षण के सम्बन्ध में संसद् को ही सद्भावनापूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिये ।

हमारा मूल उद्देश्य लोकतन्त्र की जड़ों को शक्तिशाली बनाना है। यदि कोई मानहानिपूर्ण बात कहता है तो अध्यक्ष उसे रोक सकता है। उसके पश्चात् तो उस वक्तव्य का अधिकतम प्रकाशन होना चाहिये ताकि हमारे स्वामी हमारे कथन पर निर्णय दे सकें। लोकतन्त्र के हित में और समाचारपत्रों के संरक्षण के लिये सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न इस सभा को चाहिये कि वह विषय को अपने हाथ में ले ।

समवर्ती सूची के अधीन हमने कई बार अधिकार का प्रयोग किया है। इस समय यह और भी अधिक न्यायसंगत है ।

संशोधन ७ प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि यदि आप राज्यों की राय को अधिक महत्व देते हैं तो उससे हमारा विधान निरर्थक हो जायेगा ।

यदि सभा मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार न हो तो केवल संसद् की कार्य-वाही नहीं वरन् अन्य समितियों की कार्यवाही को भी संरक्षण अवश्य प्राप्त होना चाहिये। उन समितियों में तीव्र आलोचना होती है। उनके प्रकाशन से लोगों को स्थिति का ज्ञान हो सकता है ।

†**श्री फीरोज गांधी** : समिति की कार्यवाही सभा-पटल पर रखे जाने के पश्चात् सभा की कार्य-वाही बन जाती है ।

†**श्री एस० एस० मोरे** : वैध स्थिति के बारे में हम संदेह दूर करने के लिये फिर भी बहुत से उपबंध कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि समितियों की कार्यवाही भी इस विधेयक के अधीन होनी चाहिये। मैं सिफारिश करता हूं कि सभा को यह शुभ कार्य करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री टेक चन्द** (अम्बाला-शिमला) : इस विधेयक के सिद्धांत के सम्बन्ध में तो कोई विवाद नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि विधान मंडलों की कार्यवाही के सम्बन्ध में समाचारपत्रों को कितनी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये ?

†**सभापति महोदय** : मैं पहले जानना चाहता हूं कि प्रस्तावक को कितना समय चाहिये ?

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : मुझे भी कुछ समय चाहिये।

†**श्री साधन गुप्त** : क्योंकि प्रथम प्रक्रम छोड़ दिया गया था अतः प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

†**सभापति महोदय** : मैं जानना चाहता था कि उन्हें अन्तिम उत्तर के लिये कितना समय चाहिये ?

†**श्री पाटस्कर** : मुझे दस या बारह मिनट चाहियें।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री और प्रस्तावक के लिये २० मिनट रखने के पश्चात माननीय सदस्यों को पांच-पांच मिन्टों में बात समाप्त करनी चाहिये ताकि अधिक सदस्य बोल सकें।

†**श्री टेक चन्द** : केवल विधेयक का समर्थन करने के लिये पांच मिनट पर्याप्त होते परन्तु मैं खण्डों की आलोचना करते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

खण्ड ३ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि समाचार पत्र में प्रकाशित कोई समाचार निश्चित रूप से सत्य है और लोकहित के लिये है तो आप यह तीसरी शर्त क्यों लगाते हैं कि उस में दुर्भावना नहीं होनी चाहिये। अनुमान कीजिये कि मैं कोई समाचार, अपने समाचारपत्र में प्रकाशित करता हूं। मेरे विरुद्ध यह कह कर अभियोग चलाया जा सकता है कि मेरे मन में व्यक्ति विशेष के विरुद्ध दुर्भावना है, परन्तु यदि समाचारपत्र का सम्पादक उस व्यक्ति के लिये सर्वथा अपरिचित हो तो वह इस भय से मुक्त है। मेरे आत्मगत भावों का प्रभाव वस्तुगत विषय पर नहीं पड़ना चाहिये। यदि विषय में लोकहित और सत्यता है तो मुझे अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिये।

दूसरे शब्दों में आप प्रकाशन करने वाले का मानसिक विश्लेषण करेंगे जोकि सुगम बात नहीं है। क्या यह पर्याप्त है कि यदि किसी सम्पादक के मन में कभी किसी के विरुद्ध द्वेषभाव रहा हो तो चाहे उसका समाचार लोकहित में हो उसे आप जेल भेज दें ? जब तक विषय मूलतः सत्य हो और लोकहित में हो तब तक दुर्भावना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। समाचार का लोकहित युक्त होना और वस्तुतः सत्य होना पर्याप्त है, मानसिक द्वेष अथवा विरोध का प्रश्न नहीं।

आप राज्यों को छोड़ना चाहते हैं। इससे सम्पादक कठिनाई में पड़ जायेंगे क्योंकि उन्हें संसद् के बारे में विशेषाधिकार प्राप्त होंगे परन्तु राज्यों के विधान मण्डलों के बारे में नहीं।

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इससे संसदीय लोकतन्त्र अधिक प्रभावी हो जायेगा। जनता सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है अतः उसे यह जानने का अधिकार है कि संसद् में क्या हो रहा है।

यह आवश्यक है कि यहां के वाद-विवादों के बारे में जो सूचना दी जाए उसे समाचारपत्र शुद्ध रूप में दें। अतः शुद्ध देने पर समाचारपत्रों को उन्मुक्ति मिलनी चाहिये।

इस विधान से प्रशासन में भी सुधार होगा। संसद् सदस्य के नाते मैं प्रशासन सम्बन्धी भ्रष्टाचारों का भंडा फोड़ कर सकूंगा और ऐसे समाज विरोधी तत्वों का जनता को पता चल जाये। परिणाम यह होगा कि इससे भ्रष्टाचार सम्बन्धी और समाज विरोधी कार्यवाहियां कम हो जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

विधेयक को देखने से पता चलता है कि वह राज्यों के विधान मंडलों पर लागू नहीं होगा। संसद् और राज्यों के विधान मंडल एक समान कार्य करते हैं। अतः मैं चाहता हूं कि श्री एन० बी० चौधरी के संशोधनों को मान लिया जाये और राज्यों के विधान मंडलों पर भी वह लागू हो।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ मैंने एक एमेंडमेंट दिया है कि इसमें यह जो मैलिस (दुर्भावना) शब्द है, इसको इसमें से निकाल दिया जाये। इसका एक खास कारण यह है कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाहियां) जनता के हित में छापी जाती हैं और यह मान लिया जाता है कि इनको छापना जनता के हित में है तो यह ज़रूरी हो जाता है कि जो कार्रवाई भी यहां होती है उसका इल्म जनता को हो और अगर इसका इल्म जनता को कराना है तो यह मैलिस (दुर्भावना) का जो पार्ट है वह अलग हो जाता है। इसमें यह कहा गया है कि अगर मैलिस साबित हो जाये तो मुकद्दमा चलाया जा सकता है और अगर मैलिस साबित नहीं होता है तो नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अभी श्री टेकचन्द जी ने कहा कि इस चीज़ का कैसे पता लगाया जा सकता है कि यह मैलिस है। मैलिस शब्द की कहीं तारीफ नहीं की गई है। अगर आप मैलिस शब्द के डिक्शनरी मीनिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके माने इलविल, एनमिटी, मिसचिवस, इंटेनशन के हैं। अब इलविल का मतलब यह है कि अगर किसी की दुश्मनी किसी एडिटर से है तो वह उस दुश्मनी के कारण उस एडिटर के खिलाफ मुकद्दमा चला सकता है और वह यह कह सकता है कि इसने बदनियती की वजह से यह चीज़ छापी है। तो जब आप यह चाहते हैं कि सच्ची-सच्ची कार्रवाई छपे और साथ ही साथ वह पब्लिक गुड के लिये भी हो तो आपको इस शब्द को निकालना ही होगा। इस वास्ते मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस मैलिस शब्द को निकाल देगा और जो मेरी एमेंडमेंट इसके बारे में है उसे मंजूर करेगा। इस वर्ड (शब्द) को यहां रहने देना मैं समझता हूं कि पब्लिक के हित में नहीं है।

दूसरी बात यह है कि वासन वर्सस वालटर केस में जजों ने यह तय किया है कि :

"प्रत्येक मामले में दुर्भावना की धारणा इस तथ्य के आधार पर निराकृत हो जाती है कि प्रकाशन जनता की शिक्षा और हित की दृष्टि से है और इसका निर्देश किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है।"

यानी पब्लिक के हित में जो बात हो जाये, वह मैलिस नहीं रहती है। यह जजों की राय है। इसको देखते हुये भी इस शब्द का रखना पब्लिक के हित में नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में कई रूलिंग्ज़ वगैरह न्यायालयों में हो चुके हैं और बहुत से मौकों पर एक बात पब्लिक गुड में नहीं मानी गई है और दूसरी बात पब्लिक गुड में मानी गई है। ऐसा ही एक केस बम्बई हाईकोर्ट के सामने आया था। वह केस ऑल इंडिया रिपोर्टर सन् १९४१ में पेज ४१० पर छपा है। यह केस है विनायक आत्मा राम पथारे वर्सस शांताराम जनारदे पथारे। इस केस में मैजिस्ट्रेट ने तो यह तय किया कि यह जो कार्रवाई छपी है वह पब्लिक हित में है और सच्ची है और उस मलिस वर्ड को छोड़ दिया। इसके बाद रिविज़न में हाईकोर्ट में जब यह केस गया तो हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि चूंकि यह कार्रवाई जहां वह अखबार है वहीं न रह कर बम्बई तक भी गई है और बम्बई तक इसका जाना जो है वह एक्सेसिव हो गया है, इसलिये यह पब्लिक गुड में नहीं है। इस तरीके के अख्तियारात अदालतों के हाथ में रखना कि वे बतायें कहां तक पब्लिक गुड है कहां नहीं है और कितना पब्लिक गुड है और कितना नहीं है, यह मैं समझता हूं कि गलत बात हो जाती है। तमाम हिन्दुस्तान में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जानी चाहियें, यह जरूरी है।

तीसरी बात यह है कि जो शडयूल (अनुसूची) कांस्टीट्यूशन (संविधान) में दिया हुआ है उसमें

[श्री आर० डी० मिश्र]

कहीं पर भी स्टेट लैजिस्लेचर (राज्य विधान मंडल) की पावर्स (शक्तियों) में यह नहीं आता है और न ही जो पार्लियामेंट की लिस्ट (सूची) है उसमें ही आता है। दोनों लिस्ट्स में यह सबजेक्ट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल (अनुच्छेद) २४८ के मातहत यह पार्लियामेंट के अख्तियार में आता है और हमें उसकी यह पावर है कि हम इस सम्बन्ध में कानून बनायें। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि वह तमाम स्टेट लैजिस्लेचर्स (राज्य विधान मण्डल) की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाहियां) छापने के बारे में एमेंडमेंट (संशोधन) है, वह भी यह हाउस (सभा) तथा मूवर (प्रस्तावक) साहब मंजूर कर लें।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : सभापति महोदय, मैं अपनी ७ नवम्बर की एमेंडमेंट (संशोधन) को पेश करता हूं और उसके समर्थन में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट ने इस उसूल को तसलीम कर लिया है कि स्टेट लैजिस्लेचर्स की भी जो प्रोसीडिंग्स हों जैसे कोर्टस (न्यायालय) की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) छप सकती है, उसी तरह से वे भी छप सकती हैं। तो यह जो इस हाउस (सदन) की राय थी इसकी मुखालिफत करके सिलैक्ट कमेटी (प्रवर समिति) ने जो कुछ किया है, उसको मैं मुनासिब नहीं मानता हूं। साथ ही साथ जो यूनियन लिस्ट (संघ सूची) है और जो स्टेट लिस्ट (राज्य सूची) है, यह दोनों अलग-अलग हैं। यह सबजेक्ट न स्टेट लिस्ट में आता है और न ही यूनियन लिस्ट में आता है, यह कनकरेंट लिस्ट (समवर्ती सूची) में आता है। इस वास्ते अगर यह सवाल पैदा होता है कि हम इसे रियासतों की लैजिस्लेचर्स की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि कनकरेंट लिस्ट को रखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आज जब हम तमाम भारतवर्ष म एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि जिसमें डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) आगे बढ़े और जब हम चाहते हैं कि गलत किस्म की चीज़ न छपें और इन्हीं उसूलों को लेकर जो यह बिल यहां पेश किया गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि स्टेट लैजिस्लेचर्स की प्रोसीडिंग्स को क्यों हम इससे एग्जेम्प्ट (विमुक्त) करना चाहते हैं। कनकरेंट लिस्ट में जब यह सबजेक्ट (विषय) सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (व्यवहार तथा दांडिक प्रक्रिया संहिता) एक्शंनेबल रांग्स एंड न्यूजपेपर्स (अभियोज्य दोष और समाचारपत्र) आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम कानून को बनाने के बाद इसे सारे हिन्दुस्तान पर लागू कर सकते हैं और इसको तमाम हिन्दुस्तान में इसलिये लागू करना चाहत हैं कि आज भारत सरकार की तरफ से जितना भी रुपया रियासतों को दिया जाता है और जो हमारी योजनाय चल रही हैं उनमें जो खराबियां पैदा हो रही हैं तथा प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी उद्योग) और पब्लिक सैक्टर (सरकारी उद्योग) में जो द्वन्द्व चल रहा है तथा उसके बारे म जो खराबियां पैदा हो रही हैं उनके बारे में यहां रोशनी डाली जाये और इन सब चीज़ों का पब्लिक को ज्ञान हो। यह जो इस किस्म की आलोचनायें की जाती हैं ये किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं की जातीं और इसका किसी को ख्याल भी नहीं होता है साथ ही यह नहीं बताया गया है कि किन-किन रियासतों ने इसके बारे म क्या-क्या राय दी हैं। सिर्फ मिनिटस ऑफ डिसेंट (विमति टिप्पण) से मालूम होता है और साथ ही कुछ मैम्बर साहिबान से बात करने के बाद मुझे यह मालूम हुआ है कि पार्ट "सी" स्ट्रेटस न तो इसे माना है लकिन कुछ रियासतें हैं जो कि इसके बारे में खामोश हैं और कोई जवाब उन्होंने नहीं भेजा है। मैं समझता हूं कि जब वे खामोश हैं, तो हम कैसे यह मान सकते हैं कि उन्होंन इसको नहीं माना है। हम इस खामोशी को नीमरज़ा या रज़ामन्दी क्यों नहीं मानते हैं जो न्यूटरल्ज़ (तटस्थ) हैं, जिन्होंने कोई कमट (टिप्पण) नहीं किया है उनको और पार्ट "सी" स्टेट्स को मिलाकर लगभग दो-तिहाई स्टेट्स इस बात के पक्ष में हैं कि स्टेट लैजिस्लैचर्स पर भी इस बिल को लाग किया जाये, जसा कि मिनट ऑफ डिसेंट में जिक्र किया गया है। ऐसी सूरत में मैं कोई वजह नहीं देखता कि इस बिल को स्टेट लजिस्लेचर्स पर क्यों न लागू किया जाये। इसको जरूर लागू किया जाना चाहिये।

श्री टेक चन्द ने क्लाज़ ३ के बारे में जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं। अगर किसी अख़बार में कोई बात छपती है, जो कि सबस्टेंशियली ट्रू (वस्तुतः सत्य) है और सवाल किया जाये कि वह मैलीशस है या नहीं, तो जब तक हम यह न तय कर लें कि वह पब्लिक गुड (लोकहित) में है या नहीं, तब तक हम इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि वह मैलीशस (दुर्भावनापूर्ण) है या नहीं। अगर हम यह तय कर लेते हैं कि वह पब्लिक गुड (लोकहित) में है तो हम पब्लिशर (प्रकाशक) की रक्षा करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यहां पर मैलीशस शब्द रखने से क्या फायदा है। सिर्फ यह देखना चाहिये कि पब्लिकेशन सबस्टेंशियली ट्रू है या नहीं और वह पब्लिक गुड में है या नहीं। अगर वह सबस्टेंशियली ट्रू है और पब्लिक गुड में है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिये और इसमें "मैलीशस" शब्द रख कर ज्यादा उलझन नहीं पैदा करनी चाहिये। इसलिये "जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है।" को हटाने का जो अमेंडमेंट है मैं उसका समर्थन करता हूं और जिस अमेंडमेंट में पब्लिक गुड को हटाने की कोशिश की गयी है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** खण्ड १ पर तत्स्थायी संशोधन संख्या १२ भी। है मेरे संशोधन संख्या १३ का प्रयोजन यह है कि राज्यों के विधान मंडलों पर भी यह विधेयक लागू हो। श्री साधन गुप्त चाहते हैं कि संसद की समितियों पर भी इसे लागू किया जाये, मैं इसका स्वागत करता हूं। प्रवर समिति के सदस्यों ने इन उपबंधों को स्वीकार नहीं किया। इसलिये मैंने अपना संशोधन रखा है।

राज्य विधान सभाओं और इस सभा क प्रतिनिधियों को चुनने वाले लोग एक ही होते हैं। देश भर में समाचार सम्बन्धी विधि भी एक रूप होनी चाहिये। अतः इस विधेयक की व्याप्ति से राज्य विधान मंडलों को अलग करना ठीक नहीं होगा। प्रवर समिति के सदस्यों ने बताया है कि इस विधेयक पर बहुत से राज्य सहमत नहीं हुये। हमें उनकी रायों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों के लिये विधान बनाने की शक्ति संसद् को प्राप्त है।

†**श्री कामत :** समाचारपत्र लोकतन्त्रीय व्यवस्था में जनता और संसद के बीच एक प्रभावी माध्यम होते हैं। देश में समाचारपत्रों की प्रगति तभी हो सकेगी जब जनता को संसद की कार्यवाहियों का पूर्ण वृत्तांत मिल सकेगा।

मैं श्री साधनगुप्त के संशोधन का समर्थन करता हूं परन्तु यह चाहता हूं कि यह विधेयक समिति की कार्यवाहियों पर लागू न हो। कुछ राज्य विधान मंडलों में इस विधान का विरोध किया गया है क्योंकि मुझे पता लगा है कि बहुत से राज्यों में समाचारपत्रों के कार्यों में मंत्री आदि हस्तक्षेप करते हैं। वे समाचारपत्रों को टेलीफोन कर देते हैं कि अमुक अप्रिय कार्यवाही का प्रकाशन न किया जाये। इस हस्तक्षेप को दूर करने के लिये इस विधेयक को वहां की कार्यवाहियों पर भी लागू किया जाना चाहिये।

मैंने संशोधन रखा है कि "जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर" शब्द हटा दिये जायें। इस राज्य में भी इस संसद् की कार्यवाहियों को प्रकाशित किया जाना चाहिये। इस समय उस राज्य के समाचार-पत्रों के सामने बहुत-सी कठिनाइयां हैं इस तरह वह राज्य भारत का पूर्ण अंग नहीं बन सकता। मैं मानता हूं कि इस विषय में कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं। ऐसी बातों में जम्मू और काश्मीर सरकार को पूछना चाहिये कि उन्हें क्या आपत्ति है। श्री फीरोज़ गांधी को चाहिये कि वे इस दिशा में प्रयत्न करें ताकि इस विधेयक की व्याप्ति में जम्मू और काश्मीर भी आजायें।

†**श्री पाटस्कर :** मैं तीन-चार बातों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। अन्तिम बात के बारे में मेरे विद्वान मित्र श्री कामत कहेंगे कि यह साधारण बहाना है कि इसे जम्मू और काश्मीर में क्यों

---

†मल अंग्रेजी में।

[श्री पाटस्कर]

नहीं लागू किया जाता। राष्ट्रपति का एक आदेश है जिसके द्वारा, जहां तक उस राज्य का सम्बन्ध है, हम कुछ विधान बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब हम एक ऐसी विधि बनाने जा रहे हैं जो राज्य की विधान सभाओं पर लागू होगी, तो फिलहाल जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ देना अधिक ठीक होगा ।

सबसे पहले मैं विधेयक के गुणावगुणों को लूंगा जैसा कि वह प्रवर समिति से आया है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने प्रत्येक चीज़ पर सोच-विचार कर यह ठीक ही कहा है :

"उप-धारा (२) में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर किसी व्यक्ति पर संसद् के किसी सदन की किसी कार्यवाही की सारतः सही रिपोर्ट किसी समाचारपत्र में प्रकाशित करने के बारे में किसी भी न्यायालय में तब तक किसी प्रकार की व्यवहार अथवा दाण्डिक कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कि यह सिद्ध न हो जाये कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया था।"

स्वभावतः यह वांछनीय है कि सारतः सही रिपोर्ट होनी चाहिये। इससे कोई भी असहमत नहीं हुआ है। कुछ आपत्ति इस बात पर की गई है कि क्या यह बताना अनिवार्य है कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह अभियोक्ता पक्ष सिद्ध करेगा। यह सामान्य विधि है कि हम समाचारपत्रों को जैसा वे महसूस करें, प्रकाशित करने की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु हम इसके लिये अनुमति नहीं दे सकते कि सारतः अथवा/अन्यथा प्रकाशन को दुर्भावना से नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करना न तो समाज के हित में है और न लोकहित में ही। अतः मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र को इन शब्दों पर आपत्ति होगी।

तत्पश्चात् यह कहा गया है :

"उप-धारा (१) की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायेगा कि उससे किसी ऐसे विषय के प्रकाशन का संरक्षण मिलता है जिसका प्रकाशन लोकहित में न हो।"

स्वाभाविक है कि जब यह लोकहित के लिये होगा तो यह आवश्यक है कि जो कुछ बात सदन में कही गई है उसे जनता को बताया जाना चाहिय। इस बात पर भी मत-वैभिन्नय नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह उठाई गई है कि क्या हम इसे राज्य विधान मण्डलों पर लागू कर सकते हैं। इसमें कठिनाई यह होगी कि यदि हम वैधानिक शक्तियों के वितरण के बारे में वर्तमान स्थिति की जांच करें तो हम देखेंगे, अनुसूची ७ की राज्य सूची में प्रविष्टि ३९ है जो बताती है :

"विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा यदि विधान-परिषद् हो तो, उस परिषद् और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां .....आदि ।"

राज्य सूची संख्या ३९ विधान-सभा अथवा परिषद् के विशेषाधिकारों आदि के बारे में है। यदि हम इसे अनुच्छेद १९४ के साथ पढ़ें, जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है वह इस सन्देह से मुक्त भी नहीं है, तो वह पूर्णरूपेण राज्य सूची में नहीं आ सकती है। समवर्ती सूची में समाचारपत्रों आदि का उल्लेख है। जहां तक संसद् और विधान सभाओं की कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, इसके बारे में यह भ्रम हो सकता है कि यह प्रश्न सदन के विशेषाधिकार सम्बन्धी है अथवा नहीं। क्या प्रकाशित किया जाना चाहिये और क्या नहीं, यह प्रश्न ऐसा है जो सभा के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में है और इस सभा पर उसका अधिकार है। इसको अध्यक्ष स्वयं कार्यान्वित करता है। मैं कोई निश्चित राय नहीं दे रहा हूं। किन्तु मैं बताना चाहूंगा कि जब हमें सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता हो तो शीघ्रता कर कठिनाइयों में नहीं फंस जाना चाहिये ।

समवर्ती सूची में दाण्डिक प्रक्रिया आदि का उल्लेख है । इन विषयों के बारे में सामान्य विचार यह है कि हम पहले राज्य सरकारों से परामर्श लेकर यहां विधान पुरःस्थापित करते हैं । इस मामले में राज्य सरकारें एक मत नहीं हैं । कुछ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है । प्रत्येक दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि जब हम पहली बार इस प्रकार का विधान बनाने जा रहे हैं तो हम इसे केवल संसद् की कार्यवाहियों तक सीमित रखें । कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं जो कि श्री एस० एस० मोरे ने बताई हैं । मैं समझता हूं कि फिलहाल हम इस विधेयक को पारित कर दें और उसके पश्चात् प्रतीक्षा करें । हो सकता है कि कुछ समय में राज्य विधान सभायें इस मामले को स्वयं लें । यदि वे इसी प्रकार के अधनियम अपने राज्यों में पारित करती हैं तो संवैधानिक अथवा अन्य किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी । सम्भवतः जनता जोर डाले । मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि राज्यों के मंत्री कुछ चीज़ें प्रकाशित करने के लिये कहते हैं ।

†**श्री कामत :** प्रकाशित करने के लिये नहीं ।

†**श्री पाटस्कर :** स्थिति यह है.....

†**श्री फीरोज गांधी :** मैंने जो कठिनाइयां बताई हैं उनको देखते हुए क्या आप इससे सहमत नहीं कि जो भी विधान पारित किया जाने वाला है, उसको पहले यहां रखा जायेगा राज्यों में नहीं ?

†**श्री पाटस्कर :** यह सर्वथा निस्सन्देह नहीं है । किन्तु यदि सम्भव हो सका तो निश्चय ही हम इस मामले की जांच करेंगे । जैसा कि अनुच्छेद १९४ में कहा गया है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और राज्य सरकार का यह कथन है । हम इसकी जांच करेंगे कि यह सही है अथवा नहीं । किन्तु मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से हमें इस विषय को रोकना नहीं चाहिये और न इसे न्यायालय में ले जाकर असन्तोष फैलाना चाहिये । हम स्वयं राज्य सरकारों को लिखेंगे । अब वह समय दूर नहीं है जब कि राज्य विधान सभायें भी यही करेंगी ।

दूसरी बात यह उठाई गई थी कि इसको समिति में भी लागू किया जाना चाहिये । जो नियम बनाये गये हैं उनके अधीन भी, समिति की कार्यवाहियां गुप्त प्रकार की होती हैं । समितियों में जो कुछ होता है, जब तक कि वह इस सभा और अध्यक्ष के पास प्रस्तुत न किया जाये, किसी प्रकार न तो प्रकाशित किया जा सकता है अथवा बाहर जा सकता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि नियमानुसार इसे प्रवर समिति में लागू नहीं किया जा सकता जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव और अन्य लोग जानते हैं । मुझे नियम बताने की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि यह ठीक भी है । जब मैं समवाय विधि समिति का सभापति था तो दिये गये साक्ष्य का प्रतिवेदन किसी पत्र में प्रकाशित हुआ था । मुझे उस पत्र को लिखना पड़ा था कि सभापति की अनुमति बिना प्रकाशित करना आपके लिये उचित नहीं था । समिति के कार्य को देखते हुये, यदि ऐसी चीजों के प्रकाशन से जनता का विश्वास चला जाता है तो समिति के कार्य में हानि पहुंचेगी । इस मामले में मैंने भी कठिनाई अनुभव की थी । मुझे बड़ी कठोर कार्यवाही करनी पड़ी थी और यह कहना पड़ा था कि यदि कोई व्यक्ति जनता से कुछ कहना चाहता है, तो वह उसे समिति की अनुमति बिना प्रकाशित नहीं करवा सकता । मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि यदि हम यह चाहते हैं कि समितियों का कार्य कुशलतापूर्वक और उचित रूप से हो तो उस प्रक्रम पर कार्यवाहियों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

समितिं का कार्य समाप्त हो जाने पर और प्रतिवेदन एवं कार्यवाहियों को सभा में प्रस्तुत कर देने पर वह चीज़ स्वाभाविक रूप में जनता की सम्पत्ति हो जाती है । इसमें कोई कठिनाई नहीं है । वे सभा की कार्यवाहियों का अंग बन जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री साधन गुप्त :** प्रतिवेदन सभा की कार्यवाहियों का अंग नहीं होते ।

†**श्री पाटस्कर :** जब प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि वह कार्यवाही का अंग बन जाता है । वह और हो ही क्या सकता है ? यह दूसरी बात होगी । अध्यक्ष को शक्ति है अथवा नहीं कि उसका कितना अंश प्रकाशित करने की अनुमति दी जानी चाहिये यह भिन्न प्रश्न है । यदि समितियों की सभी कार्यवाहियों पर इसे लागू किया जायेगा तो जिस आधार पर हमने इस संसद् में कार्य करना आरम्भ किया है, वही समाप्त हो जाता है ।

†**श्री साधन गुप्त :** इंग्लैड में यह किस प्रकार किया जाता है ?

†**श्री पाटस्कर :** मैं इंग्लैण्ड तो गया नहीं हूं किन्तु जांच करूंगा । जो कुछ थोड़ा-बहुत ज्ञान मुझे है, वहां प्रवर समितियां नहीं है । वहां सभा समिति में बदल जाती है और मुझे बताया गया है कि उस समय समाचारपत्रों में कुछ भी प्रकाशित नहीं होता और वृतांत नहीं लिखा जाता । यह स्थिति है । यदि अग्रेतर जानकारी की आवश्यकता हो तो हम उसका पता लगायेंगे ।

जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, हमारी समितियां जिस प्रकार कार्य करती हैं और जो नियम बनाये गये हैं उनको देखते हुए इसको लागू नहीं किया जाना चाहिये ।

अतः मैं इससे सहमत हूं कि जितना सदस्य चाहते थे, प्रवर समिति ने उतना कार्य नहीं किया है । मैं समझता हूं कि यह विधेयक बड़ा अच्छा है और इसका उद्देश्य भी बड़ा अच्छा है । यह बड़ा अच्छा श्रीगणेश है । मुझे विश्वास है कि आलोचना के बावजूद भी, इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जल्दी या देर में राज्य विधान सभायें भी इसी प्रकार के अधिनियमन बनाने पर विचार करेंगी । हमें किस मार्ग पर आगे बढ़ना है इसका हम उनके सम्मुख एक स्तर निर्धारित कर सकेंगे ।

अतः मैं अपने माननीय मित्र श्री फिरोज़ गांधी को ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक रखने के लिये बधाई देता हूं जिसके बारे में मुझे निश्चय है कि वह पूर्वदृष्टांत बनेगा ।

मैं सभा को इसे स्वीकार करने के लिये और श्री फिरोज़ गांधी को ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को प्रस्तुत करने के प्रयत्न पर एक बार पुनः बधाई देता हूं ।

†**श्री फीरोज़ गांधी :** जो कुछ श्री पाटस्कर ने कहा है मैं उसमें कुछ शब्द और जोड़ना चाहता हूं ।

मैंने मूल विधेयक में ये शब्द "जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है" जान बूझ कर रखे हैं जब कि श्री टेक चन्द इन्हें हटाना चाहते हैं । प्रवर समिति को भी इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है । पृष्ठ १ की १५ से १७ पंक्तियां इस प्रकार हैं :

> "उप-धारा (१) की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जायेगा कि उससे किसी ऐसे विषय के प्रकाशन का संरक्षण मिलता है जिसका प्रकाशन लोकहित में न हो ।"

यदि ये शब्द न होते तो फिर "सारतः सत्य" ही रह जाते तो पूर्ण विशेषाधिकार मिल जाता । मैं पूर्णरूपेण विशेषाधिकार के पक्ष में नहीं हूं ।

सभा में समितियों की कार्यवाहियों के बारे में मुझे बताया गया है कि सभा-पटल पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर वह कार्यवाही का अंग समझा जाता है । अतः वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इसके उपबन्धों को राज्य विधान सभाओं में लागू किया जाना चाहिये, जैसा कि अनेक सदस्य चाहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

हो सकता है कि मैं इसे पसन्द करता किन्तु हमें जो चीज उपलब्ध है पहले उससे लाभ उठाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सारे संशोधनों पर चर्चा हो चुकी है । क्या मैं सारे संशोधनों को एक साथ रखूं अथवा अलग-अलग ?

†**श्री कामत** : अलग-अलग ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य कोई संशोधन विशेष रखवाना चाहते हैं ?

†**श्री कामत** : मेरे केवल दो संशोधन हैं ।

†**श्री आर० डी० मिश्र** : मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस करने के लिये सभा की अनुमति चाहते हैं । क्या उन्हें सभा अनुमति देती है ?

†**माननीय सदस्य** : हां ।

संशोधन १, १४ और १५ सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : मैं चाहूंगा कि आप संशोधन संख्या १२ और १३ को अलग-अलग मतदान के लिये रखें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या १३ रखूंगा । संशोधन संख्या १२ खण्ड १ के सम्बन्ध में है; इस खण्ड के बारे में नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३, ७, ८, ९, १० और ६ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ४--(बेतार के तार द्वारा प्रसारित संसदीय कार्यवाहियों पर भी अधिनियम लागू होगा)

†**श्री साधन गुप्त** : मेरा संशोधन संख्या ११ भी है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति ४ में "Broadcasting Station" ("प्रसारण स्टेशन") के पश्चात् "situate" ("स्थापित") रखिये ।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २, पंक्ति ४ में "Broadcasting Station" ("प्रसारण स्टेशन") के पश्चात् "situate" ("स्थापित") रखिये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम और विस्तार)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक संशोधन खण्ड १ का है, जो, यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं सभा ग मतदान के लिये रखूं ।

†**श्री कामत** : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खान (संशोधन) विधेयक

(धारा ३३ और ५१ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा खान संशोधन विधेयक पर विचार करेगी इसके लिये डेढ़ घंटा नियत किया गया है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि खान अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

मैं इस विधेयक के द्वारा खान में काम करने वाले श्रमिकों की वार्षिक सवेतन छुट्टी सात दिन से बढ़ा कर एक मास करना चाहता हूं । इन्हें अधिक समय काम करने के लिये दुगना वेतन दिया जाना चाहिये जैसा कि अन्य कारखानों में होता है ।

खान श्रमिकों की दशा अन्य देशों की तुलना में बहुत खराब है उन्हें सप्ताह में ६ दिन काम करना पड़ता हैं जब कि इंगलैंड के श्रमिकों को केवल ५ दिन कार्य करना पड़ता है उन्हें मजदूरी भी अपेक्षाकृत कम दी जाती है । प्रति दिन कार्य के घंटे भी अधिक हैं । उनकी आवास अवस्था भी खराब है । अन्य उद्योगों की तुलना में उनके वेतन भी कम हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इस उद्योग में निरन्तर प्रगति हुई है। कोयले का उत्पादन बढ़ा है। खान श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ गया है।

सोने की खानों में भी उत्पादन बढ़ा है। कोलार की सोने की खानें संसार में सबसे गहरी हैं और श्रमिकों को १० हज़ार फुट नीचे जाना पड़ता है।

उत्पादित कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है, विभिन्न प्रकार के कोयले के मूल्य में भी वृद्धि हुई है। विभिन्न समवायों के लाभों में भी वृद्धि हुई है परन्तु श्रमिकों को इसका लाभ नहीं दिया गया है।

खान अधिनियम १९५२ द्वारा उनके प्रति कुछ उदारता दिखाई गई है। इसके द्वारा उन्हें सात दिन की वार्षिक छुट्टी दी गई है परन्तु इस अधिनियम के पश्चात् श्रमिकों की मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वास्तव में १९२६ की अपेक्षा उनकी वास्तविक मजूरी कम हो गई है। मंत्री जी कहेंगे कि इसकी जांच के लिये अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है परन्तु न मालूम उसका पंचाट क्या होगा। योजना की कालावधि में उत्पादन और लाभ में वृद्धि हुई है परन्तु श्रमिकों की मजूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हाल ही में कोयला खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की भविष्य निधि के बारे में उदारता दिखाई गई है। इसके अनुसार सेवा योजकों को अपनी ओर से अंशदान देना पड़ता है। उन श्रमिकों को यह सुविधा नहीं दी गई जो १९४० से भविष्य निधि का लाभ उठा रहे थे।

कोयला खानों में दुर्घटनाओं की दर अधिक है। अन्य कारखानों की अपेक्षा यह ९ गुनी है और निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं जिनमें श्रमिक अंगहीन बन जाते हैं। ऐसे अंगहीनों के पुनर्वास के लिये योजनायें हैं किन्तु बहुत से व्यक्तियों को इनका लाभ नहीं मिलता। इन खानों में मज़दूरों और प्रबन्धकों के वेतनों में बहुत अन्तर है। जब मजदूरों को प्रति सप्ताह केवल ९ रुपया मिलता है तो प्रबन्धकों को एक हजार से तीन हजार रुपया प्रति मास मिलता है।

पिछली कुछ बैठकों में भारतीय खान के संघ के लागत लेखा पदाधिकारी की जांच करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने हमें उत्पादन लागत नहीं बताई और जब हमने प्रत्येक समवायों द्वारा निर्यात किये गये कोयले के बारे में पूछा तो हमें आकड़े नहीं दिये गये। सच बात यह है कि उन्हें निर्यात किये गये कोयले पर दुगना मूल्य मिलता है। कोयला उद्योग में भिन्न-भिन्न प्रकार की कम्पनियां हैं। कुछ खानें किसी खास विशेष कारखाने के लिये होती हैं। उदाहरणार्थ टाटा लोहा और इस्पात कारखाने की कुछ कोयला खानें हैं। गत वर्ष इस्पात का प्रतिधारण मूल्य बढ़ाते समय कुछ खानों को कारखाने का अंग समझा गया और इस तरह वे कारखाने नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त कर सके।

भारतवर्ष के प्रत्येक उद्योग में त्योहारों पर सवेतन छुट्टी दी जाती है। कोयला उद्योग में वर्ष में केवल दो दिन की छुट्टी दी जाती है। इस उद्योग में बहत जोकिम रहता है तथा लोग समय से पूर्व वृद्ध हो जाते हैं। अतः इन्हें आराम देने के लिये पर्याप्त सवेतन छुट्टियां दी जानी चाहियें। खान अधिनियम के अधीन खान श्रमिकों और कारखाना अधिनियम के अधीन अन्य श्रमिकों में भेद नहीं किया जाना चाहिये। जो श्रमिक खानों के ऊपर काम करते हैं उन्हें भी अधिक समय काम करने के लिये दुगना वेतन दिया जाना चाहिये। इस सुविधा को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने स्वीकार कर लिया है।

अब सरकार ने लोहे अयस्क की खानों का कार्य अपने हाथ में ले लिया है और प्रति वर्ष २० लाख टन अयस्क का उत्पादन होगा। हम इसका स्वागत करते हैं। इस उद्योग में बड़ी अव्यवस्था है। मज़दूर संगठित नहीं हैं। इस उद्योग के द्वारा हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे और तीन इस्पात कारखानों के लिये लोहा अयस्क भी जुटा सकेंगे।

[श्री टी० बी० विठ्ठल राव]

मेंगनीज़ की खानों में बहुत लाभ होता है। १९५२-५३ में वहां के मज़दूरों के वेतन का प्रश्न न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। अब वह ४ साल से उच्चतम न्यायालय में है परन्तु कोई निर्णय नहीं हुआ है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पंचाट दिया है परन्तु बहुत से स्थानों पर उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में मज़दूरों को संगठित नहीं किया जा सकता। खान-मालिक गुंडों के द्वारा उन्हें दबा देते हैं। बिहार तथा बंगाल में स्थिति कुछ अच्छी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ७ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पृष्ठ

विधेयक विचाराधीन ३०९०–३१२९

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक के खण्डों पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, और आगे विचार जारी रहा। खण्ड ७, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ। खण्ड ८ और ९ स्वीकृत हुए। खण्ड १० पर विचार समाप्त नहीं हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित ... ३१२९

कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ५१, ५४ और ५९ का संशोधन) श्री टी० बी० विट्ठल राव द्वारा पुरःस्थापित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया ... ३१२९–३३

श्री साधन गुप्त द्वारा २० अप्रैल, १९५६ को प्रस्तुत विद्युत् (सम्भरण) संशोधन विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन) पर विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा पुनः आरम्भ की गई। सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पारित किया गया ... ३१३३–३६, ३१३७–४६

श्री फीरोज़ गांधी द्वारा विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डों पर विचार करने के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक विचाराधीन ३१४६–४८

श्री टी० बी० विट्ठल राव द्वारा खान (संशोधन) विधेयक (धारा ३३ और ५१ का संशोधन) पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, ७ मई, १९५६ के लिये कार्यावलि

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर और आगे विचार।

M130LSD—23-12-57—190—GIPF